लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ३, १९५५

(२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

1st Lok Sabha

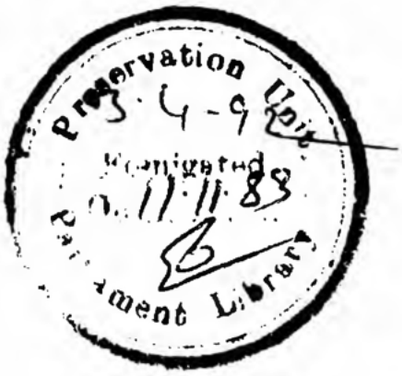

नवम् सत्र, १९५५

(खण्ड ३ में अंक ४१ से ५२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ३, अंक ४१ से ५२—२० अप्रैल से ७ मई, १९५५)

अंक ४१—बुधवार २० अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३९९, २४०१, २४०३, २४०५, २४०९, २४११, २४१४ से २४१९, २४२१ से २४२३, २४२६, २४२७, २४२९ से २४३६, २४३९, २४४०, २४४२, २४४३, २४००, २४०४, २४०६ और २४१३ . . . . . २९७३—३०१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४०७, २४०८, २४१२, २४२०, २४२४, २४२५, २४२८, २४३७ और २४४१ . . . . ३०१५—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०९ से ९११, ९१३ से ९४५ और ९४७ . ३०१९—४२

अंक ४२—शुक्रवार, २२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २४७७ से २४८३, २४८६ से २४८८, २४९०, २४९१, २४९३ से २४९५, २४९८, २५०१, २५०२, २५०४ से २५०६, २५०८ से २५१०, २५१२, २५१६ और २५१७ . . . ३०४३—७९

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . ३०८०—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ से २४७६, २४८४, २४८५, २४८९, २४९२, २४९९, २५००, २५०३, २५०७, २५११, २५१३ से २५१५, २५१८ और २५१९ . . . . . ३०८७—३१११

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९८३, ९८५ से ९९१ और ९९३ . ३१११—३१४०

अंक ४३—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५२१, २५२४ से २५२६, २५४०, २५४२, २५४४ से २५४७, २५५०, २५५२, २५५५ से २५५७, २५५९, २५६२ से २५६४, २५४१ और २५३८ . . . . . ३१४१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५२०, २५२२, २५२३, २५२७ से २५३७, २५३९, २५४३, २५४८, २५४९, २५५१, २५५३, २५५४, २५६० और २५६१ ३१६५---३१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०१९ और १०२१ से १०४३ . ३१७८---३२०८

अंक ४४---मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५६५ से २५६८, २५७०, २५७३, २५७४, २५७७, २५७९, २५८०, २५८२, २५८४, २५८५, २५८७, २५८८, २५९० से २५९७, २५९९, २६०२, २६०३, २५७८ तथा २५६९ . ३२०९---३२४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २५७१, २५७२, २५७५, २५७६, २५८१, २५८३, २५८९, २५९८, २६००, २६०१, २६०४ . . . ३२४७---३२५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०४४ से १०५७, तथा १०५९---१०७० . ३२५२---६८

अंक ४५---बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०५, २६०७, २६०८, २६१० से २६१८, २६२० से २६२२, २६२४, २६२५, २६३०, २६३२ से २६३४, २६३८, २६४०, २६४२, २६४५ से २६४९, २६५१, २६५६, २६५६-क, २६०६, २६२८ और २६५३ . . . . ३२६९---३३१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या २६०९, २६१९, २६२३, २६२७, २६२९, २६३१, २६३६, २६३७, २६३९, २६४१, २६४३, २६४४, २६५०, २६५२, २६५४, २६५५ और २६५७ . . . . ३३१२---३३१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७१ से ११०४, ११०४-क और ११०४-ख ३३१९---३३४०

अंक ४६—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६५८ से २६६२, २६६४, २६६७, २६७० से २६७२, २६७४ से २६७७, २६७९, २६८२ से २६८४, २६८६, २६८७, २६८९, २६९०, २६९०—क, २६९१, २६९२, २६९३—क, २६९४, २६९६, २६९८, २६९३, २६९६, २६८५, और २६९९ ३३४१—३३८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६६५, २६६८, २६७३, २६७८, २६८०, २६८१, २६८८, २६९३, २६९५, २६९७ और २६९९ ३३८८—३३९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०५ से १११८, ११२० से ११२७, ११२९ से ११५३ और ११५३—क. ३३९३—३४२६

अंक ४७—शुक्रवार, २९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७००, २७०१, २७०३, २७०६, २७१२, २७१३, २७१५, २७१८, २७२२ से २७२५, २७०९ और २७१० ३४२७—३४४५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि— ३४४५-३४४६

तारांकित प्रश्न संख्या २७११ ३४४६-३४४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०२, २७०४, २७०५, २७०७, २७०८, २७१४, २७२०, २७२१ और २७२६ ३४४७—३४५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ से ११६०, ११६१ से ११८७ ३४५१—३४७०

अंक ४८—सोमवार, २ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १० ३४७१—३४७४

अंक ४९—मंगलवार, ३ मई, १९५५

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२८, २७२९, २७३१ और २७३२	३४७५-३४८१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७२७ और २७३०	३४८१-३४८३
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से ११९४	३४८३-३४८८

अंक ५०—बुधवार, ४ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२	३४८९-३४९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	३४९४-३४९६

अंक ५१— गुरुवार, ५ मई, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३४९७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १४ और १५	३४९७-३५०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६	३५०६

अंक ५२—शनिवार, ७ मई, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ और १८	३५०७-३५१२
अनुक्रमणिका	१-८९

लोक सभा

बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शहतूत के बागान

*२६०५. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मैसूर तथा अन्य राज्यों को देश में शहतूत के पुराने बागानों में फिर से पेड़ लगाने तथा नये पौदे उगाने के लिये यदि कोई सहायता दी गई है तो वह कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : जैसा कि मैंने २२ अप्रैल को प्रश्न संख्या २४७८ के उत्तर में कहा है, शहतूत की कृषि के भावी विस्तार के लिये कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं । योजनायें किस प्रकार की हैं तथा राज्यों को कितनी राशि स्वीकृत की गई है, यह दिखाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३६**]

श्री केशवैयंगार : मैंने कनवा नर्सरी को देखा है । इस तरह के कार्य में बहुत विस्तार की गुंजाइश है । क्या सरकार शिक्षित बेकारों को इसके लिए सहायता देकर इस तरह के कार्य में लगाना चाहती है ?

श्री कानूनगो : शुरूआत में जिन किसानों ने मलबरी की खेती की है उनको मदद दिया जाना ज्यादा मुमकिन है ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या मद्रास राज्य को भी कोई ऐसी आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री काननगो : जी हां ।

बन्दरों का निर्यात

*२६०७. **श्री विभति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में कितने बन्दर निर्यात किय गये ; और

(ख) उससे कितनी आय हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ५३,५३३ ।

(ख) इस निर्यात से सरकार को कोई नफ़ा नहीं होता है ।

श्री विभूति मिश्र : जब इन बन्दरों को यहां से भेजने में सरकार को कोई नफा नहीं है तो वह इनको यहां से क्यों बाहर भेजती है ?

श्री कानूनगो : वैज्ञानिक परीक्षा के लिए, खास तौर से पोलियो की औषधि निकालने के प्रयोग करने के लिए बन्दरों की जरूरत होती है, और इस लिए सारी मानव जाति के हित के लिए ऐसा किया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : लखनऊ आदि स्थानों से जो बन्दर बाहर भेजे जाते हैं क्या

मंत्री जी ने देखा कि उनको किस तरह बिना पानी और खाने के यहां से ले जाया जाता है ?

श्री कानूनगो : एक दयनीय घटना लन्दन में हुई थी, और हमारे प्रधान मंत्री ने इस ओर ध्यान दिलाया है । अब यह इन्तिज़ाम किया गया है कि एस० पी० सी० ए० उनको हिफाजत से ले जाने का प्रबन्ध करेगी और उनको एअर रूट से ले जाया जायेगा ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या इन बन्दरों के व्यापार पर कोई निर्यात शुल्क भी है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं ।

औद्योगिक आवास योजना (हिमाचल प्रदेश)

*२६०८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री सभा में एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) हिमाचल प्रदेश से औद्योगिक-कर्मचारियों के लिये कुल कितनी राज सहायता प्राप्त आवास योजनायें प्राप्त हुईं;

(ख) (१) राज्य सरकारों, (२) नियोजकों और (३) पंजीयित सहकारी संस्थाओं से कुल कितनी योजनायें प्राप्त हुईं; और

(ग) तथा आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि स्वीकार किये जाने का विचार है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) केवल एक योजना प्राप्त हुई है और वह हिमाचल प्रदेश के एक नियोजक से प्राप्त हुई है ।

(ग) नियोजक अर्थात् नहान फौंड्री लिमिटेड, नहान को ५० निवासगृह बनाने के लिये ऋण के रूप में ४७,६८४ रुपये तथा आर्थिक सहायता के रूप में ३१,७८९ रुपये की सहायता स्वीकार की गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इससे यह समझना चाहिये कि हिमाचल प्रदेश में श्रमिकों की कोई सहकारी संस्था नहीं है इसलिए वे सहायता नहीं मांग सके हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, हिमाचल प्रदेश में बहुत औद्योगिक कामकर नहीं हैं क्योंकि पहाड़ी स्थान होने के कारण वहां अधिक उद्योग नहीं हैं । वहां नहान फौंड्री नामक केवल एक बड़ा औद्योगिक उपक्रम है । उन्होंने सहायता के लिये आवेदन दिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सहायता किराया खरीद पद्धति के आधार पर दी जा रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं । जैसाकि मैं कह चुका हूं, यह आर्थिक सहायता नियोजक को दिया जाने वाला सीधा अनुदान है जिससे वे मकान बनायेंगे और श्रमिकों को किराये पर देंगे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कितने रुपयों की मांग की है और कितने की स्वीकृति दी जा रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की है ।

विस्थापित व्यक्ति (त्रिपुरा)

*२६१०. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुवाई (त्रिपुरा) के विस्थापित व्यक्तियों ने एक सम्मेलन में एक ज्ञापन का अनुमोदन करके उसे सरकार के पास भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) जी हां ।

(ख) (१) ऋणों की अदायगी में शीघ्रता की जा रही है ।

(२) १०,४२,४५२ रुपये के मूल्य के तालाबों, नलकूपों तथा सामान्य कुओं के निर्माण की योजनायें मंजूर हो चुकी हैं ।

(३) सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिये ५,१८,००० रुपये की एक अन्य राशी दी जा चुकी है ।

(४) पाठशालाओं, दवाखानों तथा कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिये २,७५,६८७ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(५) अनाश्रित स्त्रियों तथा बच्चों के पुनर्वास की एक योजना विचाराधीन है ।

श्री दशरथ देव : क्या इस ज्ञापन में पश्चिमी बंगाल के स्तर के ऋण की मांग की गई थी ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां, ऐसी मांग की गई थी ।

श्री दशरथ देव : क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि त्रिपुरा घने जंगलों से ढका हुआ है तथा इस सारी भूमि को कृषि योग्य बनाने में पश्चिमी बंगाल से अधिक व्यय होगा, सरकार उन्हें पश्चिमी बंगाल के स्तर के अनुसार ऋण देना चाहती है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां । हमने हाल ही में उन्हें पश्चिमी बंगाल के अनुरूप की मंजूरी दी है ।

केनिया में भारतीय

***२६११. डा० राम सुभग सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, १९५५ से अब तक केनिया में कितने भारतीयों पर आक्रमण किया गया अथवा उनको मार डाला गया ;

(ख) कितने भारतीय हताहत हुए ;

(ग) भारतीयों के कितन मकान जल गये और बर्बाद हुए; और

(घ) उक्त अवधि में कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति का विध्वंस हुआ ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) चार ।

(ख) पांच ।

(ग) कोई भी नहीं ।

(घ) कुछ भी नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : भाग (क) और (ख) के उत्तर में सभासचिव ने 'कुछ भी नहीं' कहा है । क्या मैं इन आक्रमणों का कारण जान सकता हूं तथा यह भी कि भारतीयों का कौनसा सम्प्रदाय इन उपद्रवों तथा हत्याओं में सबसे आधक शिकार हुआ ?

श्री सादत अली खां : ये दुःखद घटनायें किसी विशेष सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं हैं; किन्तु यह सच है कि नैरोबी के सिख सम्प्रदाय को इन घटनाओं से अधिक हानि हुई है क्योंकि अधिकांश सिख ही इनमें अन्तर्ग्रस्त थे । मेरे अनुमान से इसका कारण यह है कि अधिकांशतः सिख लोग केनिया सुरक्षा से सम्बन्धित हैं, जहां विधि तथा व्यवस्था की रक्षा के लिये उन्होंने अपनी सेवायें प्रदान की हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : यह कहा गया है कि बहुत से सिख केनिया सुरक्षा बल के साथ सम्बन्धित हैं । क्या केनिया की सरकार ने यह देखने के लिये कि भारतीयों को इस प्रकार हानि न पहुंचने पाये, कोई सावधानी बरती है ?

श्री सादत अली खां मुझे विश्वास है कि केनिया की सरकार ने पूरी सावधानी

बरती है। कुछ भी हो हमने इन दुर्घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि फरवरी १९५५ में नैरोबी में एशियावासियों की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक बैठक हुई थी। उसमें दो एशियाई मंत्री भी उपस्थित थे : उन्होंने भी हत्याओं पर विरोध प्रगट किया था।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि इन छुटपुट दुर्घटनाओं से उस उपनिवेश के भारतीयों तथा अफ्रीकियों के पारस्परिक सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ?

श्री सादत अली खां : जी हां ; इनसे भारतीयों तथा अफ्रीकियों के पारस्परिक सबम्न्धों पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। वस्तुतः सभी समझदार व्यक्ति इन हत्याओं का विरोध करेंगे।

श्री जोकोम आल्वा : क्या केनिया की विशेष चिन्तनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा सिख सिपाहियों पर आक्रमण के कारण सरक सिख राष्ट्रजनों को पुलिस बल से हटालेने तथा उन्हें दूसरा काम देने को प्रस्तुत है ?

श्री सादत अली खां : हम इन बातों से नहीं भागना चाहते। हम उनका वीरता से सामना करते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : इस हत्याकाण्ड के प्रारम्भ से अब तक केनिया में कितने लोग मरे हैं ?

श्री सादत अली खां : पहिला आक्रमण ६ फरवरी, १९५५ को हुआ, जिसमें वहां के उच्चतम न्यायालय के एक लिपिक श्री डी० के० धीर, जो एक २० वर्षीय युवक थे की निर्दयता से हत्या की गई। उस दिन से ऐसे कई आक्रमण हुए हैं। मैं माननीय सदस्य को बाद में विस्तत जानकारी दूंगा।

चपड़ा

*२६१२. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में भारत में चपड़े का कुल उत्पादन कितना हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : चपड़े के उत्पादन के ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ; चपड़ा और दानेदार लाख तथा बटन लाख बनाने के लिये कच्चे माल अर्थात लाख की छड़ों के उत्पादन के आंकड़े नीचे लिख जाते हैं :—

१९५३–५४	६,५४,००० मन
१९५४–५५	१०,३३,००० मन

श्री इब्राहीम : इस देश में प्रतिवर्ष कितना चपड़ा पैदा होता है ?

श्री कानूनगो : हम इसको १ मन ३२ सेर कच्ची लाख के लिये १ मन चपड़े के हिसाब से मालूम कर सकते हैं।

श्री इब्राहीम : इस वस्तु के लिये कितनी गवेषणा संस्थायें हैं ?

श्री कानूनगो : रांची में एक संस्था है, जो उपकरणों से अच्छी तरह सुसज्जित है।

श्री केलप्पन : कितना चपड़ा बाहर भेजा जाता है ?

श्री कानूनगो : चपड़े के कुल उत्पादन का केवल १० प्रतिशत से भी कम देश में उपभोग होता है और शेष बाहर भेज दिया जाता है।

प्रेस सम्वाददाता

*२६१३. **श्री चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९५३ और १९५४ में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त करने के लिये भार-

तीय तथा विदेशी प्रेस संवाददाताओं से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये ;

(ख) इनमें से कितन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये गये ; और

(ग) अन्य प्रार्थनापत्रों के रद्द करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९५३ में ८४ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये और १९५४ में ७४।

(ख) १९५३ में ५६ स्वीकृत हुये और १९५४ में ६०।

(ग) संवाददाताओं को मान्यता देने के नियम केन्द्रीय प्रेस मंत्रणा समिति और प्रेस सन्था तथा विदेशी संवाददाता सन्था की कार्यपालिकाओं के परामर्श से बनाये गये हैं। नियमों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—१८९/५५**] नियमों के अनुसार केन्द्रीय प्रेस मंत्रणा समिति जो सिफारिश करती है, पूर्णतः उन्हीं के आधार पर प्रार्थनापत्र रद्द किय जाते हैं।

श्री ए० एम० थामस : क्या मान्यता देने के मामले में भाषा के पत्रों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है और यहीं दिल्ली में बैठे हुये कुछ व्यक्ति गुणावगुणों तथा अन्य दूरवर्ती भागों में पत्र भेजने के सम्बन्ध में निश्चय कर लेते हैं।

डा० केसकर : जहां तक नियमों का सवाल है, माननीय सदस्य नियमों को देख सकते हैं। वे सभा पटल पर रखे जाते हैं। जहां तक भाषा के पत्रों का सवाल है, कोई भी विभेद नहीं है; सबको समान माना जाता है। नियमों की व्याख्या का सवाल हमने केन्द्रीय प्रेस मंत्रणा समिति पर छोड़ दिया है, जो पूर्णतः प्रेस प्रतिनिधियों ही की है और उसमें सरकारी प्रतिनिधि कोई नहीं है, और हम आशा करते हैं कि हम सामान्यतः इस मामले को सावधानी से निपटायेंगे।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार का कहना है कि इन मामलों में सदा बहुमत और स्वतन्त्रता से निर्णय होता है और क्या कोई ऐसे मामले हुये हैं जहां विदेशी संवाददाताओं को अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में अपनी रुचि के अनुकूल खबरें देने के लिये चेतावनी दी गई हो ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री जयपाल सिंह : क्या सरकार ने इस विशिष्ट मामले में प्रेस आयोग की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है या नहीं ?

डा० केसकर : हमने सामान्यतः सिद्धांत रूप में उनको स्वीकार कर लिया है, किन्तु सारे मामले पर बड़ी तेज़ी से विचार किया जा रहा है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या केन्द्रीय प्रेस मंत्रणा समिति में श्रमजीवी पत्रकारों के भारतीय संघ के कोई प्रतिनिधि हैं ?

डा० केसकर : ऐसा होगा; किन्तु माननीय सदस्य ने यहां पर जिसका निर्देश किया उसकी प्रतिशीघ्र कार्यान्विति की जायेगी।

मसूर में सड़कें

***२६१४. श्री वोडयार** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मैसूर राज्य में सड़कें बनवाने के लिये सरकार ने अभी तक कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) इसमें से कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) क्या मैसूर सरकार ने इस काम के लिये कोई अतिरिक्त धनराशि मांगी है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैसूर में सड़क के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा अनुमोदित धनराशि तथा उस सम्बन्ध में खर्च की गई धनराशि को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३७**)

(ग) जी हां, राज्य सरकार ने १२७.२१ लाख रुपये का ऋण मांगा है।

श्री वोडयार : क्या सरकार को मालूम है कि मैसूर राज्य के मालनद क्षेत्रों में, जहां २०० से ३०० इंच तक वर्षा होती है, सड़कें बुरी तरह खराब हो जाती हैं और यातायात की सुविधायें नहीं मिल पातीं ? सरकार ने मालनद क्षत्रों में सड़कें ठीक करने के लिये क्या उपाय किये हैं और उसने मैसूर सरकार को यदि कोई सुझाव दिये हैं, तो वे क्या हैं ?

श्री एस० न० मिश्र : श्रीमान्, मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी प्राप्त करता हूं किन्तु उन क्षत्रों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना, जिनकी वहां बड़ी आवश्यकता है राज्य सरकार का काम है।

मधु-मक्खी पालन

*२६१५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) किन किन राज्यों में तब से अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मधु-मक्खी पालन के विकास के लिये योजनायें चालू की गई थीं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप १९५४-५५ में कितना शहद पैदा किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, बम्बई, से जानकारी प्राप्त की जा रही है और वह यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इस योज़ना के अन्तर्गत जो केन्द्र चुने जाते हैं, वह किस आधार पर चुने जाते हैं ? राज्य सरकारों की सिफ़ारिश ली जाती है या बोर्ड स्वयं उनको चुनता है ?

श्री कानूनगो : राज्य सरकारों की सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जाता है लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि क्लाइमेट और एलिवेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है कि इस नई प्रणाली से जो शहद पैदा होता है वह पुरानी प्रणाली से कितना महंगा पड़ता है और बाज़ार में किस भाव पर बिक सकता है ?

श्री कानूनगो : जो नई प्रणाली से शहद बनता है वह शुद्ध होता है और उसमें मक्खियों का नाश नहीं होता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा होगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है कि हिमालय के क्षेत्रों में शहद बहुत ही शुद्ध और अच्छे परिमाण में होता है, इसलिये उन इलाकों में अधिक से अधिक संख्या में केन्द्र खोले जायं ?

श्री कानूनगो : जी हां, ज़रूर किया जाता है।

पैट्रोलियम के उत्पाद

*२६१६. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ अप्रैल,

१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १७९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष नये शोधनालयों की स्थापना से भारत पैट्रोल, जलाने के तेल तथा पैट्रोलियम के अन्य उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इस साल के दौरान में बम्बई के दोनों नये शोधनालयों में पूरी तरह से उत्पादन होने की आशा है और तब भारत पैट्रोल तथा सम्भवतः जलाने के तेल के सम्बन्ध में भी आत्मनिर्भर हो जायेगा, किन्तु पैट्रोलियम के अन्य उत्पादों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हो सकेगा । अशद्ध तेल को बाहर से आयात करना ही पड़ेगा ।

श्री विश्व नाथ राय : वर्तमान उत्पादन को देखते हुये इन शोधनालयों में कितने प्रतिशत उत्पादन बढ़ जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का वर्तमान उत्पादन से क्या अभिप्राय है । यदि उनका तात्पर्य दिगबोई के शोधनालयों के उत्पादन से है, तो वह बहुत कम है । स्टैन्डर्ड वैकुअम रिफाइनरी कम्पनी तथा बर्मा शेल रिफाइनरी कम्पनी के नाम से विख्यात जो दोनों शोधनालय बम्बई में स्थित हैं, उनकी ११,७४,५३० टन पैट्रोल और १०,४१,९३८ टन जलाने के तेल के उत्पादन की क्षमता है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह निश्चय किया जा चुका है कि नहारखातिया का तेल आसाम में शुद्ध किया जायेगा; यदि नहीं, तो वह तेल कहां शुद्ध किया जायेगा और क्या माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में इस ओर ध्यान दिया है कि भारत पैट्रोल के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : आसाम तेल समवाय की वर्तमान योजनाओं के अनुसार समवाय नहारखातिया में पाया जाने वाले अशुद्ध तेल को दिगबोई के शोधनालय में शुद्ध करवायेगा । वर्तमान प्रश्न नये शोधनालयों के सम्बन्ध में था और अन्तिम रूप से यह बात कहने में कि पैट्रोल और जलाने के तेल के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जायंगे, इस बात का ध्यान रखा गया है कि दिगबोई के तेल क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता क्या है और साथ ही इसको भी देख लिया गया है कि बम्बई के दोनों नये शोधनालयों में काम प्रारम्भ हो गया है ।

श्री ए० एम० थामस : भारतीय उत्पादन का ध्यान रखते हुये क्या मूल्यों में परिवर्तन होने की कोई सम्भावना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

मुद्रणालय

*२६१७. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी भारत में एक नये प्रेस की स्थापना करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्तावित प्रेस के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये एक प्रस्थापना है ।

(ख) स्थान का चुनाव अभी नहीं किया गया है ।

श्री सिद्धनंजप्पा : जो स्थान दृष्टि में हैं, क्या उनमें बंगलौर भी एक है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, श्रीमान् । प्रेस की स्थापना के लिय जिन स्थानों का विचार किया जा रहा है, उनमें बं[illegible] भी एक है ।

श्री मात्तन : क्या केवल संसद् के लिये ही पूरी तरह से एक मुद्रणालय की कोई प्रस्थापना है ; यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्थापना पर विचार करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, यह सुझाव कार्यवाही करने के लिये है ।

सीमा पर धावा

*२६१८ **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया है जहां फीरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे सरदार भगत सिंह का दाह संस्कार हुआ था ;

(ख) क्या उस स्थान की पुनः प्राप्ति के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग) सरदार भगत सिंह का दाह संस्कार प्राचीन कैसरे हिन्द फिरोजपुर पुल की दायीं सीमा के समीप हुआ था, जो फीरोजपुर हेडवर्क्स के दायें सिरे के बांध पर भारतीय सीमा से लगभग दो फर्लांग की दूरी पर है । उस जगह कोई स्मारक नहीं है । पाकिस्तानी सेनाओं ने सीमा पार करके इस क्षेत्र के भारतीय प्रदेश को ७ जून, १९४८ को अपने कब्जे में कर लिया । तब से, उन्होंने उस प्रदेश में अनधिकृत रूप में और अधिक भाग में कब्जा कर लिया है ।

फीरोजपुर हेड वर्क्स के पास भारतीय प्रदेश को छोड़ने के बारे में पाकिस्तान प्राधिकारियों से समय समय पर बातचीत हुई है । इस विषय को उन विषयों की सूची में रखा गया, जो अभी हाल ही में दुबारा बनाई गई भारत-पाकिस्तान संचालन समितियो की चर्चा के लिये थे । चर्चा के दौरान में यह तय हुआ है कि पश्चिमी खण्ड में सीमा यथाशीघ्र निश्चित हो जानी चाहिए । इस प्रश्न पर अभी कोई भी समझौता नहीं हो पाया है कि फीरोजपुर हेड वर्क्स के पास पाकिस्तान भारतीय प्रदेश छोड़ दे, क्योंकि सीमा का कोई अन्तिम निश्चय नहीं हो पाया है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि प्रतिवर्ष २३ मार्च को सरदार भगत सिंह श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ा मेला लगा करता था अब यद्यपि वह स्थान भारत में ही है लोग वहां नहीं जा सकते ?

श्री सादत अली खां : मुझे इसका पता नहीं । मैं अवश्य इसका पता लगाऊंगा ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार यथाशीघ्र कोई कार्यवाही करेगी जिससे अगले वर्ष लोग उस जगह पर सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि भेंट कर सकें ?

श्री सादत अली खां : हमें आशा है कि इस मामले का निबटारा कर दिया जायगा ।

राज्य सरकार के लिये अनुदान

*२६२०. **डा० रामा राव** : क्या **पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय में नियुक्त किये गये कर्मचारियों पर व्यय के लिए दो लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुदान के लिए क्या शर्तें उपबन्धित की गई हैं ; और

(ग) जिन योजनाओं के लिए यह राशि मजर की गई है उनका ब्यौरा क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) यह अनुदान उन कर्मचारियों पर व्यय करने के लिए मंजूर किया गया है जो विस्थापित लोगों के पुनर्वास और सहायता के लिए भारत सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के हेतु सामाजिक कल्याण पुनर्वास निदेशालय में लगाये गये हैं।

डा० रामा राव : यदि कर्मचारियों पर दो लाख रुपये व्यय किये जाते हैं तो इस के अधीन सामाजिक कल्याण पर कितनी राशि व्यय की जानी है ?

श्री जे० के० भोंसले : वेतन पर १५०,००० रुपये और आकस्मिक व्यय ५०,००० रुपये होगा।

डा० रामा राव : क्या इस अनुदान से कुछ अनाथालयों के कर्मचारियों को भी वेतन मिलता है ?

श्री ज० के० भोंसले : जी हां, मैं समझता हूं कि ऐसा है। कस्तूरबा निकेतन नाम का आश्रम है। आधे लड़के लड़कियां अनाथ हैं और आधे निराश्रित महिलाओं के बच्चे हैं।

कपड़े की मिलें

*२६२१. **श्री बालकृष्णन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सहकारी आधार पर कपड़े की कितनी मिलें खोली गई हैं ; और

(ख) इस योजना के अधीन कितने बुनकरों को अंशधारियों के रूप में लिबा गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दो। एक आंध्र में गुंटाकाल में आरम्भ हो चुकी है और दूसरी मद्रास में, तिरुनेवली के स्थान पर स्थापित की जानी है।

(ख) मिलों की उपविधियों के अनुसार केवल मल बनकर सहकारी समितियां और उच्च बुनकर सहकारी समितियां (दोनों सम्बन्धित राज्य में) अंशधारी बन सकती हैं और व्यक्तिगत रूप में बुनकर अंशधारी नहीं बन सकते हैं।

श्री बालकृष्णन : इन मिलों से अंशधारियों और बुनकरों को कितना लाभ होता है ?

श्री कानूनगो : उन्हें धागा कम मूल्य पर मिलता है। स्पष्टतः मुख्य लाभ यह है कि वे कारखानों के स्वयं स्वामी हैं।

श्री बालकृष्णन : क्या बुनकरों को धागा दीर्घकालीन ऋण के रूप में दिया जाता है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं। धागा केवल बुनकर सहकारी समितियों को दिया जाता है। यह नगद दाम पर दिया जाता है और सहकारी समितियां इसे बांट देती हैं।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या दक्षिण भारत में कुछ और कपड़े की मिलें खोलने की प्रस्थापना है ?

श्री कानुनगो : यह सब किसी विशेष राज्य द्वारा इसे संगठित करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

विस्थापित लोगों की आवास व्यवस्था

*२६२२. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **सुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डुडकंडी में विस्थापित व्यक्तियों की आवास व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या यह सच है कि १९५४ में वहां उचित आवास व्यवस्था न होने के कारण बहुत से विस्थापित व्यक्ति मर गये थे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

श्री सुबोध हासदा : क्या यह सच नहीं कि अभी तक डुडकंडी शिविर में विस्थापित व्यक्ति कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहते हैं।

श्री जे० के० भोंसले : इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है।

चाय के नमूने

*२६२४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या यह सच है कि १९५४-५५ में भारतीय चाय बोर्ड को जो ६३९ नमूने मिले थे, उनमें से २८९ नमूने अपमिश्रित और मानवीय उपभोग के अयोग्य पाये गये हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : जनवरी से दिसम्बर १९५४ की अवधि म ९५७ नमूने लिये गये और ६३९ नमूनों का विश्लेषण किया गया जिनमें से २८९ नमूनों में मिलावट थी।

श्री रघुनाथ सिंह : जब टी में इतना एडल्टरेशन हो रहा है तो इस के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की?

श्री कानूनगो : ऐडल्टरेशन रोकना स्टेट की पब्लिक हैल्थ अथारिटीज की ज़िम्मेदारी है, टी बोर्ड ने इसके लिये खास इंस्पेक्टर्स मुकर्रर किये हैं, वह इंस्पेक्टर्स उन पब्लिक हैल्थ अथारिटीज को सहायता देते हैं।

श्री रघनाथ सिंह : जो सैम्पुल्स लिये गये हैं उन म से जिन फर्मों में ऐडल्टरेशेन हुआ है उनके नाम क्या हैं?

श्री काननगो : छोटे छोटे दुकानदारों से।

श्री रघुनाथ सिंह : उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

श्री कानूनगो : उनका प्रासिक्यूशन होता है और कोर्ट में पेश किया जाता है।

श्री बर्मन : चाय में किन पदार्थों को मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है?

श्री कानूनगो : बहुत से पदार्थों का प्रयोग होता है, कभी कभी प्रयोग किये गये चाय के पत्तों का, न तैयार चाय के पत्तों का और डंठलों आदि का मिश्रण होता है।

चाय

*२६२५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय के मूल्य की जो हाल ही में ३।२ रुपय प्रति पाउंड औसत लगाई गई है वह १९५३ के मूल्य से १ रुपया प्रति पाउंड अधिक है ;

(ख) प्रति पाउंड चाय के उत्पादन की औसत लागत क्या है ;

(ग) सरकार ने इस बात का प्रबन्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि श्रमिकों को इस उद्योग की सम्पन्नता का उचित भाग मिले?

वणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) आयात काल में चाय बागान में मजूरी में जो कटौतियां की गई थीं सामान्यत: अब वे पुन: दे दी गई हैं। जहां ये कटौतियां लौटाई नहीं गई वहां के सम्बन्ध में पता लगा है कि इन्हें लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। बागान के श्रमिक अधिनियम को अब क्रमपूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। यह विचार है कि चाय अधिनियम के अधीन प्रति १०० पाउण्ड पर ४ रुपये का जो उपकर लगाया जाता है उसकी आय में से श्रमिक कल्याण उपायों के लिए और निधियों का उपबन्ध किया जाय। अनिवार्य अंशदान भविष्य निधि योजना चाय बागान के श्रमिकों

के लिए चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि चाय के मूल्यों के बढ़ जाने के कारण अंश बाज़ार के बाजार चार गुणा से भी अधिक बढ़ गये हैं ?

श्री कानुनगो : मुझे इसका पता नहीं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उच्च लाभ या अत्यधिक लाभ जमा करके अनिवार्यतः श्रमिक कल्याण के प्रयोजन में लगाया जाये ?

श्री कानूनगो : उत्पादन शुल्क और अन्य करों के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या लंदन चाय बाजार में भाव गिर गये हैं और उस कारण श्री लंका में निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है और क्या इस से भारत से चाय के निर्यात पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री कानूनगो : मुझे अभी इसका पता नहीं

श्री के० पी० त्रिपाठी : सरकार ने १९५२ के आपातकाल में जो महान् सहायता दी थी उस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस बागान अधिनियम के अधीन, जिसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और जो यदि नियोकाओं पर छोड़ दिया गया तो कभी भी कार्यान्वित नहीं होगा, आवास व्यवस्था और अन्य कार्यक्रमों के लिए इस निधि का कुछ भाग नियत किया जाये ?

श्री कानूनगो : उपयुक्त प्राधिकारी आवास व्यवस्था और अन्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं और ४ रुपये प्रति १०० पाउंड उत्पादन शुल्क में श्रमिक कल्याण के कार्यक्रमों का व्यय सम्मिलित है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मंत्री को यह पता लगा है कि सौराष्ट्र जैसे कतिपय राज्यों में सरकार के मंत्री घूम फिर कर चाय के उपभोग का प्रचार कर रहे हैं और उस प्रयोजन के लिए सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों को उपयोग में ला रहे हैं ?

श्री कानूनगो : जो कुछ समाचारपत्रों में आया है उसके अतिरिक्त मुझे कोई जानकारी नहीं

श्री मात्तन : माननीय मंत्री पर इस का क्या प्रभाव पड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पेट्रोल के उत्पाद

*२६३०. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पेट्रोल और पेट्रोल के उत्पादों के लिए एक पूंजीभूत मूल्य निर्धारित करना चाहती है ताकि देश भर में वे एक ही मूल्य पर बेचे जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल समवाय ऐसी प्रस्थापना पर सहमत हो गये हैं ; और

(ग) इस प्रस्थापना को कब तक लागू किया जायेगा ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं श्रीमान् अभी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या अन्य देशों में पत्तन के नगर से दूरी को ध्यान में न रखते हुए पेट्रोल के उत्पाद एक रूप मूल्यों पर बिकते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह सच है कि कुछ देशों में पेट्रोल उत्पादों का पूंजीभूत मूल्य है परन्तु सभी देशों में ऐसा नहीं है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पेट्रोल पर विभिन्न केन्द्रीय और प्रांतीय करों की बजाय देश भर में पेट्रोल के उत्पादों के लिये एक ही एकरूप संग्रहीत कर लगाया जाय ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य का ध्यान कराधान जांच आयोग की सिफारिशों की ओर दिलाता हूं । उन्होंने इस प्रश्न की जांच की है और उन सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : हमारे अपने देश में पेट्रोल के उत्पादों के लिये पूंजीभूत मूल्य निश्चित करने के लिये सरकार को क्या विशेष कठिनाई हो रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उपयुक्त वित्तीय समायोजन के अभाव और उन कमियों को पूरा करने के लिये एक संतुलन विधि के न बनाये जाने के कारण ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार का ध्यान उस प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जो हाल ही में पूर्व यूरोपियन कोयला तथा ईंधन समिति द्वारा प्रकाशित की गई बताई गई है और जिस में कहा गया है कि मेक्सिको की खाड़ी के भावों की समानता के आधार मूल्य निश्चित करने की वर्तमान पद्धति अन्यायपूर्ण है और उस में संशोधन होना चाहिये ; यह उस समिति में रूस, इगलैंड और अमरीका के प्रतिनिधि सम्मिलित थ ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, सरकार इस प्रतिवेदन की सिफारिशों के सम्बन्ध में प्रेस समाचारों को देखा है । सिफारिशों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है । तेल समवायों ने उनका अपना पाठ प्रस्तुत किया है । सरकार सारे मामले पर ध्यान दे रही है ।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*२६३२. **श्री संगण्णा :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों में बसाने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख) जी हां । रौरकेला में एक शहरी बस्ती बसाने, रौरकेला इस्पात संयत्र में विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्त करने और एक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की योजनाएं राज्य सरकार के परामर्श से स्थापित की जा रही हैं ।

श्री संगण्णा : इन लोगों को कम जनसंख्या के क्षेत्रों की बजाय केवल औद्योगिक क्षेत्रों में बसाने का क्या भाव है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं नहीं समझता कि उन्हें वहां क्यों नहीं बसाना चाहिये जहां कि उन्हें इस्पात संयत्र में नौकरी मिल सकती है ।

श्री संगण्णा : क्या ये सब विस्थापित व्यक्ति शिल्पिक प्रशिक्षण प्राप्त हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : वे प्रशिक्ष र्थी हैं । पहला दल १५० परिवारों का था, वे साधारण विस्थापित परिवार हैं । वे विशेषज्ञ नहीं हैं । परन्तु हम जिन १५० छात्रों को प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र में प्रशिक्षण देना चाहते हैं वे प्रशिक्षणार्थी हैं । निस्संदेह

वे जब इस केन्द्र से पास होकर निकलेंगे तो वे विशेषज्ञ होंगे ।

श्री बी० के० दास : कुछ समय पूर्व उड़ीसा में बसाये गये शरणार्थियों की शिकायतों की जांच हुई थीं। जो पधादाधिकारी वहां भेजे गये थे उन की जांच का क्या परिणाम है ?

श्री जे० के० भोंसले : इस के उत्तर के लिये एक पृथक प्रश्न रखा जाय।

श्री संगण्णा : उन विस्थापित व्यक्तियों की वृत्तियां क्या हैं जो पहले राज्य के अन्य भागों में बसाये जा चुके हैं और क्या वे अपनी वृत्तियों में आत्म-निर्भर हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : कुछ आत्मनिर्भर हैं और उन्होंन जो वृत्तियां अपनाई हैं वे व्यापार कृषि और अन्य व्यवसाय हैं ।

डी० डी० टी० कारखाना, दिल्ली

*२६३३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के डी० डी० टी० कारखाने के निदेशक किन सिद्धातों के आधार पर चुने जाते हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सामान्यतः चुनाव उपयुक्तता और क्षमता को ध्यान में रख कर किया जाता है। सरकारी और गैरसरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों को निदेशक बोर्ड में रखा जाता है ; उत्पादन वित्त, उद्योग तथा वाणिज्य और स्वास्थ्य मंत्रालयों के पदाधिकारी निदेशकों म हैं । कारबार और उद्योग में अनुभव रखने वाले गैर सरकारी व्यक्ति भी उसमें हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि इस कारखाने का एक निदेशक उस फर्म से सम्बद्ध है, जिसे इस कारखाने के लिये आर्डर दिये गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : हां । पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक आजकल डी० डी० टी० कारखाने के निदेशालय में हैं, उसके साथ समझौता कम्पनी के बनने से बहुत पहले लगभग एक वर्ष पहले हो चुका था इस समय जहां तक उस कम्पनी और डी० डी० टी० कम्पनी के मामलों का सम्बन्ध है, इन सब चर्चाओं में वह विशिष्ट निदेशक भाग नहीं लेते हैं ।

श्री वेलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कभी इस बात की आवश्यकता समझी गयी थी कि इस निदेशक के स्थान पर, जिसके बारे में जनता को सन्देह है, कोई दूसरा व्यक्ति रखा जाये ?

श्री के० सी० रेड्डी : बोर्ड में उनकी उपस्थिति बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है; वस्तुतः इससे कोई अड़चन या असुविधा नहीं हुई । कुछ समय पहले उन्होंने निदेशक के पद का पदत्याग करने की बात कही थी, पर सरकार ने उनकीं उपस्थिति को उपयोगी समझते हुए उन से काम चलाते रहने के लिये निवेदन किया था ।

कपड़े के थानों का निर्यात

*२६३४. **श्री कासलीवाल :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में बर्मा को भारतीय कपड़े के थानों के निर्यात में कमी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मुख्य कारण यह है कि बर्मा सरकार ने १ अक्तूबर, १९५३ से भारतीय कपड़े के थानों पर लगने वाले आयात शुल्क की वरीयता-दर समाप्त कर दी है ।

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्यात में यह गिरावट ४० प्रतिशत तक है ?

श्री कानूनगो : लगभग इतनी ही ।

श्री कासलीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में, जहां जापानी तथा अन्य माल की प्रतियोगिता चल रही है, हमारे निर्यात का पुनरुद्धार करने के लिय कुछ कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री कानूनगो : एक निर्यात संवर्धन परिषद् बनायी गयी है और इससे विशेष रूप से कहा गया है कि भारत से वस्त्रादि के निर्यात को बढ़ाने के लिये कार्यवाही करे ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह गिरावट मिल के बने कपडे में है या हाथ के बने कपड़े में ?

श्री कानूनगो : प्रायः मिल के बने कपड़े में ।

शहरी पुनर्वास ऋण

*२६३८. **श्री गिडवानी** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जांचे गये दावों के आधार पर उन विस्थापित व्यक्तियों से शहरी पुनर्वास ऋणों के लिये आवेदन मांगे थे, जिनके नाम क्षतिपूर्ति के भुगतान में प्राथमिकता के वर्ग में नहीं रखे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). हां प्राथमिकता-वर्ग में शामिल न किये गये दावे वाले विस्थापित व्यक्तियों को शहरी पुनर्वास ऋण देने से सम्बन्धित आदेश २४ अगस्त, १९५४ को राज्य सरकारों के पास भेज दिये गय थे और राज्य सरकारों ने उस तारीख के बाद आवेदन मांगे थे ।

श्री गिडवानी : बम्बई राज्य में ३१-३-५५ तक कितने आवेदन आये थे और उस तारीख तक कितने आवेदकों को ऋण दिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : ५६२ आवेदन आये थे और १२४ को ऋण दिये गये ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि जब कलक्टर इन ऋणों को देने ही वाले थे, भार सरकार ने आदेश दिया कि भुगतान प्रादेशिक व्यवस्थापन आयुक्तों के द्वारा किये जायें, और फलतः कलक्टरों ने भुगतान रोक कर आवेदन राज्य सरकारों के द्वारा होकर सम्बन्धित व्यवस्थापन आयुक्तों के पास भेज दिये और परिणामतः उनमें से बहुतों को ऋण नहीं मिले और उनका पुनर्वास रुक गया ?

श्री जे० के० भोंसले : ऋण योजना क्षतिपूर्ति भुगतान योजना से सम्बद्ध है, अतः दावेदारों को ऋणों के भुगतान करने के बारे में केवल व्यवस्थापन आयुक्त ही जानते हैं कि कितना ऋण दिया जाये । अतः यह काम पुनर्वास संगठन द्वारा ले लिया गया, पर ऋणों के भुगतान को इससे कोई क्षति नहीं पहुची । वस्तुतः उन्होंने स्वीकृत राशि से २० लाख रुपये अधिक दिये हैं । स्वीकृत राशि ३० लाख थी और उन्होंने ५२ लाख और कुछ हजार रुपयों का भुगतान किया है ।

श्री गिडवानी : मंत्री जी ने कहा कि बहुत से आवेदन अब भी पड़े हुए हैं । क्या सरकार जांच करेगी कि क्या सभी आवेदन निपटाये जा चुके हैं और क्या और अधिक धन आवश्यदक है ?

श्री जे० के० भोंसले : मार्च, १९५५ के अन्त तक के लिये राशि स्वीकृत की गयी थी । पर संसद् ने अभी वित्त विधेयक पारित किया

है और हमें आशा है कि मई के अन्त तक प्रादेशिक व्यवस्थापन आयुक्तों के पास नई स्वीकृतियां पहुंच जायेंगी और तभी भुगतान शुरू हो जायेंगे ।

जल सम्बन्धी योजनायें

*२६४०. **श्री एन० एम० लिंगम्** : **क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुन्दा और बारापोल जल सम्बन्धी योजनाओं के सापेक्ष गुण-दोषों के बारे में किसी निश्चय पर पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो कुन्दा योजना के प्रस्तुत योजना-काल में लिये जाने की सम्भावना कहां तक है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का यह विचार है कि इनमें से एक योजना चुनी जाये या एक को दूसरे के ऊपर प्राथमिकता देने की बात है ?

श्री हाथी : जैसा कि सभा में कुछ समय पहले बताया गया था, पूरे मामले की जांच करने के लिये कि कौनसी योजना बचतपूर्ण होगी और अपनायी जानी चाहिये, तीन इंजीनियरों की एक समिति नियुक्त की गयी थी । समिति ने अपना प्रतिवेदन योजना आयोग के पास भेज दिया है । दोनों सरकारों का मंतव्य मांगा गया था जो आ चुका है । इनमें से अन्तिम २१ अप्रैल १९५५ को आया था । उन पर विचार करने के बाद ही यह निश्चय किया जा सकेगा कि कौन सी योजना ली जाये ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या सरकार को विदित है कि यह प्रश्न विगत एक साल से भी अधिक समय से पड़ा हुआ है, और कुछ और देर करने से राज्य में विशषत: लोगों को रोजगार देने में बड़ी गड़बड़ी होगी ।

श्री हाथी : निश्चय ही । ये योजनायें दूसरी पंचवर्षीय योजना में ली जाने वाली हैं ; और प्रारम्भिक पड़ताल और प्राविधिक परीक्षण किया जा चुका है और अब केवल इसके शामिल करने का निश्चय ही बाकी रह गया है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या यह विचार है कि योजना के काम का पहला भाग दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया जाये, और यदि हां, तो क्या इसमें देर न होगी ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि पूरी योजना के तैयार होने से पहले हम इसे आरम्भ कर देंगे ।

आलवे में उर्वरक कारखाना

*२६४२. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलवे के उर्वरक कारखाने के विस्तार के लिये केन्द्रीय सरकार के पास किस तरह के प्रस्ताव आये हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई विनिश्चय किया है ; और

(ग) क्या विस्तार के लिये कुछ सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एक प्रस्ताव आया है कि लागत कम करने की दृष्टि से विस्तार किया जाये और उत्पादन में विविधता लाई जाये ।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है ।

श्री ए० एम० थामस : मैं जान सकता हूं कि कारखाने की वर्तमान उत्पादन क्षमता

कितनी है और कितना विस्तार करने का विचार है ?

श्री कानूनगो : अमोनियम सल्फेट की वर्तमान उत्पादन सामर्थ्य ४४,००० टन प्रति वर्ष है और सुपर फास्फेट की ४९,५०० टन।

श्री ए० एम० थामस : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि आलवे के उर्वरक कारखाने में उत्पादन लागत अधिक होने से समूहन का मूल्य अधिक रखा गया है और क्या विस्तार द्वारा उसे कम किया जा सकता है ?

श्री कानूनगो : उत्पादन लागत अधिक होने से आलवे के उत्पादन का दाम अधिक रखना पड़ेगा और मुझ आशा है कि विस्तार होने से उत्पादन लागत कम हो जायगी।

श्री ए० एम० थामस : मुझ पता चला है उत्पादन, वित्त और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बहुत पहले वहां गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात में किसी निर्णय पर पहुचने में देर का कारण क्या है ?

श्री कानूनगो : उत्पादन की तकनीक और सम्भावनाओं पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी। इसकी सिफारिश के बाद कम्पनी के साथ बातचीत करनी पड़ी और अब शीघ्र ही निर्णय हो सकेगा।

बेरोज़गारी सर्वेक्षण

*२६४५. **श्री चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में जम्मू और काश्मीर में एक बेरोज़गारी सर्वेक्षण करना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो काम कब तक शुरू होगा ; और

(ग) सर्वेक्षण करने के लिये कितने व्यक्ति लगाये जाने का विचार है और उस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सवक्षण द्वारा नवीं बार किये जाने वाले रोज़गार और बरोज़गारी सवेक्षण में जम्मू और काश्मीर राज्य को भी शामिल किया जायेगा। ब्यौरा विचाराधीन है।

फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी का सामान

*२६४६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३-५४ और १९५४-५५ में देश में बनाये गये फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी के सामान का कुल मूल्य कितना है ;

(ख) देश की कुल आवश्यकता से यह कितना कम रहा ;

(ग) क्या हाल में हुई फिल्म गोष्ठी ने इस बारे में कुछ सिफारिश की है ; और

(घ) स्थानीय उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३८**]

(ग) सरकार को ऐसी किसी सिफारिश का पता नहीं है।

(घ) इस उद्योग का विकास निजी उद्योग खंड के लिये छोड़ दिया गया है और इसमें रुचि लेने वाले लोगों के मांग करने पर सरकार यथा सम्भव सहायता करेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी ने सरकार से कुछ आवेदन किया है ?

श्री कानूनगो : कई वर्ष पहले एक दल में आवेदन किया था, पर पीछे उसे रुचि न रही।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से मुझे पता चलता है कि वर्ष १९५४ में देश में पैदा हुए सोडियम सल्फाइट और सोडियम थिओसल्फेट का मूल्य पहले के वर्षों से बहुत कम है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उत्पादन कम हुआ है या मूल्य ही कम हो गया है ?

श्री कानूनगो : मैं अभी नहीं कह सकता। मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : हिन्दुस्तान में फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी का सामान बन सकता है या नहीं ? और अगर बन सकता है तो क्या सरकार उसके बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है ?

श्री कानूनगो : कैमीकल्स बन रहे हैं और बनने की उम्मीद भी है। लेकिन फिल्म और पेपर की हमारी जितनी मांग है जब तक उससे ज्यादा मांग नहीं होगी तब तक बनाने में नफा नहीं होगा। गवर्नमेंट इस बारे में कोशिश कर रही है, और यह काम प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द किया गया है। जब कोई प्रोपोज़ल आवेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

दामोदर घाटी निगम

*२६४७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) ये योजनायें अतिरिक्त बिजली के उत्पादन के लिए हैं।

(ग) ७·३९ करोड़ रुपये।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये योजनायें योजना आयोग ने स्वीकार कर ली हैं ?

श्री हाथी : योजनायें अब तक स्वीकार नहीं की गयी ह, प्राविधिक परामर्शदात्री समिति द्वारा उनका परीक्षण हो रहा है।

डा० राम सुभग सिंह, क्या मैं प्रस्तावित नवीन योजनाओं की अधिष्ठापित उत्पादन-क्षमता जान सकता हूं ?

श्री हाथी : चौथे सैट के स्थापित होने पर ५०,००० किलोवाट मिलेंगे और कोणार के बनने से ४०,००० किलोवाट। ये बिजली की योजनायें हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कोणार में भूमि के नीचे वाली इस योजना के बनने से के बाद क्या उस क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी सामर्थ्य बढ़ जायेगी ?

श्री हाथी : यह एक बिजली योजना होगी।

श्री बी० के० दास : क्या बोकारो में बिजली का उत्पादन इसमें शामिल है ?

श्री हाथी : नहीं। ५०,००० किलोवाट का अतिरिक्त सैट दूसरी योजना में शामिल करने का विचार है।

भारी विद्युत सामान कारखाना

*२६४८. **श्री एन० एम० लिंगम् :** क्या **उत्पादन** मंत्री उस राज्य का नाम बताने की कृपा करेंगे जहां पर भारी विद्युत् सामान का सरकारी स्वामित्व का कारखाना स्थापित किया जायगा ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : जिस राज्य में प्रस्तावित कारखाना बनेगा, उसका अभी विनिश्चय नहीं किया गया है । परियोजना के लिये नियुक्त होने वाले प्राविधिक परामर्शदाताओं द्वारा सविवरण पड़ताल कर चुकने और अपनी सिफारिशें भेज देने के बाद ही यह निर्णय किया जा सकेगा ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस कारखान का स्थान चुनने के लिय क्या कसौटी अपनाना चाहती है ?

श्री आर० जी० दुबे : इस समय ब्यौरों को लेना बहुत कठिन है । पर सामान्यतः मैं कह सकता हूं कि कच्चे माल का मिलना पहली बात है शिल्पिकों का उपलब्ध होना दूसरी बात होगी । यातायात आदि के प्रश्नों पर भी विचार करना होगा ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या में जान सकता हूं कि स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव करते समय क्या उद्योगों का वितरण करने की नीति के पालन का ध्यान रखा जायेगा ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं ऐसा ही समझता हूं ।

श्री बालकृष्णन् : क्या में जान सकता हूं कि कौन से राज्य में बिजली के वितरण के मीलों की संख्या सबसे अधिक है और किसे बिजली के सामान की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरी समझ से यह प्रश्न योजना मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या देहातों में बिजली लगान की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए इस पर विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

तेल शोधक कारखाने

*२६४९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नये तेल शोधक कारखानों में फालतू वस्तुओं का उपयोग करने की दृष्टि से फैक्टरियां स्थापित करने के लिये सरकार ने कोई निश्चित कार्यक्रम बनाया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : उत्पादन मंत्रालय द्वारा स्थापित उर्वरक उत्पादन समिति अन्य बातों के साथ साथ, तेल शोधक कारखानों की फालतू गैस को कृत्रिम अमोनिया और उर्वरक बनाने के लिये उपयोग में लाने का विचार कर रही है । सम्भव है कि कुछ फालतू गैस तेल शोधक कारखानों में ही काम में आ जाए ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार तेल शोधक कारखानों में उपलब्ध गैस और उसको काम में लाने के लिए स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का पूर्ण अनुमान लगाएगी ?

श्री आर० जी० दुबे : हां, श्रीमान् । मैं बतला दूं कि कुछ दिन पहले सरकार ने स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कम्पनी को पेट्रोल उत्पादन में सुधार करने के लिये तेल शोधक कारखाने में एक कैटेलिटिक पोलिमराजशन यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है और इस बीच उर्वरक उत्पादन समिति उर्वरक बनाने के लिये फालतू गैस का उपयोग करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । कुछ और उपोत्पाद गंधक और टोलूना इत्यादि भी बनाये जा सकते हैं, परन्तु हमें बताया गया है कि बड़ी योजना का ध्यान रखते हुए और उपयुक्त बाज़ार ढूंढने के प्रश्न की दृष्टि से उक्त कम्पनी इन उपोत्पादों का निर्माण आरम्भ करने को तैयार नहीं है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या किसी भारतीय उद्योगपति को इन फैक्टरियों की क्षमताओं के बारे में बताया गया है और क्या उन

उद्योगपतियों को सरकार ने कोई सहायता भी दी है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी, हां ; मैं समझता हूं जहां तक रासायनिक उद्योग से सम्बन्धित फैक्टरियों का सम्बन्ध है, उन्हें कुछ शर्तों पर इस तेल शोधक कारखाने से उपोत्पाद खरीदने की अनुमति दी गई है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार ने इन फालतू वस्तुओं के उपयोग के बारे में तेल शोधक कारखानों के साथ अन्तिम रूप में शर्तें निश्चित कर ली हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि इनमें से कुछ बातें करार में सम्मिलित हैं ।

रुरकेला इस्पात संयंत्र

*२६५१. **श्री संगण्णा** : क्या उत्पादन मंत्री २२ दिसम्बर, १९५४ को रुरकेला इस्पात संयंत्र के लिये पानी देने के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या १५४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से इस विषय में कोई निर्णय हो चुका है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : क्योंकि अभी हीराकुंड बांध परियोजना के मुख्य इंजीयनयर के निदेशाधीन जांच हो रही है, इसलिये इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री संगण्णा : इस मामले का निर्णय होने में कितना समय लगगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इसमें दो या तीन महीने और लग जाएंगे, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सतह का बहाव देखा जा रहा है ।

उद्यान विद्या

*२६५६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मण्डलों में उद्यान विद्या विभागों को क्या मुख्य काम सौंपे गये हैं ;

(ख) उनके द्वारा "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन में कहां तक सहायता मिली है ;

(ग) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा जो खाद निःशुल्क दी जाती है, वह मुख्यतया फूल लगाने के लिये ही दी जाती है ; और

(घ) क्या यह विभाग वितरण क लिए मिली-जुली खाद तैयार करता है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) उद्यान विद्या विभाग के मुख्य कार्य ये हैं :—

(१) सरकारी उद्यानों, घास के मैदानों और सार्वजनिक पार्कों की देखभाल ;

(२) नई दिल्ली नगरपालिका समिति की ओर से सड़क के किनारों के वृक्षों की देखभाल ;

(३) सरकार द्वारा बनाये गये उप नगरों में उद्यान और घास के मैदान लगाना;

(४) उद्यान सम्बन्धी विषयों पर टैक्निकल मंत्रणा देना ।

(५) नई दिल्ली नगरपालिका समिति, अधि-सूचित क्षेत्र समिति, विभिन्न राजदूतावासों, डाक तथा तार विभाग और दिल्ली-स्थित मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (सेना इंजीनियरिंग सेवा) की ओर से उद्यान लगाने का काम करना ।

(ख) उद्यान विद्या विभाग किसी भी व्यक्ति को, जिसे इस चीज़ की आवश्यकता है, टैक्निकल मंत्रणा देता है, और लाभहीन भावना से कीमत पर सब्जियों के बीज और खाद बेचता है ।

(ग) सरकार जो खाद निःशुल्क देती है, वह केवल सरकारी घास के मैदानों, वृक्षों झाड़ियों और झाड़ियों की दीवार, आदि के लिये प्रयुक्त होती है । फूलों और सब्जियों की

खेती के लिये कृषकों को जितनी खाद की आवश्यकता होती है, उसका वे मूल्य देते हैं।

(घ) जी, नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या उद्यान विद्या विभाग के अपने पौदाघर (नर्सरी) और बीजों के भण्डार हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी, हां । एक सरकारी पौदाघर और एक बीजों का भांडार हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या गैर सरकारी मकानों और उनके आसपास की भी उसी प्रकार देखभाल की जाती है जिस प्रकार सरकारी मकानों और उनके आसपास की जाती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : केवल सड़कों या गलियों के सार्वजनिक भाग की देखभाल की जाती है और गैर सरकारी मकानों के बाड़ों और गैर सरकारी उद्यानों की नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि संसद्-सदस्यों और सरकारी अधिकारियों के बंगलों की देखभाल इसी उद्यान विद्या विभाग द्वारा की जाती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह विभाग समस्त सरकारी भूगृहादि की देखभाल करता है और लोगों के अपने व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गैर-सरकारी बंगलों की नहीं ।

सिंचाई की मध्यम और छोटी योजनाएं

*२६५६-क. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की मध्यम और छोटी योजनाओं की सहायता के कार्यक्रम के अधीन चालू वर्ष के अन्दर सरकार का प्रत्यक राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । (**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ३९**)

श्री विश्वनाथ रेड्डी : विवरण में केवल ऋणों के रूप में दी गई सहायता का उल्लेख है । क्या इससे यह समझना चाहिये कि अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी गई है ?

श्री हाथी : इस कार्यक्रम के लिय अनुदान के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सहायता देने से पहले सरकार इस बात का निश्चय करती है कि राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है वह ठीक है और वास्तव में ही कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है ? क्या केवल इन योजनाओं के अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही सहायता दी जाती है ?

श्री हाथी : साधारणतया राज्य सरकारों को अपनी योजनाएं भेजनी पड़ती हैं और उनसे कमी वाले क्षेत्रों को, जिसके लिये काम आरम्भ किया जाता है, प्राथमिकता देन की अपेक्षा की जाती है, और सामान्यतया, हमारे द्वारा योजनाओं के अनुमोदित होने से पूर्व, योजनाओं का परीक्षण किया जाता है कि वे इन कार्यक्रमों में सम्मिलित की जाने योग्य हैं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह धनराशि केवल इकट्ठे अनुदान के रूप में दी जाती है अथवा क्या सब योजनाएं भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की जाती हैं और योजना आयोग द्वारा उनका सूक्ष्म परीक्षण होता है ?

श्री हाथी : प्रगति के आधार पर प्रति वर्ष उनको अनुदान की राशियां दी जाती हैं।

इंजिनियर

*२६०६. **श्री भक्त दर्शन (श्री कृष्णाचार्य जोशी की ओर से)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार ने बर्मा में नौकरी के लिये इंजीनियरों की भरती करने के सम्बन्ध में भारत सरकार से सहायता की याचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५४ में कितने इंजीनियर भरती किय गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां।

(ख) १८०।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन भारतीय इंजीनियर्स को जो बर्मा भेजे गये हैं, किन शर्तों पर भेजा गया है और वहां से लौटने के बाद उनका क्या परिणाम होगा ?

श्री सादत अली खां : कोई खास शर्तें नहीं हैं। बर्मा गवर्नमेंट ने यहां इंजीनियर्स मांगे थे और वे यहां से भेजे गये हैं, उनके यहां लौटने के बाद उनके तजुर्बे से फ़ायदा हासिल किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि भेजने से पहले इस बात की भी जांच पड़ताल की गई है कि उनकी इंजीनियरिंग योग्यता हमारे देश में काम आ सकती है और वह हमारे देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते या नहीं ?

श्री सादत अली खां : यकीनी बात है कि हुकूमत लोगों को यों ही नहीं उठा कर भेज देगी, सब चीजों पर जांच पड़ताल की गई है और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान रखते हुए ही इन लोगों को बाहर भेजा गया है।

कांगड़ा में चाय उद्योग

*२६२८. **श्री भक्त दर्शन** : **(श्री हेमराज की ओर से)** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १५ नवम्बर १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिला में चाय उद्योग के विकास के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिये पंजाब सरकार की प्रार्थना पर तबसे कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख) यह समझा जाता है कि अभी चाय बोर्ड इस पर विचार कर रहा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने समय से इस पर विचार किया जा रहा है और अभी कितना और समय निर्णय करने में लगेगा ?

श्री कानूनगो : पंजाब सरकार से हाल ही में इस सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है और इसी महीने में पठानकोट में मीटिंग हो रही है जिसमें इस बारे में फैसला किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कांगड़ा की तरह देहरादून के चाय बागीचों की हालत भी बहुत गिरी हुई है और क्या उसको सुधारने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : कांगड़ा के चाय बागीचों की हालत नीलगिरी और आसाम के चाय बागानों की सी नहीं है, वहां तो छोटी छोटी रैयतों के बागीचे हैं और यह ठीक है कि उनकी हालत बुरी है, लेकिन जब पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम चालू होगी तो उससे उनको कुछ फ़ायदा होगा।

हथकरघा उद्योग

*२६५३. **श्री भक्त दर्शन (श्री हेमराज की ओर से)** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतान की कृपा करेंग कि :

(क) सन् १९५४ में ऊनी और रेशमी हथकरघा उद्योग के विकास के लिये विभिन्न राज्यों से कितनी योजनाएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) कितनी योजनाएं अनुमोदित हुई हैं और उनमें से प्रत्येक को ऋण या सहायता के रूप में पृथक्-पृथक् कितनी सहायता दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) राज्यों की योजनाएं सीधे अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को भेजी जाती हैं । यह समझा जाता है कि १९५४–५५ के अन्दर बोर्ड के पास ६२ योजनाएं आई हैं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४०**]

श्री भक्त दर्शन : इस सम्बन्ध में कुल कितनी रक़म निश्चित की गई है और क्या अभी भी कुछ आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : सारी स्कीमों पर विचार किया जाता है और बोर्ड जिस स्कीम को मुनासिब समझता है उसके लिए पैसा मंजूर करता है पहले से कोई एक रक़म नहीं रक्खी जाती है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि हिमालय के क्षेत्र में केवल एक ऊन का ही एसा उद्योग धंधा है जिससे वहां के हज़ारों लोगों का जीवन-निर्वाह होता है और क्या इस सम्बन्ध में बोर्ड कोई विशेष कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री कानूनगो : हिमाचल प्रदेश की सरकार जो स्कीम पेश करेगी, बोर्ड उस पर गौर करेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत-सिक्किम सन्धि

*२६०९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४९ की भारत-सिक्किम सन्धि में संशोधन करने की मांग हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन रूपभेदों का सुझाव दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख) सरकार को ऐसी किसी मांग का पता नहीं है ।

सीमेंट का कारखाना

*२६१९. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्यप्रदेश के रायपुर ज़िले में सिलयारी के समीप सीमेंट फैक्टरी खोलने के लिय अन्तिम रूप में योजना बना ली है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या स्वरूप है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हथकरघा कारखाने

*२६२३. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपकर निधि में से मद्रास राज्य के हथकरघा कारखानों को कितनी सहायता दी गयी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : सरकार की नीति यह है कि वह केवल औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को ही वित्तीय सहायता दे। इसी आधार पर, मद्रास राज्य में सहकारी संस्थाओं को खरीदने और चलाने के लिए मद्रास सरकार को १५४,५४० रुपये की मंजूरी दी गयी है।

भारतीयों का देश निकाला

*२६२७. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३ और १९५४ में किन्हीं भारतीय राष्ट्रजनों को विदेशों से निर्वासित करके भारत में भेजा गया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों से उन्हें निर्वासित किया गया था और किन किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४१)** अननुमत प्रवेश के आधार पर जिन व्यक्तियों को श्रीलंका से निर्वासित किया गया है, उनके सम्बन्ध में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। मलाया और सिंगापुर से जिन भारतीय राष्ट्रजनों को १९५३ और १९५४ में निर्वासित किया गया था, उन सम्बन्ध में जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

व्यापार शिष्टमंडल

*२६२९. **श्री आर० पी० गर्ग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने, भारत के कृषि सम्बन्धी पठ्यों को विदेशों में बेचने के लिए विदेशी बाज़ारों की खोज करने के उद्देश्य से व्यापार शिष्टमण्डलों को विदेशों में भेजने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये शिष्टमंडल कब भेजे जाएंगे ; तथा

(ग) ये शिष्टमंडल किन किन देशों को भेजे जाएंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). भारत सरकार ने अभी हाल में ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है। नीति के रूप में, इस प्रकार के शिष्टमण्डल या प्रतिनिधि मण्डल केवल किन्हीं विशेष अवसरों पर किन्हीं विशेष कार्यों के लिए ही भेजे जाते हैं।

इंजीनियरिंग सामर्थ्य सवक्षण समिति

*२६३१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग सामर्थ्य सर्वेक्षण समिति ने अपने कार्य की प्रथम अवस्था के सम्बन्ध में जो अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : माननीय सदस्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा २६ अगस्त, १९५४ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १७४ के अनुपूरकों के उत्तर को, और १५ अप्रैल, १९५५ को मंत्रालय के लिए अनुदान पर वाद-विवाद के समय दिए गए उत्तर को देखें। उस समय ऐसा कहा गया था कि इंजीनियरिंग सामर्थ्य समिति के प्रतिवेदन अभिसमय के ढंग के नहीं, अपितु उनमें सरकार को इस विषय में परामर्श दिया गया है कि किस प्रकार से उद्योगीकरण को उन्नत किया जा सकता है और अपने सामर्थ्य के अनसार किस प्रकार से अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत इकाइयों के सम्बन्ध में जानकारी गोपनीय है।

तिलैया बंध

*२६३६. **बाबू रामनारायण सिंह :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक तिलैया बंध (दामोदर वादी परियोजना) से सिंचाई के कामों के लिए नहरें आदि बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : निगम ने तिलैया पानी से सिंचाई करने के सम्बन्ध में कई योजनाएं बनाई थीं, परन्तु उनकी बहुत अधिक अतः प्रतिशेधक कीमतों के कारण इन योजनाओं को छोड़ देना पड़ा। निगम ने अब एक ऐसी योजना बनाई है कि १०,००० एकड़ भूमि के लिए खरीफ़ सिंचाई की व्यवस्था की जाए और ७,५०० एकड़ भूमि के लिए रबी सिंचाई की व्यवस्था की जाए, और इस पर लगभग ४०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च आएगा। क्योंकि अभी तक किसी भी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः सिंचाई नहरों के निर्माण-कार्य में प्रगति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

वृत्तान्त चित्र

*२६३७. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा तैयार कराए गए वृत्तान्त चित्रों में से कितने प्रतिशत प्रलेख चित्र अंग्रेज़ी में हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सिनमाओं में वाणिज्यिक दृष्टि से दिखाए जाने के लिए फिल्म विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रलेख चित्रों के साथ अंग्रज़ी, हिन्दी, बंगला तामिल और तेलुगु इन सभी भाषाओं में भाष्य तैयार किए जाते हैं।

जो तो पंचवर्षीय योजना के लिए समन्वित प्रचार कार्यक्रम के अधीन तैयार किए गए प्रलेख चित्रों के साथ निम्नलिखित आठ अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में भाष्य होते हैं :—आसामी, गुजराती, कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और पंजाबी। इस प्रकार से कुल १३ भाषाएं हैं।

सिंचाई योजनाएं

*२६३९. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष के लिए अपनी मुख्य सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी राशि मांगी है ; तथा

(ख) उसके लिए कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य सरकार से अभी तक १९५५–५६ के लिए ऋणों के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना नहीं आई है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ऊनी क़ालीन उद्योग

*२६४१. **श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊनी क़ालीन उद्योग को पुनःस्थापित करने के लिए आन्ध्र राज्य के १९५३–५४ और १९५४–५५ के दौरान यदि कोई राशि दी गयी थी तो वह राशि कितनी थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : १९५३–५४ और १९५४–५५ के दौरान ऊनी क़ालीन उद्योग के लिए आन्ध्र सरकार को कोई अनुदान अथवा ऋण नहीं दिया गया है।

कार्यक्रम मंत्रणा समिति

*२६४३. **श्री बूवराघस्वामी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि कार्यक्रम मंत्रणा समिति के सदस्यों के संवरण के लिए कौनसी नीति अपनाई गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : कार्यक्रम मंत्रणा समितियों के लिए सदस्य उन व्यक्तियों में से संवरित किए जाते हैं जिन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में निपुण समझा जाता है, और विशेषतः ऐसे व्यक्ति जो कि सांस्कृतिक कार्यों से सम्बन्धित ह, जो कि प्रसारण में बड़ी रुचि रखते हैं और केन्द्रों से प्रसारित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए लाभदायक सुझाव दे सकते हैं।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

*२६४४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने, राज्य में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कार्य को चलाने वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के सम्बन्ध में कोई शिकायत भेजी है ; तथा

(ख) यदि हां, तो किस किस वर्ग के लिए ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

*२६५०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने में सल्फेट के वास्तविक भण्डार और रोकड़ शेष के बीच के अन्तर के बारे में जांच पूरी हो चुकी है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). जी नहीं; मामला अभी तक समवाय के विचाराधीन है ।

गवेषणा केन्द्र (हीराकुड)

*२६५२. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि अभी तक हीराकुड गवेषणा केन्द्र पर कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : मार्च, १९५५ के अन्त तक लगभग १५,०८,२०० रुपये ।

उत्तर कृष्णा परियोजना

*२६५४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हैदराबाद राज्य ने उत्तर कृष्णा परियोजना, जिसे नया भगवती परियोजना कहते हैं, को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना भेजी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): जी नहीं, यों तो हैदराबाद सरकार से राययुर ज़िले में उत्तर कृष्णा नदी के उस पार की 'उत्तर कृष्णा (जलद्रुग) परियोजना' नाम की योजना प्राप्त हुई है ।

बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण (संशोधन) अधिनियम

*२६५५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री २६ नवम्बर, १९५४ को पूछ गय तारांकित प्रश्न संख्या ४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण (संशोधन') अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों के अनुसरण में कितन भारतीय भूस्वामियों को प्रतिकर दिया गयाहै ; तथ

(ख) कितने मामले अभी तक निलम्बित पड़े हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). बर्मा सरकार ने अभी तक किसी को भी प्रतिकर नहीं दिया है। वास्तव में, उस सरकार ने अभी तक प्रतिकर के लिये दावे स्वीकार करने प्रारम्भ ही नहीं किये हैं ।

लेखन सामग्री और मुद्रण की वस्तुएं

*२६५७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ५०,००० रुपयों से अधिक मूल्य वाली लेखन सामग्री और मुद्रण सम्बन्धी वस्तुओं को खरीदने के सम्बन्ध में कौनसी प्रक्रिया अपनाई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : ऐसे सामान के लिए खुले टेंडर मांगे जाते हैं, सिवा ऐसी वस्तुओं के जिन के संभरण सेट सीमित हैं, अथवा जोकि केवल एक ही व्यक्ति से प्राप्त हो सकती हैं ऐसी वस्तुओं के लिये सीमित टेंडर मांगे जाते हैं । सब से कम कीमत लगाने वाला टेंडर स्वीकार कर लिया जाता है, जब तक कि उस टेंडर भेजने वाले के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट न आई हो कि वह निर्धारित समय के अन्दर और निश्चित प्रकार की वस्तुएं संभरित नहीं किया करता।

विश कार्य नियुक्त पदाधिकारी

१०७१. **श्री वोडयार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गीत तथा नाटक के लिए नियुक्त किए गए विशेष कार्य-नियुक्त पदाधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं ;

(ख) उसकी पदावधि कितनी होती है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए कोई प्रादेशिक न्यायालय भी काम कर रहे हैं ; तथा

(घ) यदि हां, तो किस किस स्थान पर ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) इस पदाधिकारी, जिसे गीत तथा नाटक का निदेशक कहते हैं, का कर्तव्य यह है कि वह नाटकों और गीतों, जिनमें हरि कथा और बड़ी कथा आदि भी सम्मिलित हैं, के मध्यम से सारे देश में पंचवर्षीय योजना के कार्यों का प्रचार करे।

(ख) इस की पदावधि २९ फरवरी, १९५६ तक है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। तो भी इस मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सभी प्रादेशिक पदाधिकारी और क्षेत्र प्रचार पदाधिकारी उस निदेशक की सहायता करते हैं और वह निदेशक राज्य की संस्थाओं के सहयोग में कार्य करता है।

गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

१०७२. **श्री वोडयार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में देवनगिरि नगरपालिका के सभापति ने शहर की गन्दी बस्तियों के हटाए जाने और वहां श्रमिकों के लिये मकान बनाए जाने की कोई योजना भजी है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) क्या सहायता दी गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विस्थापित व्यक्ति

१०७३. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने वर्ष १९४७ के पश्चात् जम्मू व काश्मीर राज्य से भारत के अन्य राज्यों में, राज्यवार प्रव्रजन किया ;

(ख) उनमें से कितनों को भारत के विभिन्न राज्यों में फिर से बसाया जा चुका है ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उचित समय में सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति

१०७४. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :** क्या पुनर्वास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितनी निष्क्रान्त सम्पत्ति है और अनुमानतः इसका कुल मूल्य क्या है ;

(ख) उन सम्पत्तियों की संख्या क्या है जिन पर कार्यवाही आरम्भ की गई है और जिन्हें अन्त में निष्क्रान्त सम्पत्ति नहीं घोषित किया गया या जिन पर कार्यवाही बन्द कर दी गई और उनके मूल्य का क्या अनुमान है ; और

(ग) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत अभी कितने मामलों का निर्णय किया जाना शेष है और इन मामलों के अन्तिम निबटारे के लिये कितना समय निश्चित किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) कृषि भूमि—१६,४९१ एकड़

मकान और प्लाट—३९४५

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निष्क्रान्त सम्पत्ति का मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उसके अनुकूल फल प्राप्त न होगा ।

(ग) १०६ मामले । समय निश्चित नहीं किया गया है पर पदाधिकारियों को इन्हें शीघ्र निबटाने के लिये निदेश दिये गये हैं ।

रंगाई के सामान का उद्योग

१०७५. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रंगाई के सामान का उत्पादन करने में यंत्रणा देने के लिये किसी विदेशी विशेषज्ञ को नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका नाम और वह किस देश का है ; और

(ग) उनकी सेवाओं का कैसे उपयोग किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) श्रीमान्, अभी तक कोई नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पटसन पर विक्रय कर

१०७६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पटसन पर से विक्रय कर हटाने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) पटसन जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में से एक यह थी कि राज्य सरकारों को कच्चे पटसन पर विक्रय कर अथवा इस प्रकार के अन्य कर नहीं लगाने चाहियें। इस पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा पारित किये गये संकल्प संख्या १४ (३) पटसन-५४, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५४ के द्वारा, जिसकी एक प्रति ६ दिसम्बर, १९५४ को सभा पटल पर रखी गई थी, राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया था।

(ख) राज्य सरकारों के साथ किये गये सरकारी पत्र व्यवहार का ब्यौरा बताना लोकहित में नहीं होगा।

अमेरिका से आयात

१०७७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि वर्ष १९५३ और १९५४ में अमेरिका से कौन कौन सी और कितने मूल्य की वस्तुयें आयात की गईं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४२**]।

हथकरघे

१०७८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब और पैप्सू राज्यों में इस समय कितने हथकरघे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : सूचना मिली है कि पंजाब में लगभग ५२,००० और पैप्सूमें लगभग

कुटीर उद्योग

१०७९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि गत तीन वर्ष में (वर्षानुसार) कुटीर, उद्योगों के विकास के लिये पंजाब सरकार को ऋण और आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४३**]

औद्योगिक आवास योजना

१०८०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) पंजाब सरकार, (२) नियोजकों और (३) सहकारी समितियों को औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकान बनाने के लिये अर्थ सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत ऋण या अर्थ सहायता के रूप में अब तक कितनी राशि दी गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है[**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४४**]

आइज़नहोवर छात्रवृत्तियां

१०८१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय विद्वानों को आइज़नहोवर छात्रवृत्तियां मिलीं और वे अध्ययन के लिये अमेरिका गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो आजकल अमेरिका में ऐसे कितने विद्वान् हैं ;

(ग) प्रत्येक विद्वान् को कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(घ) उन्हें किस प्रकार चुना गया था ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) तथा (ख): अमेरिका के लिये विद्वानों या विद्यार्थियों के शिष्टमंडल का प्रबन्ध आइज़नहोवर—कार्यक्रम नहीं करता। यह अमेरिका में उन क्रियात्मक व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये विचार करता है जिन्होंने स्वयं चुने हुए कार्यक्षत्र में अपने काम द्वारा यह दिखा दिया है कि वे संभावित नेता हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५४–५५ में लोको-मोटिव बनाने में विशष प्रशिक्षण के लिये रेलवे मंत्रालय के एक अधिकारी की नियुक्ति अमेरिका के लिये हो चुकी है।

(ग) आइज़नहोवर संस्था चुने हुए उम्मेदवारों की सारी यात्रा, रहन-सहन एवं आकस्मिक खर्चों को देती है।

(घ) उम्मेदवार योजना कमीशन द्वारा सम्बन्धित टैक्निकल मंत्रालयों की सिफारिशों के आधार पर चुने जाते हैं।

कृषक संरक्षण विधेयक

१०८२. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा सरकार को अपने कृषक संरक्षण विधेयक, १९५५ में इस सम्बन्ध में एक उपबन्ध भी सम्मिलित करने के लिये कहा है कि इस विधेयक के अधिनियम से पूर्व बेदखल किये गये कृषकों को पुन : स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान विधान के अन्तर्गत ३३ एकड़ से कम भूमि के मालिकों के कृषकों को भूमिपति अपनी इच्छा से बेदखल कर सकता था। सम्भव था कि अब तक कई कृषक बेदखल किये जा चुके होते। अत: बेदखल किये गये कृषकों को पुन: स्थापित करना उचित समझा गया ताकि प्रस्तावित विस्तृत विधान से उन्हें भी लाभ पहुंचे।

विस्थापित व्यक्ति

१०८३. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण कार्य में भाग लेने के लिये बहुत से विस्थापित व्यक्ति फरीदाबाद उपनगर से दिल्ली लाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो फरीदाबाद से उन्हें दिल्ली लाने और ले जाने पर प्रतिदिन कितना खर्च होता है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज०के० भोंसले): (क) जी हां।

(ख) लगभग १५०० रु० प्रतिदिन।

फरीदाबाद उपनगर

१०८४. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२–५३ और १९५३–५४ में फरीदाबाद उपनगर के बिजली घर को चलाने पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) इन्हीं वर्षों में बिजली घर से जो बिजली (इनर्जी) उपभोक्ताओं को दी गई, उससे सरकार को कितनी आय हुई ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) बिजली घर के चलाने पर निम्नलिखित व्यय हुआ है :—

		रु० आ० पा०
	१९५२–५३	४,७४,८७७ १२ २
	१९५३–५४	६,९९,५५० ६ ७
(ख)	१९५२–५३	२,५७,२८८ ८ ६
	१९५३–५४	२,३८,२१६ १ ६

विकास योजनायें

१०८५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मई, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २२१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा खादी, गुड़, और खंडसारी के विकास के लिये भेजी गई योजना, जो विचाराधीन थी, के सम्बन्ध में तब से कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): (क) तथा (ख). १९५४–५५ में उत्तर प्रदेश की सरकार को उसकी गुड़ और खंडसारी योजनायें क्रियान्वित करने के लिये धन देना स्वीकार किया गया है, इसका विवरण इस प्रकार है :—

विवरण	स्वीकृत राशि
सुधरे हुए उपकरण इत्यादि का प्रयोग चालू करने के लिये सहायता	८,२००
५० कारीगरों का शिक्षण	३,५००
सुधरे हुए ढंग की भट्टियां बनाने वाले कारीगरों को पारिश्रमिक	१,५००
प्रचार और प्रकाशन	१,०००
कर्मचारीगण (निर्देशन विकास और विविध कार्य)	३०,०००
योग	४४,२००

जहां तक खादी का सम्बन्ध है उसके लिये धन की सहायता सीधी बोर्ड द्वारा दी जाती है। खादी बोर्ड ने बताया है कि १९५४–५५ में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ऋण, अनुदान अथवा सहायता नहीं दी गई है।

जस्त की चादरें

१०८६. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उड़ीसा राज्य में जस्त की चादरों की कमी है और इसी कारण विकास कार्यक्रम में रुकावट पैदा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (आसाम)

१०८७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार का पुनर्वास विभाग का कार्यालय सब अभिलेखों समेत जल कर राख हो गया है ; और

(ख) इन परिस्थितियों में संघ सरकार विस्थापित व्यक्तियों को आसाम में पुनः बसाने की जांच को कैसे जारी रखेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ; जिस इमारत में यह विभाग और अन्य सरकारी कार्यालय थे जल कर नष्ट हो गई थी।

(ख) राज्य में विस्थापित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का भुगतान जारी रखने के विचार से राज्य सरकार ज़िलों से जानकारी एकत्र करने के लिये कार्यवाही कर रही है। उन मामलों को जारी रखने के लिये जिनका वे पहले निबटारा कर चुके हैं वे पुनः फाइलें और अभिलेख तैयार कर रहे हैं।

राजन्द्र नगर के मकानों का विक्रय

१०८८. बाबू रामनारायण सिंह : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने राजेन्द्र नगर, दिल्ली में एक कमरे वाले और दो कमरे वाले मकानों का निर्धारित मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या कारण है कि प्रतिकर देते समय उपरोक्त क्वार्टर उन लोगों को खरीदने नहीं दिये जा रहे हैं जिन्ह वे आवंटित किये गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) भूमि के मूल्य समेत एक कमरे वाला मकान ३४०४ रु० और ३७९७ रु० के बीच और दो कमरे वाला मकान ४९२२ रु० और ५४७३ रु० के बीच।

(ख) निर्माण अर्द्ध-स्थायी रूप में किया गया है और मकानों को इनके वर्तमान स्वरूप में रखने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

तुंगभद्र परियोजना

१०८९. श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुंगभद्र उच्चतल नहर के निर्माण के बारे में कुछ बातों पर आंध्र और मैसूर की सरकारों में मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) इस मतभेद को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित बातों पर मतभेद है :

(१) फालतू पानी को परियोजना के मसूर और आंध्र खंडों में बांटना और इसकी लागत में हिस्सा देना।

(२) उच्चतल नहर के लिये उपलब्ध पानी की अपर्याप्त मात्रा।

(ग) इन मतभेदों को दूर करने के लिये एक अन्तर्राजवीय सम्मेलन करन का विचार है।

खादी की हुंडियां

१०९०. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ सितम्बर, १९५४ से ३१ मार्च, १९५५ तक डाक घरों के द्वारा खादी की कुल कितनी हुंडियां बेची गईं ; और

(ख) इस प्रकार कितनी राशि एकत्र हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (ी कानूनगो) : (क) तथा (ख), ४४,६३८ रु० की खादी की हुंडियां बेची गई हैं।

आवास स्थान

१०९१. चौधरी मुहम्मद शफ़ी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिये जम्मू नगर में भारत सरकार द्वारा कितने मकान बनाये जा चुके हैं ;

(ख) उन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ग) क्या भारत सरकार को जम्मू नगर (जम्मू काश्मीर) में निवास स्थान की अत्यधिक तंगी से उत्पन्न होने वाली उन के कर्मचारियों की कठिनाइयां मालूम हैं ;

(घ) जम्मू नगर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने आवास सम्बन्धी क्या सुविधाएं प्रदान की हैं ;

(ङ) राज्य सरकार और निष्क्रान्त सम्पत्तियों के अतिरिक्त के स्वामित्वाधीन मकानों से केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों को निकाला जा चुका है ; और

(च) क्या जम्मू नगर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधायें प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) से (च) संचार मंत्रालय को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के कमचारियों की जम्मू नगर में अधिक संख्या नहीं है, और संचार मंत्रालय के जम्मू स्थित कर्मचारियों के लिये पर्याप्त संख्या में मकान बनाने का प्रस्ताव संचार मंत्रालय के विचाराधीन है । वास्तविक निर्माण कार्य संचार मंत्रालय द्वारा आवश्यक मंजूरी दिये जाने के पश्चात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ किया जाएगा ।

इंजीनियरी कालिज (उड़ीसा)

१०९२. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये उड़ीसा में इंजीनियरी कालिज के सम्बन्ध में को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कलिज की प्रस्तावित लागत क्या है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) योजना आयोग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नमक के लिये नाम-निर्देश-पद्धति

१०९३. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में नमक के लिये नाम-निर्देश-पद्धति प्रचलित है ; और

(ख) इस का क्या कारण है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जिन राज्यों में नमक के लिये नाम-निर्देश-पद्धति प्रचलित है और जिस मात्रा तक प्रचलित है, उसका ब्यौरा देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ख) वस्तु नियंत्रण समिति ने सिफारिश की थी कि नमक के लिये नाम-निर्देश पद्धति को धीरे धीरे समाप्त करना चाहिये । सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया और राज्य सरकारों से इसे कार्यान्वित करने की प्रार्थना की । परिणामस्वरूप, कुछ राज्य सरकारों ने नाम-निर्देश-पद्धति को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, जब कि कुछ राज्य सरकारों ने प्रयोग के लिये इस नाम-निर्देश-पद्धति को अंशतः समाप्त करना स्वीकार कर लिया है । जिन राज्यों में प्रयोग के लिय यह पद्धति अंशतः समाप्त हुई है, वे इसके संचालन से कुछ अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् पुनर्विचार करेंगे और इस बात का निर्णय करेंग कि आया इस पद्धति को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए ।

ट्रैक्टर

१०९४. **श्री सारंगधर दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ अप्रैल १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या १८०५ के प्रति दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पुर्जे जोड़ कर तैयार किये जाने वाले फरगूसन और डैविड ब्राउन ट्रक्टरों के मुका ले में विभिन्न कारखानों के

२५ से ३० अश्व-शक्ति वाले ट्रक्टरों का फ़ुटकर मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : कतिपय लोकप्रिय कारखानों के ट्रक्टरों के चालू फ़ुटकर सूची मूल्य, जो सरकार को भेजे गये हैं, सम्बद्ध विवरण में दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४६]**

सड़क कूटने वाले इंजिन

१०९५. श्री सारंगधर दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ अप्रैल १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या १८२८ के प्रति दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेल्को कारखाने के कर्मशाला में अब तक कुल कितने सड़क कूटने वाले वाष्प-चालित इंजिन बनाये गय हैं ;

(ख) प्रति इंजिन क्या मल्य दिया गया है ;

(ग) क्या भारत सरकार और इंग-लिस्तान के इंजिन निर्माण करने वाले सार्थ के बीच इस सार्थ के एकस्व अधिकारों का उपयोग करने के बारे में कोई करार हुआ था ;

(घ) यदि हां, तो इस करार के क्या निबन्धन थे और एकस्व का उपयोग करने के लिये क्या स्वामित्व दिया गया था ; और

(ङ) जब यह करार किया गया था क्या उस समय यह सार्थ वाष्प चालित सड़क कूटने वाले इंजिन बना रहा था ; और यदि हां, तो किन के लिये ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ९५० ।

(ख) सरकार इस समय लागत की जांच पड़ताल कर रही है, और जांच पूरी हो जाने के पश्चात् अन्तिम मल्य निश्चित किया जाएगा । प्रति इंजिन अस्थायी मल्य ३७,५०० रुपये है ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) गेन्ज़बारो के मसर्ज़ मार्शल के साथ किये गये संविदा के अनुसार, सरकार ने वाष्प-चालित सड़क कूटने वाले इंजिनों से सम्बन्धित उनके निर्माण अधिकार अधिग्रहण कर लिये हैं और आशा की जाती है कि वह ९५० इंजिनों के लिये प्रति इंजिन १०० पौंड के लगभग मूल्य देगी ।

(ङ) हां, श्रीमान् । समस्त निर्यात बाजारों के लिये ।

सरकारी विज्ञापन

१०९६. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय हिन्दी समाचार पत्र सम्मेलन द्वारा पास किये गये इस संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है कि जहां तक सरकारी विज्ञापनों का सम्बन्ध है, अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओं के समाचार पत्रों के साथ एक ही सा व्यवहार किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कायवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख) सरकारी नीति, अंग्रेज़ी और देशी भाषाओं के पत्रों के साथ एकसा व्यवाहर करन की है । विज्ञापन देते समय पत्रों की ग्राहक-संख्या और विशष प्रकार के विज्ञापनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है । वास्तव में, सरकार देशी भाषाओं के पत्रों को अधिक विज्ञापन देने पर ज्यादा ज़ोर दे रही है । जिन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इस मंत्रालय ने विज्ञा-पन दिये, उनकी संख्या १९५३–५४ में २६०

थी (६८ अंग्रेज़ी के और १९२ हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं के), जो १९५४–५५ में बढ़ कर ३५२ हो गयी (९१ अंग्रेज़ी के और २६१ हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं के)।

हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र (रुरकेला)

१०९७. **श्री निरंजन जेना :** क्या **उत्पादन** मंत्री ६ अप्रैल, १९५५ को अतारांकित प्रश्न संख्या ६१८ के प्रति दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र सीमित रुरकेला में प्रत्येक श्रेणी में कितने शिल्पिक और अशिल्पिक व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : प्रत्येक श्रेणी में शिल्पिक और अशिल्पिक व्यक्तियों की नियुक्ति सम्बन्धी ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	शिल्पिक	अशिल्पिक	योग
प्रथम श्रेणी	१८	१०	२८
द्वितीय श्रेणी	१६	८	२४
तृतीय श्रेणी	५१	११२	१६३
चतुर्थ श्रेणी	—	७३	७३
	८५	२०३	२८८

नदी घाटी और सिंचाई परियोजनायें

१०९८. **श्री बी० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ के अन्त तक नदी घाटी और सिंचाई योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश की सरकार को कितना ऋण दिया गया, उस ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(ख) चालू वर्ष में इस शीर्ष के अधीन मध्य प्रदेश की सरकार के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)) : (क) सिंचाई की बड़ी योजनाओं के लिए सन् १९५४–५५ के अन्त तक ६६.८८ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस रुपये पर ४ प्रति शत सालाना की दर से ब्याज़ लगेगा और मूल तथा ब्याज़ की अदायगी ७ बराबर की किश्तों में की जायगी। अदायगी सन १९५८–५९ से शुरू होगी, तब तक केवल ब्याज़ ही देना होगा।

(ख) सन १९५५–५६ में अभी तक कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

हिन्दुस्तान जहाज़ निर्माण कारखाना समिति

१०९९. **डा० लंका सुन्दरम् :** क्या **उत्पादन** मंत्री निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) सोसिएते एनॉनीम देज़ातलिए ए शांन्तिपर दला लवार के साथ हुए करार के अन्तर्गत, प्रारम्भ में बलाये गये फ्रेंच विशेषज्ञों की संख्या, उनके नाम और उनकी योग्यताएं क्या हैं ;

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) अब तक उनको कितना कमीशन और अन्य पारिश्रमिक दिया जा चुका है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४७]**

संसद् सदस्यों के बंगले

११००. **श्री इब्राहीम :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों के बंगलों म जो बिजली लगी हुई है उसे ए सी० में बदलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) कारण ये हैं :—

(१) वर्तमान डी० सी० बिजली की वितरण व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ पड़ा हुआ है और यह अतिरिक्त विद्युत् शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती ।

(२) वर्तमान डी० सी० व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ेगा ।

(३) वर्तमान बिजली का सामान, जो साधारणतया ए० सी० नमूने का बनाया जाता है, अधिक सरलता से मिल जाता है और कम खर्च वाला होता है तथा उसे प्रयोग में लान तथा उसकी देखभाल करने में अधिक मित-व्ययता होती है ।

(ग) लगभग १,३२,००० रुपये ।

हथकरघा उद्योग

११०१. श्री हेमराज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उद्योग सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करने के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) अपेक्षित जानकारी किन किन राज्यों से प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) अभी तक किसी राज्य ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

आवास स्थान

११०२. श्री वीरस्वामी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने लोदी कालोनी में स्थित सब सी० २ चमरियों को पृथक् क्वार्टर बनाने का निश्चय कर लिया है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : संभवतः माननीय सदस्य लोदी रोड की दो कमरों वाली चमरियों का उल्लेख कर रहे हैं । यदि ऐसी बात है, तो इसका उत्तर "हां" में है ।

आवास स्थान

११०३. श्री वीरस्वामी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि लोदी कालोनी में पृथक् चमरियों का किराया अपृथक चमरियों से अधिक है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या लोदी कालोनी में चमरियों का किराया घटाने की कोई कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) लोदी कालोनी में कोई भी चमरी पृथक नहीं है । दो कमरों वाली चमरियों के लिये, जिनमें अधिक स्थान होता है, किराया वेतन के १० प्रतिशत तक सीमित है, और एक कमरे वाली चमरियों के लिये और दो कमरों वाली अवि-भाजित चमरियों के आधे भाग के लिये किराया वेतन के ७।। प्रतिशत तक सीमित है । किराया घटाने और दो कमरों वाली चमरियों का किराया घटाने का प्रश्न परीक्षाधीन है ।

तिरुचिनापल्ली रेडियो स्टेशन

११०४. **श्री बूबराघस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिरुचिनापल्ली रेडियो स्टेशन में लगाये हुए ट्रांसमीटर की शक्ति क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति अपर्याप्त है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तिरुचिनापल्ली मीडियम वेव (मध्यम तरंग) ट्रांसमीटर ५ किलोवाट शक्ति का है।

(ख) वर्तमान ट्रांसमीटर आरम्भ में जिस काम के लिये लगाया गया था, उस के लिये पर्याप्त है। वृद्धिगत काम के लिये अधिक शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपबन्ध किया जा रहा है।

मत्स्य-ग्रहण उद्योग

११०४-क. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या मत्स्य-ग्रहण उद्योग के विकास और नियंत्रण के बारे में बिहार राज्य और दामोदर घाटी निगम के बीच कोई मतभेद है ; और

(ख) यदि हां, तो कसा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कनाडा में सरकारी सम्पत्ति

११०४–ख. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रस्सेलहिल रोड, टोरंटो, कनाडा पर स्थित भारत सरकार के मकान को बेचन का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्रश्नगत मकान अगस्त १९५४ में बेच दिया गया था।

(ख) भारतीय व्यापार आयुक्त के रहने के लिये जो सम्पत्ति प्रयोग में लाई जाती थी, भारत सरकार व्यापार आयुक्त, टोरंटो के कार्यालय के बन्द हो जाने के पश्चात् उस की कोई आवश्यकता नहीं रही थी।

———

खण्ड ४—अंक ५०
२७ अप्रैल, १९५५ (बुधवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

(Session IX)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ४ में अंक ४६ से अंक ५८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

६ आने (देश में) २ शिलिंग (विदेश में)

138 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनतीसवां प्रतिवेदन-उपस्थापित . .	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि .	४९८५-८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
विचार करने का प्रस्ताव —स्वीकृत .	४९८६—५०६०
पंडित जी० बी० पंत . . .	४९८७—९२
श्री अच्युतन	४९९३—९६
श्री नन्द लाल शर्मा . . .	४९९६—५००४
श्री खर्डेकर	५००४—०७
श्री के० एस० राव . . .	५००७-०८
श्री कक्कन	५००८-०९
श्री कजरोलकर . . .	५००९—१२
श्री जांगड़े . . .	५०१२—१८
श्री के० एल० मोरे	५०१८—२०
श्री एस० एस० मोरे . . .	५०२०—२३
श्री पी० एन० राजभोज . . .	५०२३—३०
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	५०३०—३५
श्री एन० सी० चटर्जी . . .	५०३५—३९
डा० जाटववीर . .	५०३९—४२
श्रीमती मिनीमाता	५०४३—४५
श्री जनार्दन रेड्डी	५०४५—४९
श्री एम० आर० कृष्ण . .	५०४९—५२
श्री वीरस्वामी . . .	५०५२—५४
श्री नवल प्रभाकर	५०५४—५७
श्री पाटस्कर	५०५८—६०
खण्ड २	५०६०—७८

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
मद्रास मनोरंजन कर आन्ध्र (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र भवन अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, १९५५	४५९१
आन्ध्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, १९५५	४५९२
भारतीय विमान नियम, १९३७ में संशोधन, एक व्याख्यात्मक टिप्पण	४५९२
सहित—चाय नियम, १९५४ में संशोधन	४५९२
सम्पदा शुल्क नियम, १९५३, में संशोधन	४५९२–४५९३
विदेशी व्यक्तियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणा—	४५९३–४५९४
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर	४५९४
राज्य सभा से सन्देश	४५९४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४५९४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
किरकी में सेना के वर्कशाप के व्यक्तियों द्वारा हड़ताल	४५९५–९७
सभा का कार्य	४५९७
वित्त-विधेयक	४५९७–४६०९
अनुसूचियां तथा खंड १	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६०९–४६३०
प्रधान सेनापति (पद नाम में परिवर्तन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत	४६३०–४६३४
खंड १ से ३ तथा अनुसूची	४६३२–४६३३
भारत में राज्य बैंक विधेयक—	४६३४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संम्बधी समिति—	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	४६३६
बाहों तथा नापों के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में पारित	४६३६–४६५५
केन्द्रीय कृषिवित्त निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त	४६५५–४६८४
अंक ४७— शनिवार, २३ अप्रैल, १९५५	
भारत का राज्य विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४६८५–४७७०
सभा का कार्य	४७७०
संख्या ४८—सोमवार, २५ अप्रैल, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कतिपय सत्याग्रहियों का निर्वासन	४७७१–४७७२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति —	

	स्तम्भ
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति	४७७२–४७७३
प्राक्कलन समिति	४७७३
लोक-लेखा समिति	४७७३
राज्य सभा के सदस्यों को लोक-लेखा समिति में रखने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४
अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक—पुरःस्थापित—	४७७४
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत	४७७४–४८७८
राज्य सभा से सन्देश—	४८७८
अंक ४९—मंगलवार, २६ अप्रैल, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र—	
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना	४८७९
भारत में प्रथम साधारण निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, १९५१–५२—खंड १ (साधारण)	४८७९
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	४८७९–४८८०
बीमा (संशोधन) विधेयक—	४८८०–४८८७
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८०–४८८२
श्री बी० आर० भगत	४८८२–४८८४
श्री के०के० बसु	४८८४–४८८५
श्री मात्तन	४८८७
खण्ड १ और २	४८८७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	
भारत का रक्षित बैंक श्री बी० आर० भगत (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४८८७–४९१६
खण्ड १ से ११	४९१६–४९२०
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०
भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२०–४९२२
खण्ड १ और २	४९२२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९२२
हिंदू विवाह विधेयक—	४९२२–४९८४
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४९२४
राज्य सभा से संदेश	४९८२
अंक ५०—बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
उनतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४९८५
तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के उत्तर में शुद्धि	४९८५–४९८६
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४९८६–५०६०

अंक ५१—गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . ५०७९

राज्य सभा से संदेश . . ५०७९

सभा का कार्य . . ५०८०–५०८१,५१८६

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

खंड ३ से १७ और अनुसूची . . . .

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ५०८१–५१८०

हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८०–५१८४

खण्ड १ और २ ५१८५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . ५१८५–५१८६

अंक ५२—शुक्रवार, २९ अप्रल, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . ५१८७

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ५१८७–५१८८

सभा का कार्य— ५१८९–५१९८,५२०२

हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा से पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ५१८९,५१९८,५२०२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्ताईसवां तथा उनतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ५२३०–५२३१

भारतीय बाल दत्तक-ग्रहण विधेयक—पुरःस्थापित . . . ५२३१

जाति भेद उन्मूलक विधेयक .

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५२३१–५२४४

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—वापस लिया गया . . . ५२४५–५२६५

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)

विचार करने का प्रस्ताव—अ समाप्त ५२६५–५२८०

अंक ५३—शनिवार, ३० अप्रैल, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन का प्रथम प्रतिवेदन . . ५२८१

संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ५८९, दिनांक १२-३-५५ . . . . ५२८१

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—नवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . ५२८२

	स्तम्भ
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही उपस्थापित	५२८२
बांडुंग में हूए अफ्रेशियाई सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . .	५२८२–५२९५
भारत का राज्य बैंक विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त . .	५२९५–५४५८
खंड २ से ५३ और १ . . .	५२९५–५४३०
अनुसूची एक से चार	५४३०–५४५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४५८–५४७२
सरकारी मकानादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय—बढ़ाया जाना .	५४७२–५४७४

अंक ५४—सोमवार, २ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
कानपुर में श्रम स्थिति .	५४७५–५४७७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५४७७
राज्य-सभा से सन्देश	५४७८
पटल पर रखे गये पत्र—	
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार, १९५३–५४ के संतुलन पत्र और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन आदि	५४७८
दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड का १९५४–५५ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५–५६ का आयव्ययक प्राक्कलन . .	५४७९
याचिका समिति—	
पंचम प्रतिवेदन—उपस्थापित	५४७९
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	५४७९
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	५४८०–५४८२
नागरिकता विधेयक —पुरःस्थापित . .	५४८२
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	५४८३
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५४८३–५५६८
समवाय विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	५५६८
सभा का कार्य	५६१४

अंक ५५—मंगलवार, ३ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
लोक-ऋण (प्रतिकर बंध) नियम, १९५४	५६१५–५६१६
लोक-ऋण (वार्षिकी पत्र) नियम, १९५४	५६१५–५६१६

	स्तम्भ
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	५६१६
तृतीय प्रतिवेदन—उपस्थापित	५६१६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति . .	५६२२
टेकनिकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् . . .	
ब्रिटेन से आने वाले सूती वस्त्र पर आयात शुल्क में कमी के बारे में वक्तव्य	५६१६–५६१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
कोसी परियोजना के काम के सम्बन्ध में आरोप	५६१७–५६२२
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	५६२३–५७५२
खंड २ से १२ .	५६२३–५७५२

अंक ५६—बुधवार, ४ मई, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा कुछ सत्याग्रहियों का निर्वासन .	५७५३–५७५८
कानपुर में श्रम स्थिति	५७५८–५७६२
पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का पुनर्विलोकन . .	५७६२
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	५७६२–५७६३
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन.	५७६४
समवाय विधेयक पर साक्ष्य .	५८४८
राज्य सभा से सन्देश . .	५७६४–५७६८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में पटल पर रखा गया .	५७६८
हिन्दू विवाह विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में खंडों पर विचार—	
असमाप्त	५७६८–५८४७, ५८४८–५९१६
खंड ९ से १२ . .	५७६८–५७७९
खंड १३ से १८ . .	५७७९–५८४७
खंड १९ से २३ . .	५८७२–५८९२
खंड २४ से २८ . .	५८९२–५९१६

अंक ५७—गुरुवार, ५ मई, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हिन्दी आयोग की नियुक्ति . .	५९१७–५९१९
राज्य सभा से सन्देश	५९१९

	स्तम्भ
आश्वासनों सम्बन्धी समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	५९१९
तारांकित प्रश्न संख्या २४३५ के उत्तर में शुद्धि .	५९१९
हिन्दू विवाह विधेयक—	
खंडों पर विचार—समाप्त	५९२०
खंड २४ से ३० और १ . .	५९२०–५९४१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५९४१–५९८०
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे मे प्रस्ताव—असमाप्त .	५९८१–६०६८

अंक ५८—शनिवार, ७ मई, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों क उत्तर	६०६९
सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर आय-व्ययक वाद-विवाद में उठाई गई बातों के बारे में ज्ञापन	६०६९–६०७०
हीराकुड बांध परियोजना में अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की प्रगति के बारे में वक्तव्य	६०७०
तारांकित प्रश्न संख्या १७५० के उत्तर में शुद्धि	६०७०–६०७१
पांडिचेरी की वस्त्र मिलों के बारे में वक्तव्य .	६०७१–६०७३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में बेकारी . . .	६०७३–६०७५
लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	६०६५–६०७६
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६
भारतीय टंकन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६०७६–६०७७
भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	६०७७
सभा का कार्य	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	६०७७–६०७८
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	६०७८–६१८७
श्री चिनारिया का निधन—	६१८७–६१८८

लोक-सभा

बुधवार, २७ अप्रैल, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ जे मध्यान्ह

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उन्तीसवां प्रतिवेदन

श्री आलतेकर (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उन्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : आपकी अनुमति से, मैं तारांकित प्रश्न संख्या २२८२ के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह डामर द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, जो कि मैं ने दिया था, एक शुद्धि करना चाहता हूं । प्रादेशिक समितियों में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों के अनुपात के बारे

में, मैंने बताया था कि इन समितियों में केवल गैर सरकारी सदस्य हैं और संभवतः गवेषणा कार्यक्रम समिति के सचिव केवल पदाधिकारी-सदस्य हैं । जहां तक दक्षिणी प्रादेशिक समिति का सम्बन्ध है, यह सत्य है ।

किन्तु उत्तर की प्रादेशिक समिति में गवेषणा कार्यक्रम समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त दो सदस्य पदाधिकारी हैं । चूंकि प्रादेशिक उप-समितियों का उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर टेकनिकल परामर्श देना है, इसलिए सरकारी सदस्य टेक्निकल क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकारी दृष्टिकोण का नहीं ।

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं माननीय गृहमंत्री से अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहूं, मैं इसकी सामान्य चर्चा और खंडशः विचार के लिए समय से निर्धारण के बारे में सदन की राय जानना चाहूंगा । सारे विधेयक के लिए घंटे दिये गये हैं ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) मेरे विचार में ८ घंटों में से दो घंटे सामान्य चर्चा के लिए दिये जायें और शेष समय खंडशः विचार के लिए, क्योंकि इसके खंडों की सावधानी से जांच करना आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें तृतीय पठन के लिए भी कुछ समय रखना है ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मेरा सुझाव यह है कि ४ घंटे विचार प्रस्ताव के लिए, ३½ खंडशः विचार के लिए और आधा घंटा तृतीय पठन के लिए दिया जाये।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं चाहता हूं कि ८ घंटे सामान्य चर्चा के लिए दिये जायें और चार घंटे खंडशः विचार के लिए।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ करना है, वह आठ घंटे के अन्दर ही होना चाहिए।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिंडा) : चार घंटे विचार प्रस्ताव के लिए, तीन खंडों के लिए और एक तृतीय पठन के लिए।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : पांच घंटे सामान्य चर्चा के लिए, ढाई घंटे खंडशः विचार के लिए और आधा घंटा तृतीय पठन के लिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह उचित होगा कि चार घंटे सामान्य चर्चा के लिए, तीन खडशः विचार के लिए और एक घंटा तृतीय पठन के लिए रखा जाये। क्या सदन को यह मंजूर है।

माननीय सदस्य : जी हां।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "अस्पृश्यता के आचरण या उससे उत्पन्न किसी निर्योग्यता का प्रवर्तन करने के लिये दंड विहित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

मुझे इस विधेयक को इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखने में बहुत हर्ष है। सौभाग्य से यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर सारा सदन सहमत है। मुझे विश्वास है कि इसके पारित होने से न केवल संसद के सदस्य बल्कि बाहर के लोग भी संतुष्ट होंगे। इस विधेयक को काफी सोच-विचार के बाद पुरःस्थापित किया गया था। इसे अन्तिम रूप देने से पहले एक प्रारूपित विधेयक प्रकाशित किया गया था। इसकी जांच के बाद, विधेयक मूल रूप में लगभग एक वर्ष पूर्व अर्थात् पिछले साल मार्च में इस सदन में पुरःस्थापित किया गया था। संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चार दिन तक चर्चा हुई थी और अन्त में सदस्यों की सर्व सम्मति से, इसे ४९ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया था, जिसमें से ३३ सदस्य इस सदन ने मनोनीत किये थे। संयुक्त समिति की ९ बैठकें हुई थीं और इसने अछूत उद्धार निकायों के कुछ प्रतिनिधियों का साक्ष्य भी लिया था। अब यह विधेयक प्रतिवेदित रूप में सदन के सामने आया है। संयुक्त समिति ने इसके गुणावगुण, की और प्रत्येक खंड और शब्द की जांच की है।

इसने कोई अधिक मुख्य संशोधन नहीं किये, छोटे-मोटे संशोधन किये हैं। 'अस्पृश्य' की परिभाषा हटा दी गई है और दंड अधिक कड़ा कर दिया गया है। उसी व्यक्ति द्वारा दूसरे अपराध के लिए कारावास अनिवार्य कर दिया गया है एक और महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के मामले में निर्दोषता सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा। इनके अतिरिक्त मूल विधेयक के मुख्य पहलुओं को नहीं छेड़ा गया। कुछ शाब्दिक तथा अन्य परिवर्तन किये गये हैं किन्तु इनसे विधेयक के भाव या सार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, यह विधेयक उस आभार के अनुसरण में पुरःस्थापित किया गया है, जो कि संविधान

इस सदन पर डालता है। संविधान के अनुच्छेद १७ के द्वारा अस्पृश्यता का उत्सादन कर दिया गया है और इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि अस्पृश्यता सम्बन्धी सामाजिक निर्योग्यता को लागू करने वाले अपराधों के लिए संसद दंड निर्धारित करेगी। अतः विधि में 'अस्पृश्यता' नहीं है। इसका उत्सादन पूर्णरूप से स्वयं संविधान द्वारा कर दिया गया है। यह उचित ही था। गांधी जी ने अपना सारा जीवन अस्पृश्यता हटाने में लगा दिया था। कांग्रेस ने १९१७ में ही यह संकल्प पारित कर दिया था कि अस्पृश्यता का उत्सादन किया जायेगा और किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखने के कारण किसी निर्योग्यता को सहन नहीं किया जायेगा। इसके बाद बहुत सी घटनाएं हुईं। माननीय सदस्यों को १९३२ का उपवास याद होगा, जिसके फलस्वरूप यह प्रतिज्ञा की गई थी कि सब नागरिक देश से अस्पृश्यता दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे।

उस समय से एक जोरदार आन्दोलन चलाया गया है। बहुत से मंदिर खोल दिये गये हैं और अधिकांश नगरों में अब अस्पृश्यता एक स्मृति बन कर रह गई है। किन्तु मुझे खेद है कि कुछ स्थानों पर अस्पृश्यता अब भी जारी है। अतः इसे बरतने वालों को दंड देने के लिए एक विधेयक पारित करना आवश्यक हो गया है। अस्पृश्यता का उत्सादन एक राष्ट्रीय उपाय था और यह संविधान का भाग था। इस देश में किसी को अस्पृश्य नहीं कहा जा सकता। अस्पृश्यता न केवल हिन्दू धर्म पर एक धब्बा है, बल्कि इससे असहिष्णुता वर्गवाद और फूट की प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं। हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां इस के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात हैं कि हिन्दुओं ने जो कीड़े मकौड़े पर भी दया करते हैं। इस बुराई को अपनाया है। किन्तु यह शताब्दियों से चली आ रही है और इसके लिए प्रायश्चित करना हमारा कर्तव्य है। हमने लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्वीकार किया है और सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय के सिद्धान्तों को अपनाया है। हमारे संविधान में बार-बार देश में प्रत्येक नागरिक के उद्धार के उपाय निकालने की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता की भावना हमारे संविधान की भावना और इसके उपबन्धों के विरुद्ध है। अस्पृश्यता के उत्सादन के साथ-साथ, संविधान में यह भी उपबन्ध किया गया है कि दलित वर्गों के साथ पिछली कई शताब्दियों से जो अन्याय होता रहा है, उसका प्रायश्चित करने के लिए ठोस उपाय किये जायें संविधान में हमारे कर्तव्य पर जोर दिया गया है।

यह विधेयक हमारे कार्य का एक छोटा सा अंशमात्र है। हम विधि द्वारा उन व्यक्तियों को दंड देने का उपबन्ध करेंगे जो कि अब भी अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। इस युग में अस्पृश्यता से अधिक हानिकर और कोई बुराई नहीं हो सकती।

दक्षिण अफ्रीका अपनी पृथककरण की नीति के कारण बहुत बदनाम है। हम किस तरह सब लोगों और जातियों के लिए समानता की मांग कर सकते है, जब हम अपने देश में अपने लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते।

हमने लोक-तंत्रात्मक प्रशासन को अपनाया है। लोकतंत्र असमानता के वातावरण में प्रगति नहीं कर सकता। हमें भारत का विकास लोकतंत्रात्मक समानता के आधार पर करना है। अतः अस्पृश्यता की बुराई को हमें शीघ्र से शीघ्र दूर करना है। केवल विधि पारित करना काफी नहीं होगा। हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि हम इस विधि से लाभ उठा सकें। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रकार के अपराधियों को बिना दंड के नहीं जाने देंगे। किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सब

[पंडित जी० बी० पंत]

भारतीयों में भ्रातृभाव पैदा करना है ताकि किसी व्यक्ति में निम्नता की भावना न रहे। विधेयक का उद्देश्य यही है ।

यह विधेयक केवल हिन्दुओं पर ही लागू नहीं होता । यह सब पर लागू होता है । हम चाहते है कि प्रत्येक नागरिक अपनी पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। हमको एकता बनाये रखने के लिए पूरी कोशिश करनी है। पृथक्करण की नीति असहिष्णुता और क्षुद्रता से उत्पन्न हुई थी । पृथक्करण बुरी चीज़ है चाहे वह घृणा से उत्पन्न हुआ हो अथवा रोष आदि से हम सभी को भाई बन्दी से रहना है और हमें गांधी जी की ओर से भी यही आदेश मिला हुआ है ।

हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल में जो लोग इस प्रकार की निर्योग्यताओं से पीड़ित रहते थे वे अन्य वर्गों के लोगों के साथ मित्रता पूर्वक रहा करते थे । गत २५ या ३० वर्षों में अस्पृश्यता निवारण के लिए जितना काम हुआ है वह पिछले १,५०० या २,००० वर्षों में भी नहीं हो सका था । यह आंदोलन उन लोगों द्वारा किया गया था जो तथा कथित ऊंचे वर्गों से सम्बद्ध होते हुए भी जागृत मनोवृत्ति के थे और अस्पृश्यता को पाप समझते थे । इस जागृति का श्रेय किसी एक वर्ग आदि को प्राप्त नहीं है अपितु यह जागृति एक राष्ट्रीय लहर के कारण हुई है जिसका उद्देश्य भारत की एकता है और जिसका एकमात्र लक्ष्य यह है कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के मनुष्यत्व को फूलने-फलने का अवसर मिल सके। यदि किसी समय यहां अछूतों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो उसके साथ ही और भी कितनी कुरीतियां चलती रही हैं। उदाहरणतया यही नवजात बालिकाओं को गला घूंट कर मारा जाता रहा है स्त्रियों के साथ उनके अपने ही घरानों में अछूतों का सा व्यवहार किया गया है । पतियों द्वारा उनके हाथ के पके भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता था । उन्हें वेद पढ़ने की अनुज्ञा नहीं होती थी । और भी कितने ही कार्यक्रमों में वे भाग नहीं ले सका करती थीं । अतः यदि हममें कोई बुराइयां थी तो किसी हद तक उनका कारण वे तुच्छ विचार थे जो हमारे विकास और उन्नति अथवा अवनति के किसी प्रक्रम पर यहां प्रचलित थे । अतः अब उन बातों पर रोष करना व्यर्थ है । हमें उन गतिविधियों को जारी रखना चाहिए जिनके फलस्वरूप गांधी जी के स्वप्नों की पूर्ति होगी । इससे उन लोगों के मनको शान्ति होगी जिन्होंने जीवन भर इसी लक्ष्य के लिए काम किया है और जिन्हें इस समय असीम कष्ट अनुभव हो रहा है क्योंकि यह बुराई पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाई है । हम उन निस्वार्थ कार्यकर्त्ताओं और देशभक्तों के प्रति आभार प्रकट करते है और आशा करते हैं कि हम सब मिलकर इस अस्पृश्यता रूपी इस भूत को इस देश से बाहर निकाल देने में सफल होंगे और हम भारत के स्वतन्त्र लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र में शान्ति और प्रेम का जीवन बिता सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

परिचालन के बारे में दो संशोधन हैं। परिचालन की क्या आवश्यकता है ?

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैंने अपने विमति टिप्पण में भी स्थिति का स्पष्टीकरण किया है । इसीलिए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देना चाहता जब तक मुझे यह सन्तुष्टी न हो कि यह आवश्यक है ।

श्री वेलायुधन : मूल विधेयक इस विधेयक से अच्छा है जो संयुक्त समिति से संशोधित होकर आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : परिचालन से क्या लाभ हो सकता है ? यह विलम्बकारी प्रस्ताव है। यह विधेयक १५ मार्च, १९५४, को लोक सभा में पुरःस्थापित हुआ था। समिति ने इस विषय में कितने ही सार्वजनिक निकायों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों के विचार सुने हैं और छः महीने के पश्चात हमें उनका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अब इसे फिर से परिचालित करने से अनुचित विलम्ब होगा, अतः मैं इस संशोधन की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : मैं सुझाव देता हूं कि जिन सदस्यों को पहले बोलने का अवसर दिया जा चुका है, उन्हें पुनः अवसर न दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य विधेयक के संयुक्त समिति को सुपुर्द होने के पूर्व बोल चुके हैं उन्हें अवसर नहीं दिया जायेगा। अन्य सदस्यों को अवसर दिया जायेगा।

श्री एस० एस० मोरे : इस सभा की यह प्रथा सी हो गयी है कि अस्पृश्य लोगों या अनुसूचित जातियों के लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है। पर मैं समझता हूं कि इस मामले से केवल उनका ही सम्बन्ध नहीं है बल्कि हमारा बहुत अधिक सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है। इस मामले का सभा के सभी सदस्यों के साथ सम्बन्ध है। मैं सभी लोगों को बोलने का समान अधिकार दूंगा।

श्री वीरस्वामी (मयूरम–रक्षित–अनुसूचित जातियाँ) : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि अनुसूचित जातियों के लोगों को अधिक समय दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुसूचित जातियों के सदस्यों में से प्रत्येक को ५ मिनट दिया जायेगा। वे लम्बे भाषण न दें।

श्री अच्युतन : जाति-प्रथा तथा वर्णाश्रम के उद्भव के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि इसी के कारण हिन्दू समाज का बड़ा पतन हुआ है। अंग्रेजों के शासन काल में भी कुछ सुधारकों ने इस कुप्रथा को हटाने का प्रयत्न किया था पर उसका कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उच्चवर्ण के लोग अपने हितों की रक्षा करने के लिए मनु आदि के श्लोकों का उद्धरण दिया करते थे कि समाज के उस भाग के संगठन तथा कल्याण के लिए ही यह प्रथा स्थायी रूप से बनाई गयी है।

जब त्रावनकोर-कोचीन के महाराजा ने हरिजनों के लिए मन्दिरों को खोलने का विचार किया तो राज्य के सभी पंडितों ने सामूहिक रूप से कहा कि यदि मन्दिरों को खोल दिया जाये तो राजा का परिवार नष्ट हो जायेगा। कुछ वर्ष बाद एस० एन० डी० पी० योग तथा गुरु श्री नारायण के प्रयास से आज से १८ वर्ष पूर्व त्रावनकोर में मन्दिरों को हरिजनों के लिए खोल दिया गया था।

सभी सरकारें इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रही हैं। केवल दण्डविधान की कठोरता से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें जीवन का सामाजिक दृष्टिकोण बदलना होगा। इसके आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक पहलू हैं। अस्पृश्य लोगों ने जो दुःख और कठिनाइयों का सामना किया है उससे हमने कई सदियों में अनेक महान व्यक्ति खो दिये। अतः सरकार को चाहिए कि तुरन्त इस विधि के उपबन्धों को लागू करे और ऐसे आर्थिक उपाय करे जिससे १०, १५ या २५ वर्षों में अन्तर्जातीय

[श्री अच्युतन]

विवाह और अन्तर्जातीय खान-पान का कोई भेद-भाव न रह जाय। यदि साम्यवादी दल के नेता श्री ए० के० गोपालन की भांति लोग साहसपूर्वक नीची जाति के लोगों में विवाह करना प्रारंभ कर दें तो आदर्श स्थापित हो जायें।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों पर आता हूं। भारत में बहुत से वैधानिक अधिनियम हैं। मन्दिर प्रवेश ही काफी नहीं। आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक मामलों में भी सुधार होना चाहिए। हमें यह देखना है कि सभी कार्यालयों, संस्थाओं, विधान सभाओं तथा संसद में इन दलित लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले। इन लोगों ने काफी कष्ट सहे हैं। अब हमें उनकी दशा को सुधारना है। यदि सभी स्थानीय सरकारें तथा सभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करें तो निश्चय है कि अभीष्ट परिणाम निकलेगा, अन्यथा हमारा हिन्दू समाज नष्ट हो जायेगा।

अतः हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि सभी क्षेत्रों से अस्पृश्यता का नासूर समाप्त किया जाय। इस विधेयक की मूल-भावना का देश में प्रचार किया जाना चाहिए। जब तक सरकार, जनता तथा उच्च वर्ग के हिन्दू इस विधान को सयत्न कार्यान्वित नहीं करेंगे तब तक कोई भी लाभ नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार राज्य सरकारों को इस विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निदेश दे।

मैं समझता हूं कि इस विधान को ठीक प्रकार से लागू करने में देश में अस्पृश्यता में काफी कमी हो जायेगी। श्री केलप्पन ने एक बार गुरुवायुर मन्दिर के सामने सत्याग्रह भी किया था। ऐसे व्यक्ति सम्मान के पात्र हैं। हो सकता है कि हिन्दू समाज में कुछ लोग या कुछ वर्ग ऐसे हों जिनका दृष्टिकोण या जिनकी विचार धारा संकुचित हो, पर मुझे आशा है कि सभी लोग इस विधान का समर्थन करेंगे और मुझे विश्वास है कि इस विधान से भारत का बहुत लाभ होगा।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) :

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमा निलेभ्यो
नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः॥

आज यहां पर मेरी स्थिति दो विरुद्ध दृष्टिकोणों के बीच में है। एक ओर तो अस्पृश्य कहलाने वाले मेरे हरिजन भाई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि हम उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दूसरी ओर मेरे वे बन्धु हैं—चाहे वे कांग्रेस पक्ष के हों और चाहे किसी दूसरे पक्ष के—जो अपने आपको सो काल्ड हायर कास्टस के नाम से पुकारते हैं और जिनके बारे में हमारे गृहमंत्री महोदय ने बार-बार यह कहा है कि हायर कास्टस के लोगों ने जितने पाप किए हैं, उन्हें उनका प्रायश्चित करना है। मैं उन लोगों में से हूं जो हायर कास्ट को इतना बुरा भी नहीं समझते हैं, यद्यपि हम एक बात में विश्वास रखते हैं कि जो मनुष्य अपने आपको "हायर" कहता है, ऊंचा कहता है, वह निश्चित रूप से गिर जाता है। हम हायर कास्ट के अभिमान और अहंकार के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते और उसको बिलकुल उचित नहीं समझते फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि हिन्दू शास्त्र के साथ जो खिलवाड़ किया गया है और किया जा रहा है, वह अनुचित है।

पहली बात यह है कि बिल के प्रारम्भ में ही—पहले वाक्य में यह कहा गया है कि "'अस्पृश्यता' व्यवहार को दण्डनीय विहित करने वाला विधेयक।" परन्तु सारे विधेयक

में कहीं भी इस शब्द "अनटचेबिलिटी" की डेफ़ीनीशन नहीं दी गई है। यदि यह डेफ़ीनीशन दे दी जाती, तो हम समझ सकते थे कि किस उद्देश्य से यह विधेयक बनाया गया है। उस अनटचेबिलिटी को निरन्तर ईविल के नाम से पुकारा जाता है—पाप के नाम से पुकारा जाता है, परन्तु उसकी डेफ़ीनीशन देना और उसके लक्षण बताना भी अत्यन्त आवश्यक है मैं समझता हूं कि सारे बिल में कहीं भी उसके लक्षण न बताना इस बिल का एक बहुत बड़ा दोष है। इसका परिणाम तो यही होगा कि हर एक व्यक्ति अपने-अपने घर में बैठ कर, अपने-अपने विचार के अनुसार, अपने-अपने दृष्टिकोण से, अनटचेबिलिटी—अस्पृश्यता—का अर्थ लगाता रहेगा और उस अनटचेबिलिटी को दंडनीय मानता रहेगा और मेरे जैसा व्यक्ति, जो कि स्वयं किसी न किसी रूप में अनटचेबिलिटी को स्वीकार करता हो और उसे विश्व का—प्रकृति का—एक सिद्धान्त मानता हो, उसका विरोध करता रहेगा। एक व्यक्ति समझता है कि यह मेरा विरोधी है और दूसरा कहता है कि यह बड़ा अच्छा है। अन्ततोगत्वा एक ही ईश्वर को मानते हुए भी हम दोनों को आपस में कहना पड़ेगा "मित्रवर, तुम जिसको ईश्वर कहते हो, मैं उसको शैतान कहता हूं।" इस तरह से काम चलेगा नहीं। मैं अब भी गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह विधेयक में कहीं न कहीं अनटचेबिलिटी का लक्षण तो अवश्य दे दें और केवल किसी व्यक्ति-विशेष के ऊपर उसके विषय में निश्चय करने का अधिकार न छोड़ दें कि वह जिस तरह चाहे, उसके अर्थ लगाए।

मेरे मित्र श्री अच्युतन ने अभी दक्षिण भारत का एक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उत्तर भारत के रहने वालों को—और विशेषकर हम लोगों को, जो कि बहुत ऊपर उत्तर भारत में रहते हैं—इस सम्बन्ध में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म ने "अनटचेबल" नाम की कोई जाति स्वीकार नहीं की है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं। यह बात दूसरी है कि कोई विशेष कार्य करने से अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण भी अनटचेबल हो जाता है, अपनी माता और बहिन भी अनटचेबल हो जाती है। हमारे गृह मंत्री महोदय ने अभी संकेत किया कि हम अपनी माताओं को अनटचेबल मानते रहे हैं और हम लोगों ने उनको यह अधिकार नहीं दिया और वह अधिकार नहीं दिया। किसी विशेष समय में जिस वस्तु या व्यक्ति को डा० जयसूर्य की मेडीकल साइन्स भी अनटचेबल स्वीकार करे—जो स्वयं शास्त्रों से कोसों दूर हैं—, उसे अगर आप इस विधेयक के द्वारा अनटचेबल की श्रेणी में रख देंगे, तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायगी। पहले-पहल जब डाक्टर अम्बेदकर ने कांस्टीट्यूशन के निर्माण के समय यह प्रश्न उठाया था तो मैंने कहा कि मास के चार दिनों में शास्त्रों ने स्त्री का संपर्क मनुष्य के लिए निषिद्ध किया है और यदि अनटचेबिलिटी बाई ला समाप्त कर दी गई, तो उन दिनों में स्त्री को अनटचेबल मानने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति ने उन दिनों उस स्त्री का संगम कर लिया और कोई पेशाब की बीमारी प्राप्त कर ली, तो कौन सा ला उसको उस बीमारी से छुड़ायेगा? मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि "अनटचेबिलिटी" शब्द का अर्थ यह भी हो सकता है कि शोसल और पोलीटिकल लेवल पर किसी व्यक्ति-विशेष का अपमान करके उसके प्रति घृणा प्रकट करते हुए उसके साथ सम्पर्क का निषेध करना अनटचेबिलिटी का व्योहार समझा जाय। यदि अनटचेबिलिटी का अर्थ यही है, तो मैं बहन चाहता हूं कि मैं सिर्फ व्यक्ति-विशेष के अपमान की

[श्री नन्दलाल शर्मा]

दृष्टि से उसके साथ सम्पर्क के परित्याग के बिलकुल विरुद्ध हूं। मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि हिन्दू धर्म में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि आप कह सकते हैं कि फिर लोगों में यह भावना कैसे आ गई? परन्तु यदि लोग चलते-चलते धर्म के नाम पर पाप करने लगे, तो क्या धर्म खराब हो गया? अगर वे मन्दिरों में पाप करने लगें, तो क्या मन्दिर खराब हो गए? रेलवे के एक्सीडेंट्स और हवाई जहाज़ों की दुर्घटनायें नित्य होती हैं, तो क्या इस कारण रेलवे और हवाई जहाजों का परित्याग कर देना चाहिए? ऐसा नहीं किया जाता है और न ही करना चाहिए। इसलिए उस साइंस को भी भला-बुरा नहीं कहा जा सकता है, जिसके रहते हुए भी व्यक्ति-विशेष में दोष आ सकता है।

अब बात रही डिस-एबिलिटीज़ की। इस शब्द का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति-विशेष को पानी न पीने देना, कहीं बैठने न देना, ट्रैवल न करने देना, इत्यादि। जब एसा सोशल और पोलीटिकल स्तर पर किया जाता है, तो मैं इसका विरोध करता हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हम दूध के धोये हुए नहीं हैं—अगर हम दूध के धोये होते, तो आज चारों ओर से अपने ही भाई बहिनों को कहना न पड़ता कि हम सो-काल्ड हायर कास्ट वालों ने पाप किए हैं। यह तो प्रकृति का धर्म है। एक्शन और उसका री-एक्शन चलता ही रहता है। जो-जो हमारे दोष हैं, हमें उनको मानना चाहिए और उनके परिणाम भुगतने चाहिए। लेकिन साथ ही हमको यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर किसी का नाक और कान है और पूंछ और सींग नहीं हैं, इसलिए उसमें सारी एबिलिटीज़ आगई, ऐसा नहीं हो सकता है। एबिलिटीज़ और डिस-एबिलिटीज़ केवल स्वतंत्र बुद्धि पर निर्भर नहीं करती है—वे शास्त्र के ऊपर भी निर्भर करती है। केवल स्वतंत्र बुद्धि का आश्रय लेकर कोई कहे कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर लूंगा, तो वह असम्भव है। चूंकि कान सुन रहे हैं, केवल इसीलिए स्वतंत्र बुद्धि यह निर्णय नहीं दे सकती कि यह खराब है और वह अच्छा है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका निश्चय शास्त्र के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? जिसका फल दूसरे जगत में आना है, मरने के बाद जिसको प्राप्त होना है, उसे और शास्त्र के पाठ का अथवा किसी स्थान पर किसी देवता पर किसी देवता की पूजा विशेष का जो नियम है, अथवा वेद का पाठ कोई मैक्समूलर से सीखना और पढ़ना चाहे, तो वह चाहे कोई अछूत हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसको कोई रोक नहीं सकता है।

इसी प्रकार से मूर्ति की पवित्रता अथवा मन्दिरों में जाकर श्रद्धापूर्वक पूजन करने की बात है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे अस्पृश्य कहलाने वाले भाइयों को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मैं इस "अस्पृश्य" शब्द का उपयोग करने के लिए क्षमा चाहता हूं हमारे धर्म ग्रन्थों में तो कहीं अस्पृश्यता जाति का उल्लेख तक नहीं है। हमारे सारे साहित्य में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। इस शब्द को गढ़कर सारी हिन्दू जाति को बदनाम करने का प्रयत्न किया गया है। इस दुष्प्रयत्न से हमको सावधान रहना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जब मैं एकान्त में अपना पूजन करने को बैठूं, जहां कि मेरा अपना पुत्र भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता जहां मेरा अपना बंधु भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, वहां पर आकर कोई कहे कि मैं आपको.....

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : काशी विश्वानाथ के मंदिर के बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री नन्द लाल शर्मा : श्री रघुनाथ सिंह काशी विश्वनाथ की भक्ति से तड़प रहे हैं। किन्तु इस बात पर ध्यान नहीं देते कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में विराजमान ज्योतिर्लिंग में और एक स्कल्पटर की दुकान में रखी हुई मूर्त्ति में क्या भेद है।

एक माननीय सदस्य : बड़ा भेद है।

श्री नन्द लाल शर्मा : पब्लिक वरशिप की जगह मस्जिद है, पब्लिक वरशिप की जगह गिरजा है, पब्लिक वरशिप की जगह आर्य समाज मन्दिर है, पब्लिक वरशिप की जगह हिन्दू का मंदिर है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं घंटा और घड़ियाल लेकर मस्जिद में जाकर "रघुपति राघव राजा राम' करने लगूं। यह ठीक है कि मस्जिद पब्लिक वरशिप की जगह है और मैं भी कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मुसलमान भाई मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा, और उसका ऐसा करना ठीक भी है क्योंकि ऐसा करना उसके धर्म ग्रन्थों के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कल्पटर की दूकान पर रखी हुई मूर्ति में और मन्दिर की मूर्ति में भेद है। और यह किन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार है। उन सिद्धान्तों के अनुसार यदि हम मन्दिर में विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं, और शास्त्रों के अनुसार उस पत्थर की मूर्ति में देवता तत्व मानते हैं, तो हमको काशी विश्वनाथ से लाभ होगा। जो इस सिद्धान्त को नहीं मानते हैं उनके लिए मन्दिर की मूर्ति में और स्कल्पटर की दुकान पर रखी हुई मूर्ति में कोई भेद नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपका क्या ख्याल है ?

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं अपनी तरफ से कोई अपने शास्त्र का प्रवर्तन नहीं कर रहा हूं। मेरा ख्याल तो वही है जो शास्त्र का ख्याल है। और शाइस्त्रों के विरुद्ध चलने वाले संविधान की दुहाई देते हैं। मैंने अपना विचार तो स्पष्ट कर दिया कि यदि काशी विश्वनाथ के मन्दिर में हमारे द्विजातीय बन्धु जा सकते हैं जो हमारे दलित कहे जाने वाले बन्धु भी जा सकते हैं। हमने स्वयं उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए नियम बनाया है। हमारे शास्त्र ने आज्ञा दी है : "तद्देवस्य कला हानिः" । इसलिए हमारे ख्याल का प्रश्न नहीं है। हमें देखना यह है कि आप हिन्दू धर्म में विश्वास रख के मन्दिर में जाते हैं या किसी बहकाने वाले की बात में आकर उस मन्दिर में उसको नष्ट करने के लिए जाना चाहते हैं। इन दो बातों में बड़ा भेद है। यदि आपका मन्दिर में जाने का उद्देश्य वहां पर पूजा में विघ्न डालना है तो मैं समझता हूं कि आपका मन्दिर में विश्वास नहीं है और आप वहां की मर्यादा को नष्ट करने के लिए वहां जाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार का प्रयत्न कुछ द्विजाति कहलाने वालों द्वारा किया जाता है जो कि हिन्दू धर्म की इस पद्धति को मिटाना चाहते हैं। यह कार्य सर्वथा अनुचित है।

हमारे राजभोज यह कहते हैं और डा० अम्बेडकर का भी यह कहना है कि केवल मन्दिर प्रवेश ही हमारी मांग नहीं है। हम तो देखते हैं कि लोग उन अस्पृश्य कहे जाने वाले भाइयों की रोटी खा रहे हैं और उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आज एक ब्राह्मण "शर्मा शू फैक्टरी" खोलता है और इस प्रकार हजारों चमारों का भोजन खा जाता है। हम कभी यह कोशिश नहीं करते कि उसको ऐसा करने से रोकें। जो उनकी रोटी को छीन रहा है उसको आप नहीं रोकते। आप तो गलत रास्ते पर चल कर शास्त्र के नियम को तोड़ना चाहते हैं। आप ठीक रास्ते पर चलने का उपाय नहीं करते। आपने आज इस "अस्पृश्य" शब्द को बनाया है और इसका प्रचार कर रहे हैं। मैं इसके प्रयोग को ठीक

[श्री नन्द लाल शर्मा]

नहीं समझता । हमारे यहां किसी जाति को अस्पृश्य नहीं माना गया है ।

जहां तक इस संस्था का प्रश्न है, मैं सामाजिक अथवा राजनीतिक दृष्टि से क़तई इसके विरुद्ध हूं । किन्तु जहां तक मेरी आध्यात्मिक पवित्रता के सम्बन्ध में मेरी अपनी पूजा का प्रश्न है जब मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने अन्य सम्बन्धियों को नहीं छू रहा,.....

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : मैंने कई बार इस बात को पार्लियामेंट में कहा है । यहां पार्लियामेंट में आने के बाद मेरे यहां किसी के पुत्र हो गया था । उस समय मेरे एक मित्र मेरे यहां आये और मेरे पैर छूने लगे, मैंने उन्हें छुआ नहीं, और मैं पीछे को हट गया । उनको यह ध्यान आया कि कदाचित् मैं उनको अस्पृश्य समझता हूं । मैंने स्पष्ट शब्दों में उनके मुंह पर कहा, "मित्रवर, क्षमा कीजिएगा । मैं इस समय एक अस्पृश्य हूं ।"

मैंने उनसे कहा कि जब तक मेरा शरीर अपवित्र है तब तक मैं आपको नहीं छू सकता । ऐसी परिस्थिति में जब कि मैं अपने साथ भी पक्षपात नहीं करता हूं, और किसी से डर कर ऐसा नहीं करता हूं, तो यदि मैं इस सिद्धान्त को भूल कर विरीत आचरण करने लगूं तो इससे मैं अपना सर्वनाश करूंगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वर्तमान गृहमंत्री जी तथा उनसे पूर्ववर्ती मंत्री जी, जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था के उद्देश्य से सहमत् हूं । मैं तो कहता हूं कि हमें इस "अस्पृश्य" शब्द का भी परित्याग कर देना चाहिए । उनके इन बन्धुओं को उठाने की भावना से और समाज में उनको, समानता के अधिकार देने की भावना से मैं सोलहों आने सहमत हूं । मैं फिर कहुगा कि धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए धर्म की पवित्रता को कायम रखा जाय और अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया जाय और जो उसके विपरीत आचरण करे उसको अवश्य दंडित किया जाय । इस कार्य में हम आपकी हर प्रकार से, तन, मन, धन से सहायता और सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं तथा काँग्रेस सरकार को ऐसा कदम उठाने के लिये धन्यवाद देता हूँ, किन्तु साथ ही जब तक इस विधेयक को पूरी शक्ति से क्रियान्वित नहीं किया जायेगा तब तक मैं सरकार को उन्मक्त हृदय से धन्यवाद नहीं दे सकता ।

यह बहुत गम्भीर विधेयक है तथा जनसंख्या के एक बड़े भाग के स्वाभाविक तथा आधार भूत अधिकारों से सम्बंध रखता है ।

इस विधेयक के शीर्षक के सम्बन्ध में काफी विवाद हुआ । कई लोग इसका शीर्षक "असैनिक अधिकार संरक्षण अधिनियम", इत्यादि रखना चाहते थे क्योंकि उनके मतानुसार 'अस्पृश्यता' शब्द कुरुचिपूर्ण है किन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं इस शीर्षक से सहमत हूँ क्योंकि इससे सरकार तथा जनता को सदैव एक कलुष का मान होता रहेगा और वे उसे निर्मूल करने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे ।

श्री दातार, जैसा कि उन्होंने राज्य सभा में कहा है, कहेंगे कि यह तो राज्य सरकारों का कार्य है तथा केवल विशेष परिस्थिति में ही केन्द्र हस्तक्षेप करेगा । उनका रवैया भूतपूर्व गृहमंत्री के जैसा ही आत्मतुष्ठ है । आशा है कि नये गृह मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे । वह अवस्था में वृद्ध भले ही हों, किन्तु हृदय से उत्साही हैं । हमें आशा करनी चाहिये

कि वह इस समाज शोषक शत्रु का उन्मूलन करने में समर्थ होंगें

मेरा सुझाव है कि पुलिस तथा न्याय पालिका और अधिक अनुसूचित जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये जांय तथा सम्राट अशोक की तरह आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये पृथक मत्रालय स्थापित किया जाय।

जहाँ तक इस समस्या के सामाजिक पहलू का सम्बन्ध है, मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूं कि एक दिन में ही अस्पृश्यता का अन्त हो सकता है। खोखले उपदेशों से आदर्श प्रस्तुत करना कहीं अच्छा है। यदि प्रत्येक कुलीन हिंदू एक हरिजन लड़की से विवाह करे तो अस्पृश्यता का एक दिन में अन्त हो सकता है। हमें चाहिये कि हम यहीं से उदाहरण प्रस्तुत करें, जैसा कि श्री एच० जी० वैल्स के अनुसार विजेता सिकन्दर ने किया था।

मैं श्री नन्द लाल शर्मा से इस बात में सहमत हूँ कि सरकार समस्त सार्वजनिक मन्दिरों के अधिकारियों तथा पुजारियों को यह सूचित करे कि वे इस व्यवस्था से सहमत हैं अथवा नहीं उनके अस्वीकार करने पर सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देना बन्द कर दे तथा उनकी सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर ले तथा उसे हरिजन उत्थान कार्य में लगा दे क्योंकि आध्यात्मिक साधकों के लिये सम्पत्ति तथा धन इत्यादि बन्धन मात्र ही हैं। यदि ईश्वर चल फिर सकता तो मेरे विचार से वह ऐसे मन्दिरों में कदापि नहीं रहता जो मानवों के स्पर्श मात्र से भ्रष्ट हो जाते हैं; वह सदैव दरिद्र नारायण के साथ रहता है।

श्री नन्द लाल शर्मा ने कहा है कि हरिजन को ही राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिये। कि श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा है कि आप हरिजनों को राज्यपाल क्यों नहीं बनाते मैं उनसे सहमत हूँ; किन्तु उन्हें यह या वह बनाने से तो हिन्दू महासभा का अध्यक्ष बनाना अधिक सरल होगा।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : हम आपको राष्ट्रपति पद के लिये नियंत्रत करते हैं।

श्री खर्डेकर : किन्तु मैं तो अस्पृश्य नहीं हूँ। हममें से बहुत से लोग जाति विहीन तथा वर्गविहीन समाज के निर्माण की बात करते हैं। इस प्रयोजन के लिये सभा में विधेयक भी प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु इसके पूर्व हमें गिरे हुओं को उठाना चाहिये क्योंकि बौने व्यक्ति देवों की समानता नहीं कर सकते। वस्तुतः एक लंगड़ा स्वस्थ्य मनुष्यों के साथ नहीं दौड़ सकता और जैसा कि श्री स्वामी विवेकानन्द ने उपमा दी है कि एक गमले का पौदा, भली प्रकार खाद दिये गये पौदे की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि पहिला तो कुछ समय पश्चात् सूख जायेगा किन्तु दूसरा बढ़कर विशाल वृक्ष बन जायेगा। छोटे और बड़े व्यक्ति में कभी समानता हो ही नहीं सकती, यदि बाह्य रूप से होगी भी तो उसमें अवश्य ही कोई स्वार्थ छिपा होगा अथवा उसमें सच्ची भावना नहीं होगी।

बर्नाड शा ने कहा है कि दरिद्रता एक अपराध है। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसका उनमूलन करे। अस्पृश्यता के अपराध के लिये दंड देना ही पर्याप्त नहीं बल्कि, जैसा कि मैं अपने संशोधन में आग्रह करूँगा, केवल अर्थदंड ही नहीं, बल्कि कम-से-कम तीन मास का कारावास मिलना चाहिये। इतना ही नहीं उसकी सम्पत्ति का आठवाँ भाग भी ज़ब्त कर लिया जाय तथा उस सम्पत्ति को सरकार हरिजनों के उत्थान में उपयोग करे। अन्त में मेरा यह निवेदन है कि सर्वप्रथम गरीबी दूर की जाय। अस्पृश्यता उनमूलन करने की चमत्कारक औषधि मैं बता चुका हूँ। तब उन्हें आर्थिक सहायता, ऋण इत्यादि

[श्री खर्डेकर]

दिये जाँय इस प्रकार से यह बुराई समाप्त हो सकती है ।

श्री के० एस० राव* (एलुरू–रक्षित––अनुसूचित जातियां) : यह विधेयक समस्या के एक ही पहलू को स्पर्श करता है, किन्तु समस्या के मुख्य पहलू का हल अभी अवशेष है।

अछूत लोग केवल अस्पृश्य ही नहीं किन्तु मजूरी पाने वाले दास हैं । वे लोग आर्थिक दृष्टि से भी पद-दलित हैं तथा धनवान वर्गों पर आश्रित रहते हैं ।

स्वयं मेरे अपने राज्य में हरिजनों के पास न रहने को मकान, न जोतने को भूमि और न पढ़ने के लिये सुविधायें हैं।

सरकार इस समस्या के मूल कारण को नहीं जानना चाहती है, प्रत्युत यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें दबा दिया जाता है। देश में हजारों एकड़ बंजर तथा बिना जुती भूमि पड़ी हुई है, किन्तु हमारे पास जोतने के लिये भूमि का एक टुकड़ा भी नहीं है और हम बार-बार सरकार से अपील करते रहते हैं कि हमें जमीन दी जाय।

सभा में यह सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि हम लोगों को बंजर जमीनें देदी जाँय किन्तु जब हम उन्हें सींचने लगे तो हम पर लाठी चार्ज हुआ और हमारी जाति वालों को जेल भेज दिया गया। अब केन्द्रीय सरकार ने उस भूमि को बेचने की सलाह दी है ।

हमारे बच्चों को शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । हमारी स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ता है, तब कहीं उन्हें खाने को रोटी का टुकड़ा तथा रहने को एक झोंपड़ी मुयैसर होती है ।

यहाँ तक कि आँध्र में कई हजार हरिजन कृषक श्रमिकों को मत भी नहीं देने दिया गया क्योंकि जमींदारों ने सोचा कि उनके मत उनके विरोध में हो सकते हैं ।

पश्चिमी गोदावरी जिले के गाँवों में मतदाताओं को यह धमकी दी गई कि यदि वे मत दैंगे तो उन्हें उनकी भूमि से हटा दिया जायेगा । जहाँ उन्होंने इस धमकी का उल्लंघन किया है वहाँ उनकी जूते से पिटाई हो रही है ।

वस्तुतः हमारा जीवन उच्च वर्ग के लोगों की कृपा पर आश्रित हैं। उन्हीं के कारिन्दे हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वह इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करे। भला हम न्यायालय में अभियोग कैसे चला सकते हैं। जब हमारे पास खाने के लिये पैसे नहीं हैं। हमें पहिले भोजन, भूमि और शिक्षा की आवश्यकता है—बिना इनकी व्यवस्था किये, केन्द्र अथवा राज्य का कोई भी अधिनियम इस समस्या का हल नहीं कर सकता ।

श्री कक्कन (मदुरै––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय गृहमंत्री को इस विधेयक को उपस्थित करने के उपलक्ष्य में धन्यवाद देता हूँ। काँग्रेस सरकार ही ऐसा विधेयक प्रस्तुत कर सकती थी, हरिजन सदा काँग्रेस की सेवाओं के लिये, उसके कृतज्ञ रहेंगे। मद्रास सरकार इस मामले में सबसे आगे रही है। उसने "धर्म तथा दान सम्बन्धी धर्मस्व" का विभाग एक हरिजन के हाथों सौंपा है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों को चाहिये कि वे इसका अनुकरण करें।

सरकार को इस अधिनियम को पूरी शक्ति से लागू करने के लिये एक पृथक् विभाग की स्थापना करनी चाहिये । हरिजन सदैव से समाज की अनिवार्य सेवायें करते रहे हैं

*तेलगु से अनूदित ।

किन्तु इसका प्रतिफल उन्हें यह मिला है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

महात्मा गांधी की यह इच्छा थी कि यदि उनका पुनर्जन्म हो तो वह हरिजन के यहाँ हो। वे हरिजन नारी को भारत की जनाधिपति बनाना चाहते थे। हम, जो गाँधी जी के अनुयायी हैं, चाहिये कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिये भरसक प्रयत्न करें।

जब हरिजनों ने विधियों का लाभ उठाने का प्रयत्न किया तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सरकार को चाहिये कि वे सामाजिक बहिष्कार के लिये भी दंड की व्यवस्था करे।

मैं कह चुका हूँ कि काँग्रेस सरकार ही हरिजनों के लिये कुछ कर सकती है अतः मैं हरिजन भाइयों से भी निवेदन करूँगा कि वे काँग्रेस का समर्थन करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

कई माननीय सदस्य उठे

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका तो दूंगा लेकिन मैं समय बढ़ा नहीं सकता।

श्री कजरोलकर (बम्बई नगर—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं समझता हूं कि इस सेशन में आज का दिन बड़ा शुभ है कि यह अनटचेबिलिटी (आफ़ेन्स) बिल सभा के सामने आया है। हमारा कांस्टीच्यूशन —१९४९ में तैयार हो गया था। उसके छः बरस के बाद आज यह बिल हमारे सामने लाया गया है। इसके लिए जो देर लगी, उसके लिए मुझे दुख होता है। हमारा कांस्टीच्यूशन —पास हुआ था, तो उसमें हरिजनों के लिए दस बरस के लिए सेफ़-गार्डज़ रखे गए थे, उन दस बरसों में से ४ बरस तो चले गए और छः बरस बाकी हैं। जिस प्रगति से आज यह कार्य चल रहा है, उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि इस समय में हमारी सरकार और हमारी जनता की इच्छा पूरी हो सकेगी। फिर भी देर से ही सही, लेकिन आज यह बिल आ गया है, यह बड़ी खुशी की बात है। हजारों वर्ष से भारत में हिन्दू धर्म के ऊपर छुआ-छूत का यह कलंक रहा है, यह बात हम सब लोग जानते हैं।

हिन्दू धर्म में चार वर्ण थे : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन कुछ मतलबी और सनातनी लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक पांचवां वर्ण "अतिशूद्र" भी बना दिया जो सेवा का कम करते हैं, उनको उन्होंने अछूत बना दिया। भगवान की कृपा से हमारे देश म पहले भी बड़े-बड़े सन्त हो चुके हैं, जैसे तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, रैदास, तुलसीदास और कबीर इत्यादि: उन सब महान सन्तों ने अस्पृश्यता-निवारण के लिए बहुत कार्य और प्रचार किया, और उसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस बारे में थोड़े ही सालों में जो क्रान्ति कर दी, पहले हज़ारों वर्षों में नहीं हो सकी। महात्मा गांधी जी ने हरिजनों के लिए जो कार्य और त्याग किया, उसके लिए हरिजन सदा उनके ऋणी रहेगे।

महात्मा गांधी जी ने जो कुछ कहा, वह पहले करके दिखलाया, बहुत से लोग प्लैटफार्म पर कुछ बोलते हैं, पर कार्य करने में पीछे रहते हैं। वे प्लैटफार्म पर बड़े-बड़े लेक्चर देते हैं कि अस्पृश्यता मानना गुनाह है, पाप है, ऐसा मत लेकिन जब घर जाते हैं, तो उनका व्यवहार वैसे का वैसा रह जाता है। वे कहते हैं कि "क्या करें ?" हमारी तो इच्छा है, लेकिन हमारी घर वाली सुनती नहीं है।" महात्मा जी ने ऐसा नहीं किया। हरिजन की लड़की—भंगी की लड़की—को अपनी पुत्री की तरह अपने घर में रखा और अपनी बच्ची की तरह पाला। एक दिन उनकी परीक्षा भी हो गई। कुछ

[श्री कजरोल्कर]

बड़े बड़े लीडर वहां पर बैठे हुए थे। उसी वक्त लक्ष्मी—वही लड़की—बाहर आ गई और उसके मुंह में एक पका हुआ आलू था । उसने आते ही कहा कि "बापू, बापू तुम खाओगे ?" सब लोगों ने देखा कि आलू आधा उस बच्ची के मुंह में था और आधा बाहर था। बापू जी ने कहा, "आ मुझे दे" और वह आलू उस बच्ची से लेकर खुद खा लिया। जैसा उन्होंने कहा, वैसा ही उन्होंने किया "बोले तैसा चाले त्याची वंदावी वाऊले ।"

हरिजनों की दिक्कतें अब भी बहुत हैं। देहात में अभी भी हम लोगों को पानी की बड़ी तकलीफ़ है। जानवरों को तो पानी मिल जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर हरिजनों को पानी नहीं मिलता है। कानून कायदे तो पास हो गए हैं और स्टेट गवर्नमेंटों ने भी पास किए हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। और अमल करना किसके हाथ में है ? यह भाग्य की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, जिन्होंने महात्मा जी के साथ काम किया है, को भी हमारे लिए हमदर्दी है । होम डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट उनके ही हाथ में है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इन कायदे कानूनों पर पूरी तरह अमल नहीं करेगा, तो हमें अपने काम में कोई सफलता नहीं मिलेगी । आज देहात में राज्य किसका है ? मैं यह नहीं कहता कि पंडित जवहारलाल नेहरू का नहीं है, लेकिन वास्तव में वहां पर पटवारियों और पुलिस का ही राज्य है। अगर किसी ने गुनाह किया, तो लोग उनके पास ही जायेंगे। अगर उनकी सहानुभूति होगी, तो काम होगा, वरना नहीं।

तीसरी बात यह है कि कानून के साथ ही साथ प्रचार की भी बड़ी ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि अब हिन्दू समाज में बड़ी जागृति हो गई है। कांस्टीच्यूशन के आर्टीकल १७ में अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अब भी हमारे हिन्दू धर्म के जो अनपढ़ लोग हैं, उनमें जागृति नहीं हुई। है। उनमें जागृति लाने के लिए बड़े प्रचार की आवश्यकता है। जब तक प्रचार नहीं होता है, तब तक पुराने रीति-रिवाज दूर नहीं होंगे और कानून कायदों का भी पूरा असर नहीं होगा। हमारी माताओं और स्त्रियों में भी इस प्रकार के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है ।

'जिच्या हाती पालण्याची दोरी ती जगाते उद्धारी'; अर्थात, जिसके हाथ में बच्चों के झूले की डोरी है, वही दुनियां का का उद्धार करेंगे। अस्पृश्यता-निवारण का हमारी मातायें और त्रियां ज्यादा कर सकेंगी। तो मैं सवर्ण माताओं से प्राथना करूंगा कि यदि वे इस अस्पृश्यता निवारण के काम को अपने हाथ में ल तो यह कार्य सफल हो सकता है।

तीसरी बात यह कि अभी भी जो गंदा काम है वह हम लोगों को ही करना पड़ता है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि जहां आपने यह नियम इस कानून में रखा है कि जो इसके विरुद्ध जायगा उसको सजा दी जायगी, वहां आप ऐसा भी रखें कि जो इस के अनुसार अच्छा काम करेगा उसको कुछ बख्शीश भी दी जायगी । जिस गांव में अस्पृश्यता न हो उस गांव को सरकार को कुछ एनकरेजमेंट देना चाहिए।

यह जो बिल सभा के सामने लाया गया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द अमल होगा ।

श्री जांगड़े : मेरा क्षुद्र जीवन आजतक सामाजिक सुधार करते हुए और समाज में दर दर की ठोकरें खाते व्यतीत हुआ है। लेकिन आज जो मुझे चैन मिला है वैसा मुझे कभी मिलने वाला नहीं है।

आज हम हजारों साल से समाज में ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन मैं आज यहां यह भावना लेकर नहीं आया हूं कि हम हरिजन हिन्दुओं से बदला लेंगे और जो हजारों साल से उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है उसका प्रायश्चित्त करवा कर रहेंगे। हमें राजनीतिक आजादी मिल गयी लेकिन हमें रूढ़ियों से आजादी नहीं मिली हैं। आज इन रूढ़ियों से आज़ाद होने का प्रयत्न करने के लिए यह विधेयक लाये हैं।

जो आदमी प्यासा होता है वह चाहता है कि मैं घड़ा भरा पानी पी जाऊ लेकिन जब उसको पानी मिल जाता है तो थोड़े से ही उसकी तृप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से हरिजन जो हजारों साल से सताये गये हैं वे चाहते हैं कि हमको बहुत कुछ मिल जाय। लेकिन यदि आप इत्मीनान से काम करेंगे तो उनको थोड़े ही में तृप्ति हो जायगी। हरिजनों ने हिन्दू समाज के अन्दर रह कर हजारों साल तक कुत्तों से बदतर जीवन बिताया है पर ईसाई बनना स्वीकार नहीं किया। तो आज अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि यह जो बिल आ रहा है यह हमारे करोड़ों लोगों के नेत्रों को खोल देने वाला बिल है।

हमें लोग छुआछूत के रोग के रोगी हैं। और एक रोगी दूसरे रोगी के रोग को दूर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि हमारे सवर्ण हिन्दू भाई इस रोग को दूर करने के लिए डाक्टर बनें। जबतक वह ऐसा नहीं करेंगे यह रोग मिटने वाला नहीं है। इसलिए मैं सवर्ण हिन्दुओं से प्रार्थना करूंगा कि वे डाक्टर बनकर तन्मयता से हमारे रोगों को दूर करने की चेष्टा करें।

किसी जमाने में ऐसी स्थिति रही होगी कि कुछ लोग समाज के बन्धे हुए नियमों को नहीं मानते रहे होंगे और घृणित काम करते रहे होंगे इसलिए उनको अछूत मान लिया गया। लेकिन जिन्होंने उनको अछूत माना आज उनकी स्थिति क्या है। वह खुद दलदल में फंस गये हैं। बहुत से भाई जो आज गोवध के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, जब सन् १९४२ में लड़ाई चल रही थी तो वे ही कसाई खानों का ठेका लिए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमको इन चीजों को किस प्रकार देखना चाहिए।

यह कहां का न्याय है कि दलित जाति के भाई जो हजारों साल से ठुकराये जाने पर भी हिन्दू होने के नाते अपने धर्म पर कायम रहे उनको आदर और प्रतिष्ठा न मिले पर जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया और ईसाई हो गया उसको प्रतिष्ठा मिले। हिन्दू समाज को इस बात को समझना चाहिए कि करोड़ों हरिजन सब प्रकार का अपमान सहते हुए भी आजतक हिन्दू बने हुए हैं। आपको उन्हें अपनाना चाहिए।

बहुत लोग कहते हैं कि हिन्दू धर्म शाश्वत है, उदार है। मैं भी यह कहता हूं।पर जब जब इस धर्म में धूल के कण पड़े हैं तो कोई-न-कोई महात्मा उनको दूर करने के लिए पैदा हो गया। जब जब धर्म पर संकट पड़ा है तब-तब हिन्दू धर्म में परिवर्तन हुआ है। आज ये हजारों साल की रूढ़ियां सड़ चुकी हैं। इस सड़ी हुई रूढ़ियों को दूर करक हमें इस समाज की हड्डी को मजबूत बनाना चाहिए। हिन्दू जाति धर्म नहीं है, हिन्दू समानता धर्म है। हमें समानता के आदर्श को लेकर आगे बढ़ना होगा।

मैं यह भी कहता हूं कि अनेक बुरे कर्मों में धर्म का या जातिपांत का भेद नहीं माना जाता पर धर्म के कण-कण में छुआछूत मानी जाती है। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि रस्सी जल गयी है पर उसकी ऐंठन नहीं गयी है। इस ऐंठन को दूर करने के लिए ही हमको इस बिल का उपयोग करना चाहिए।

हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि कानून से क्या होगा आवश्यकता तो हृदय परिवर्तन

[श्री जांगड़े]

की है। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन मैं समझता कि हमको हृदय परिवर्तन के साथ साथ कानून की भी जरूरत है। रामराज्य में भी हमें कानून का अनुसरण करना पड़ता था और आज गांधी युग में भी हमें कानून का अनुसरण करना होगा। बहुत सी अनैतिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए हमको कानून की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हमें हृदय परिवर्तन की भी आवश्यकता है। आज जो विधेयक इस सभा में अस्पृश्यता निवारण के लिए लाया गया है उसे लेकर हमें आगे बढ़ना होगा।

महात्मा बुद्ध ने प्यास लगने पर एक स्त्री से कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो उसने कहा कि मैं तो चाण्डाल हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुम्हारी जाति नहीं मांगी थी। इस भावना को लेकर जब हम काम करेंगे तो हम सफल हो सकेंगे।

हिन्दू धर्म ऐसा धर्म नहीं है जो कि यह मानता हो कि जो अछूत होकर जन्म लेगा व अछत ही रहकर मरेगा भी। हमारे भाई कहते हैं कि हरिजनों को अपवित्रता की भावना के कारण मन्दिर में नहीं आने दिया जाता। मैं अनेक मठाधीशों को जानता हूं जो रोज देवता की पूजा करते हैं। परन्तु उनके कर्म इतने खराब है कि वह कभी ईश्वर को नहीं प्राप्त हो सकते। पर वह हरिजन जो सच्चे दिल से केवल मन्दिर की सीढ़ी छूकर चला आता है वह ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। आदमी अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ऊंचा और नीचा होता है, न कि जाति के अनुसार। इसी भावना को लेकर हमको काम करना होगा। हम उस पुजारी के घृणित कार्यों की प्रशंसा करें और हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश न करने दें, यह उचित नहीं है। भगवान की दृष्टि में पुजारी और हरिजन दोनों समान हैं। उसके नेत्र सबके लिए खुले हुए हैं। मेरा तो मत है कि जिस मंदिर में हरिजन लोग भगवान की पूजा नहीं कर सकते, वहां भगवान नहीं है, वहां तो बंधन में जकड़ा हुआ भगवान है। हमारे कुछ भाई हमसे कहते हैं कि समय का प्रवाह ही ऐसा है कि छुआछूत मिटती जा रही है, इसलिए क़ानून द्वारा इस तरह कोशिश करने की क्या ज़रूरत है और जब समय प्रतिकूल होता है तो यही भाई कहते हैं कि भाई क्या किया जाय, समय इतना प्रतिकूल है कि चाहे हम हज़ारों, लाखों कोशिशें क्यों न करें, कुछ होने वाला नहीं है, तात्पर्य यह कि दोनों दशाओं में ये आदमी कोशिश करना नहीं चाहते। यह क्या बात हुई। जब समय प्रतिकूल है तो आप कहते हैं कि लाख कोशिश करने पर भी यह चीज़ नहीं हो सकती और जब समय अनुकूल हो तो कह देते हैं कि वह तो समय के प्रवाह के साथ ठीक हो जायगी, उसमें कोशिश करने की ज़रूरत क्या है और इस तरह आपको आत्मशुद्धि करने का मौका कहां मिलता है। यज्ञ करने और आहुति लेने और आहुति देने दोनों में फ़र्क है। दूध का उफ़ान आना वह आहुति लेना है या आग लगाना है। अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के यज्ञ में अस्पृश्यता की आहुति देना यज्ञ करना कहलायेगा और यदि हमने ऐसा यज्ञ नहीं किया तो इस देश में सामाजिक बलवे होंगे और इन सामाजिक बलवों की आग में यह अस्पृश्यता का कलंक मिट कर रहेगा, परन्तु वह तो आग लगना हो गया, हम तो यज्ञ चाहते हैं। हज़ारों लाखों सालों से जो हमने अन्याय किये हैं हम उनको इस अस्पृश्यता को अपनी आत्मशुद्धि के यज्ञ में आहुति देकर समाप्त करना चाहते हैं। मैं अपने स्वर्ण हिंदू भाइयों से अनुरोध करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वह इस अस्पृश्यता की जो नीति है उसकी आहुति अपने आत्मशुद्धि के यज्ञ में दे दें और तभी हमारे देश और समाज का कल्याण हो सकता है।

अभी यह जो विधेयक हमारे सामने आया है उसके पालन के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। यह कानून तो पास हो जायेगा और हम सब लोगों की इच्छा है कि इस क़ानून पर पूरी तरह पर अमल हो पर जिन लोगों पर इस कानून को अमल में लाने का काम होता है, वह अपना कर्त्तव्य ठीक तरह से नहीं पूरा करते और हमें यह देखना है कि यह कानून कितना अमल में आता है क्योंकि हमारा पिछला अनुभव हमें बताता है कि हरिजनों के लिए पिछले आठ दस साल में जो काकून बने, उन पर किस तरह से अमल होना चाहिए था, अमल नहीं हुआ है और आप उनकी छानबीन करेंगे तो आपको पता चल जायेगा कि कितने मामले पकड़े गये, कितने केसों में चालान हुआ और कितनों में सज़ा हुई। हमने देखा है कि जो अधिकारी-गण हैं और पुलिस विभाग वाले हैं और जिन पर कि इसकी ज़िम्मेदारी आती है वे अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, कितनी ही मर्तबा तो जब हमारे भाई लोग पुलिस में किसी ज्यादती की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती और अगर लिखी भी जाती है तो होता यह है कि वे लिखाना कुछ चाहते हैं और रिपोर्ट कुछ और लिखी जाती है और रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद भी पुलिस की तबीयत के ऊपर है कि उस मामले को हाथ में ले या न ले। मैं अपने गृह मंत्री का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे अपने नीचे के पुलिस अधिकारियों को हिदायत करें कि वे इस तरह की उदासीनता की नीति अख्तियार न करें और जिस तरह से संगीन मामलों में तत्परता से काम करते हैं उसी तरह इस अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी क़ानून को अमल में लाने के सम्बन्ध में भी काम करें और जब कभी कोई इस क़ानून की अवहेलना सम्बन्धी शिकायत उनके पास आये तो जांच पड़ताल करने के बाद उसको रोकने के लिए कड़ा से कड़ा क़दम उठायें। मैं समझता हूं कि जब पुलिस विभाग इस तरह काम करेगा तभी हमारा कल्याण होगा नहीं तो एक क्या इस तरह के कितने ही क़ानून हम यहां बैठ कर पास कर दें, हमारा मक़सद पूरा होने वाला नहीं है। आज हमारी शिकायत है कि पुलिस विभाग और ज़िले के अधिकारीगण ठीक तरह से काम नहीं करते हैं और एक तरह की उदासीनता का व्यवहार करते हैं।

हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि हरिजनों की समस्या छुआछात की समस्या नहीं है, हमें तो उनकी आर्थिक गरीबी को दूर करना है उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, मैं मानता हूं कि हरिजनों की समस्या आर्थिक और अशिक्षा की समस्या है, पर हरिजन भी आखिर मनुष्य होते हैं, हम केवल रोटी ही नहीं चाहते, रोटी के सिवा हम और चीजें भी चाहते हैं। हम इस विधेयक को चाहते हैं, आज हर एक आदमी को अपने आत्मसम्मान का गौरव है इसलिए अपने आत्मसम्मान के गौरव के लिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से स्वतंत्र भारत में हर कोई स्वतंत्रता के साथ अपने अधिकारों का उपभोग कर सकता है, अधिकार चाहे सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो, घरेलू हो या धार्मिक हो, जिस तरह से स्वतंत्रता के साथ हम उनका उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह इस देश का हर एक मानव उनका उपयोग कर सके, यही मेरे मन में अभिलाषा है। इतना कहते हुए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा और इस सभा से प्रार्थना करूंगा कि भगवान सब को सद्बुद्धि देकर इस कलंक को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिटा दें, क्योंकि जितने दिन तक यह कलंक हमारे बीच में विद्यमान रहेगा, उतने दिन तक हमारा हिन्दू समाज सड़ता रहेगा।

श्री के० एल० मोरे (कोल्हापुर व सतारा –रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हमें पता है

[श्री के० एल० मोरे]

कि देश में अस्पृश्यता भयानक रूप में फैली हुई है, अतः इस विधान को पेश करना उचित है। हमारे संविधान में भी मूल अधिकारों के साथ अस्पृश्यता को दण्डनीय बताया गया है। अतः यह विधान संविधान के अनुकूल ही है। सरकार ने यह एक प्रगतिशील कदम उठाया है।

माननीय गृह मंत्री ने बताया है कि इस विधान के द्वारा हम असमानता को दूर करके देश की जनता में एकता लाना चाहते हैं। मेरा सुझाव है, इस विधेयक को कार्यान्वित करने में इस बात की सावधानी रखी जाय कि कटुता न बढ़ने पावे। अनुसूचित जातियों के आयुक्त ने भी कहा है कि देहातों में सवर्ण हिन्दुओं में यह भावना है और देहात के अस्पृश्य लोग उन पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं, अतः यदि कटुता बढ़ी तो उनकी बहुत हानि होगी।

संयुक्त समिति द्वारा किये गये कुछ संशोधनों की मैं प्रशंसा करता हूं कि इस प्रकार के अपराध दण्डनीय समझे जायें। मैं समझता हूं कि इससे अस्पृश्यता काफी मात्रा में मिट जायेगी। यदि इस कार्य के पूरा होने में सैंकड़ों वर्ष भी लगें तो मैं आशावादी हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम हमें देहात के अस्पृश्य लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना चाहिये। इससे उनकी हीनता की भावना कम होगी और आपस में भाई चारे का व्यवहार हो जायेगा।

कछ लोगों ने समझाने-बुझाने की प्रणाली का सुझाव रखा है। पर मैं तो समझता हूँ कि पहले उनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिए। विधान भी हो और साथ ही समझाने-बुझाने का कार्य भी किया जाय। आर्थिक स्तर ऊंचा करने से सभी कठिनाइयां स्वयं ही हट जायेंगी।

हमारे हिन्दू महासभाई मित्र पशु रक्षा, गोरक्षा, आदि की बातें करते हैं, पर इन लोगों की रक्षा का ध्यान नहीं देते। उनका मस्तिष्क बड़ा रूढ़िवादी है। उनके पास अस्पृश्यता दूर करने की कोई योजना नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कटुता बढ़े। मैं विधेयक का समर्थन करता हुं।

श्री एस० एस० मोरे: मैं इस विधान का स्वागत हूं। अस्पृश्यता की समस्या गूढ़ तथा विकट है। महात्मा गांधी ने इसके निवारण के लिए बहुत प्रयत्न किया। मैं इस समस्या की गंभीरता को जानता हूँ। अनुच्छेद १७ में कहा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया है पर हम देखते हैं कि अभी देश में अस्पृश्यता अपने भीषण रूप में है। पर हमारे पास क्या साधन है कि हम इसको शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर सकें।

मैंने विधेयक को ध्यान से देखा है पर मैं इससे कुछ अधिक आशा नहीं रखता। मैं इस प्रयत्न की अवश्य प्रशंसा करता हूँ, पर क्या हम इस छोटे से विधान के द्वारा अस्पृश्यता को हटा सकेंगे ?

हम देखतें हैं कि हम लोग बड़े रूढ़िवादी हैं। अपने से उच्च जाति के लोगों को देखकर हम क्रान्ति करने को तैयार हो जाते हैं और हम मांग करते हैं कि हमें उन लोगों के बराबर स्तर पर कर दिया जाय ! पर अपने से नीचे स्तर के लोगों को अपने समान स्तर पर लाने की बात का विरोध करते हैं। यही हमारी रूढ़िवादिता है। मैं ब्राह्मणों का बड़ा विरोधी हूँ। पर हमारा कुछ स्वार्थ भी है। हरिजनों पर अत्याचार करने वाले कौन हैं ? वे अधिकतर सवर्ण हिन्दू ही हैं और अधिकांश

सवर्ण हिन्दू ही हमारे मतदाता हैं, अतः उनकी रूढ़िवादिता के संबंध में कुछ कह कर उन्हें कौन अप्रसन्न करे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब मैं ज़िलाबोर्ड का प्रेसीडेण्ट था, कुछ हरिजन कार्यकर्ता एक स्कूल की सीमा के भीतर के एक कुयें पर इस आशा से पानी भरने गये कि सारे गांव के लोग कांग्रेसी हैं और उन्हें कोई आपत्ति न होगी। पर गांव वालों ने कहा कि हम स्वतंत्रता के युद्ध में कांग्रेस के साथ हैं पर अस्पृश्यता निवारण के संबंध में कांग्रेस के साथ नहीं है।

मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाता हूँ। १९५३ में मैं शोलापुर के एक गाँव में दौरे पर गया। मैं अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ था। वहाँ कुछ हरिजन मेरे पास आये। उनकी अवस्था बड़ी अभाव एवं विपदाग्रस्त जान पड़ती थी। उन्होंने कहा कि वे अपनी कठिनाइयां मेरे सम्मुख रखना चाहते हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वहाँ गाँव के लोग उन्हें, गाँव के एक मात्र कुएँ से पानी नहीं लेने देते हैं। वे गर्मी के दिन थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी मेरे दल के कार्यकर्त्ताओं ने मुझसे कहा कि आप इन हरिजनों का पक्ष न लें, क्योंकि इनका पक्ष लेने से आप सवर्ण हिन्दुओं को जिनके मतों से आप सफल हुए हैं अपना विरोधी बना लेंगे।

मैं अपने यह अनुभव इसलिये बता रहा हूँ कि आप किस पर अभियोग चलायेंगे ? १,००० व्यक्तियों के गाँव में १०० या २०० से अधिक हरिजन नहीं मिलेंगे। इस अधिनियम की भी अन्त में वही गति होगी। जैसे कि शारदा अधिनियम तथा अपमिश्रण अधिनियम की हुई थी। क्योंकि सरकार के निम्न कर्मचारीगण, यथा पटवारी पाटिल तथा सिपाही, इत्यादि घोर पुरातन पंथी होते हैं। ये ही लोग इस अधिनियम को क्रियान्वित करेंगे। आप कहेंगे कि खंड १२ के अनुसार दोष प्रमाणित करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा। यह ठीक है, किन्तु यह पूर्वानुमान कौन निकालेगा ? न्यायालय जहाँ हरीजन लोग नहीं बल्कि कुलीन हिन्दू बैठे हुए हैं जिनको आपने विद्यालयों से अर्हता प्राप्त होने के कारण नियुक्त किया है, न कि उनके समाज सुधारक तथा प्रगतिशील विचारों के कारण। वस्तुतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ किन्तु विधेयक को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में मुझे गम्भीर संदेह है।

चुनाव तेजी से आ रहे हैं और हम सभी चुनाव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तब भला उस बहुमत से जिनके आधार पर हम टिके हैं, हरिजनों के निमित्त कौन विरोध मोल लेगा।

प्रश्न नगरों का नहीं, प्रत्युत गाँवों का है– जहाँ के कुलीन व्यक्तियों के पास गांव की अधिकाँश भूमि, सम्पत्ति तथा पदाधिकारियों की सहानुभूति रहती है। उनके विरुद्ध हरिजनों को सामना करना है जिसके लिये यह विधेयक नितान्त दुर्बल है।

मैं इस प्रयत्न की प्रशंसा करता हूं किन्तु यदि मैं अपनी आशंका व्यक्त न करूं तो यह इस उद्देश्य के तथा स्वयं मेरे प्रति विश्वास-घात होगा।

यदि श्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि बहुमत की परवाह किये बिना कड़ुवी बातें कह देने में विख्यात हैं, की बातों का अनुकरण किया जायेगा तो सरकार को बहुमत का कोपभाजन बनने को प्रस्तुत रहना चाहिये। महात्मा गाँधी को इस कारण अपने प्राण त्याग देने पड़े। कहीं श्री पाटस्कर महोदय को भी अपना सरकारी स्थान छोड़ना न पड़े।

मेरे जीवन में कदाचित ही ऐसा समय आये जब कि मैं इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित

[श्री एस० एस० मोरे]

होता देख सकूं। इन्हीं सब संदेहों एवं आशंकाओं के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री पी० एन० राजभोज :

न जच्चा वसलाहोति, न उच्चा होती ब्राह्मण।
कर्मणा वसला होति, कर्मणा होति ब्राह्मण॥

जन्म से न कोई शूद्र होता है और न ब्राह्मण, कर्म से ही मनुष्य शूद्र होता है और कर्म से ही ब्राह्मण। अभी हमारे राम राज्य परिषद के भाई बोले। बात तो वह ठीक कहते हैं लेकिन वह दिल से यह नहीं चाहते कि मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश हो। सब लोग यह कहते हैं कि यह जाति पांति नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार के पास भी इसके लिए कार्यक्रम है लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आज स्वराज्य मिलने के इतने सालों बाद तक भी अस्पृश्यता निवारण का काम पूरा नहीं हुआ। मुझे दुःख है कि यह बिल इतनी देर से लाया गया। इसको इतनी देर क्यों लगी? महात्मा जी भी कहते थे और हमारे दूसरे नेता लोग भी कहते हैं कि छूआछूत खत्म होनी चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की मैशिनरी बहुत धीमी चलती है। अभी तक अछूतों के लिए कुछ कार्य हुआ है लेकिन अभी उनको आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ऊंचा नहीं उठाया गया। देहात में यह मामला इतना बड़ा है कि हमारी सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। अभी इस बारे में मोरे साहब ने कहा, खर्डेकर साहब ने कहा और कांग्रेस वालों ने भी कहा। सब की सहानुभूति इसके साथ अवश्य है लेकिन इस पर अमल नहीं होता इसका मुझे दुःख है। अभी हमारे देशपांडे जी और चटर्जी साहब यहां पर थे। अभी चले गये हैं। ये लोग कमेटी में तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन जब समय आता है तब वह बात नहीं रहती। इनका वही हाल है कि "मन में छरी बगल में राम, रघुपति राघव राजा राम"। हमारे लिए सावरकर जी ने और डा० अम्बेडकार ने बहुत काम किया है।

श्री वी० जी० देशपांडे : हम आपके कहने पर डा० अम्बेडकर को लेने के लिए तैयार हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : आपके पास हमारे लिए कोई प्रोग्राम नहीं है और दूसरी पार्टियों के पास भी नहीं है।

श्री धुलेकर (जिला झांसी–दक्षिण) **:** कांग्रेस के पास है।

श्री पी० एन० राजभोज : कांग्रेस के पास है लेकिन वह अमल में नहीं आता है। इस छुआछत को दूर करने के लिए लोगों ने अपना जीवन दिया जिसमें मुख्य महात्मा गांधी, श्री सावरकर, साहू छत्रपति, कर्मवीर शिंधे, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, जिन्होंने डा० अम्बेडकर को पढ़ने में सहायता की, आदि हैं। आपको आजादी मिली है लेकिन हमको अभी आजादी कहां मिली है। इस हाउस में लोग बहुत बातें कहते हैं लेकिन बाहर उनको अमल में नहीं लाते। खर्डेकर साहब ने अभी तक शादी नहीं की है जब इंटरमैरिज होने लगेगा तो वे शादी करेंग। मैं चाहता हूं कि यह चीज़ देश से जल्दी उठ जाय तो देश सब तरह से आगे बढ़े।

हमारे सावरकर जी ने कहा था कि रोटी बन्दी, लोटी बन्दी, बेटी बन्दी और भेंट (मिलना) बन्दी समाज से जानी चाहिए। जब तक यह चीज़ें दूर नहीं होंगी देश का भला नहीं होगा।

हमारे पंडितजी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका से, अमरीका से और दूसरे देशों से जातिभेद खत्म होना चाहिए। यह ठीक है कि वह इस प्राबलम को दूसरे देशों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने घरेलू मामले की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उनको ज्यादा काम करना

चाहिए। हम नहीं चाहते कि यहां पर अछूतों का मामला ऐसा का ऐसा ही रह जाय ? जब तक जनता का दिल साफ नहीं होगा तब तक यह काम सफल नहीं हो सकता। केवल बिल पास होने से काम नहीं चल सकता, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हृदय परिवर्तन तो न हो और केवल ऊपर से बात करें ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं आज ३० वर्षों से अछूतों की सेवा कर रहा हूं और मैं उनका एक छोटा सेवक हूं। इसके लिए मैं यह नहीं कहता कि मैं ऐसा करके कोई मेहरबानी कर रहा हूं। मैं समाज के एक छोटे सेवक की भांति यह काम कर रहा हूं और मेरी इच्छा है कि समाज की उन्नति हो। मैं कहना चाहता हूं कि यह काम केवल बिल पास करने से नहीं होगा। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए ताकि हरिजनों को जमीन मिले, मकान मिलें, उनको नौकरियां मिलें। आज हमारा एक भी हरिजन गवर्नर नहीं है, कोई अस्पृश्यवर्ग का एम्बेसेडर नहीं है। फारिन सरविस में ईसाई हैं, मुसलमान भी हैं लेकिन दलित वर्ग नहीं हैं। हमारे यहां अछूतों में ऊंचे दरजे के पढ़े लिखे लोग हैं। यदि आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको क्यों नहीं रखते। यह काम केवल बिल पास करने से नहीं होगा। यह ठीक है कि बिल भी पास होना चाहिए लेकिन सरकार को हमारी आर्थिक उन्नति के लिए भी योजना बनानी चाहिए कि जिस से जो अछूत गुलामों और कुत्तों का जीवन बिता रहे हैं वह उठें। उनको मकान मिलने चाहिएं, जमीन मिलनी चाहिए और उनको कानूनी सलाह मुफ्त मिलनी चाहिए।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

अछूत वर्ग को जो लोग देहातों में तकलीफ देते हैं उनको ६ महीने से ज्यादा सजा होनी चाहिए। आपने इस आफेंस को कम्पाउंडेबिल रखा है। देहातों में अछतों की संख्या कम रहती है और दूसरे हिन्दुओं की ज्यादा रहती है। वे लोग अछूतों पर दबाव डालते हैं और उनको समझौता करना पड़ता है। हमको देहातों में गवाही देने वाले नहीं मिलते हरिजनों की बस्ती अलग रखी जाती है उसमें सेनीटेशन तक नहीं होता। उनको स्वस्थ रखने के लिए उनकी बस्ती में सफाई होनी चाहिए। वहां पानी का इंतजाम होना चाहिये और दूसरी चीजों का इंतजाम होना चाहिये।

अब गांवों में ग्राम पंचायतें बन गयी हैं, लेकिन उनका अछूतों पर इतना दबाव रहता है कि अछूत अपना सिर नहीं उठा सकते। आज हम अछूतों का जीवन बड़ा कष्टमय और दुःखमय ह। मेरी प्रार्थना है कि जैसा हमारे भाई खर्डेकर साहब ने कहा कि जहां आप लाखों करोड़ों रुपये तरह-तरह के कामों पर खर्च कर रहे हैं, वहां इस समस्या को हल करने के लिए एक सेप्रेट मिनिस्ट्री बना दीजिये जो एक्सक्लूज़िवली हरिजन उद्धार का काम अपने हाथ में ले। रेफ़्यूजीज़ के वास्ते आपने एक अलग मिनिस्ट्री बनाई और करोड़ों रुपये खर्च कर डाले और सब दृष्टियों से उनकी प्राबलम खत्म हो गयी, उसी तरह आप हरिजनों के वास्ते क्यों नहीं एक अलग विभाग क़ायम कर देते और मैं एक मर्तबा नहीं अनेकों बार इस हाउस में प्रार्थना कर चुका हूं लेकिन अफ़सोस का मुक़ाम है कि हमारी प्रार्थना पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और गवर्नमेंट सोई पड़ी है, ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट अपनी गफ़लत को छोड़े और हरिजनों के वास्ते अलग मिनिस्ट्री बनाये जो उनकी मकान, आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक तथा अन्य अनेकों कठिनाइयों को हल करने में जुट जाय।

हरिजनों में शिक्षा प्रचार की बड़ी आवश्यकता है और सरकार को उनको कम्पलसरी मुफ्त शिक्षा प्राइमरी स्टेज से

[श्री पी० एन० राजभोज]

युनिवर्सिटी शिक्षा तक देने का प्रबन्ध करना चाहिए । मैं इससे इनकार नहीं करता कि गवर्नमेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में हरिजनों के वास्ते कुछ किया है, हरिजनों को कुछ स्कालरशिप दिये जाते हैं लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, आज सरकारी नौकरियों में हालांकि रिज़रवेशन मौजूद है लेकिन हरिजनों में संख्या बहुत कम है और जब कभी हम होम मिनिस्टर साहब का उस ओर ध्यान दिलाते भी हैं तो कह दिया जाता है कि हमें हरिजनों से फुल सिम्पथी है और जल्द से जल्द यह सवाल हल कर देंगे लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खाली बातों से कुछ नहीं होगा और मेरी तो हाउस से प्रार्थना है कि जिस तरह से मुआविज़ा सम्बन्धी क़ानून में संशोधन हो रहा है, उसी तरह मैं चाहूंगा कि हमारे जो अछूत भूमिहीन हैं और मज़दूर हैं, उनके लिए मिनिमम वेजेज़ एक्ट बनाने की आवश्यकता है । सरकार के पास अगर हरिजनों को सहायता करने के लिए पैसा कम है तो नमक के ऊपर टैक्स लगा कर कमी को पूरा करें, इसके अलावा मिलिटरी के सम्बन्ध में लाखों और करोड़ों रुपये व्यय होते हैं, उस व्यय में कुछ कमी करके जो पैसा बचे उसे अछूतोद्धार कार्य में आप लगा सकत हैं । जहां मैं सवर्ण हिन्दू भाइयों से हरिजनों की सहायता करने के लिए कहता हूं वहां मैं अपने हरिजन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि उनको अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए और अपने को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, जब तक हम लोग स्वयं त्याग करने को तैयार नहीं होते तब तक दूसरों से ऐसा करने के लिए हम किस मुंह से कह सकते हैं। हिंदू धर्म की रूढ़ी से हमारे खुद अपने बीच में भी जातिपात का भेदभाव है, कई प्रकार की छोटी जातियां हैं और उनको खत्म करने के लिए हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपस में सहयोग करने से और कोआपरेशन करने से यह जातिपात का मामला हमारे बीच से खत्म हो जायगा । कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म परिवर्तन करने से अछूतों का मामला हल हो जायगा लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता और हम देखते हैं कि जो हमारे भाई लोग मुसलमान बन गये वह वहां अछूत मुसलमान हैं और जो ईसाई बन गये वह ईसाई अछूत हो गये, हमारे जो महार भाई ईसाई बन गये हैं, उनकी हालत पहले ही जैसी है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है । मुझे मालूम है कि इन मिशनरीज को काफ़ी आर्थिक सहायता मिलती है और उनके पास काफ़ी फंड्स रहते हैं लेकिन कोई धर्म परिवर्तन कर लेने से अछूतपने की समस्या हल नहीं हो जाती है, आर्थिक, सामाजिक और दूसरी अन्य कठिनाइयां तो बनी ही रहती हैं । यह ठीक है कि हम बुद्ध धर्म को मानते हैं, उसके तत्व अच्छे हैं और उन तत्वों को अमल में लाने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे लेकिन धर्म परिवर्तन में मेरा विश्वास नहीं है । हमारे सामने आर्थिक और सामाजिक सवाल सबसे बड़ा है । आप लोग कहते हैं कि आर्थिक सुधार होने से सब कुछ हो जायगा, लेकिन मैं समझता हूं कि सामाजिक सुधार होना बहुत आवश्यक है और सामाजिक सुधार करने के हेतु हमें भी ज्यादा श्रम और परिश्रम करने की ज़रूरत है ।

एक माननीय सदस्य : बौद्ध धर्म स्वीकार कर लीजिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : ठीक है जिनको बौद्ध धर्म अंगीकार करना होगा, वह उसे ग्रहण कर लेंगे लेकिन धर्म परिवर्तन मात्र से हरिजनों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं होगी । जहां तक बौद्ध धर्म का सम्बन्ध है उसके तत्व बहुत अच्छे हैं और जो पंचशील के सिद्धान्त हैं, उनको अमल में लाने से नुक़सान नहीं होगा ।

मैं समझता हूं कि यह जो इसमें ६ महीने की सज़ा का प्राविज़न रक्खा गया है यह एक कम्प्रोमाइज़ की तौर पर रक्खा गया है। मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए और यह मियाद बढ़ायी जानी चाहिए और अपराधी तत्वों को कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। यह दंड का विधान एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम इस अभिशाप को समाप्त करना चाहते हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपराधी हिन्दुओं को जेल में डाल देने भर से यह समस्या हल नहीं हो जायगी और इसी तरह मैं यह भी समझता हूं कि न मत परिवर्तन करने से इस समस्या को हल किया जा सकता है। ज़रूरत इस बात के देखने की है कि जो क़ानून हम पास करने जा रहे हैं उस पर ठीक तरह से देश भर में अमल हो।

अब मैं थोड़ा इस कानून की व्याख्या पर आता हूं। व्याख्या में दिया हुआ है कि इस खंड और खंड ४ के लिए हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या इसके विकास को मानने वाला सिख, जैन, बौद्ध, वीर, शैव, लिंगायत आदिवासी, ब्राह्म, प्रार्थना और आर्य समाज के अनुयायियों समेत हिन्दू धर्म का मानने वाला माना जायगा। संशोधन में यह अधिनियम लागू होता है कि किसी भी व्यक्ति को जो धर्म के किसी रूप या विकास द्वारा हिन्दू हो जिसमें वीर, शैव, लिंगायत, या ब्राह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी सम्मिलित हैं। किसी व्यक्ति को जो कि धर्म द्वारा बौद्ध, जैन या सिक्ख है और क्योंकि जैन धर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है। हिन्दू धर्म से भी प्राचीन है और एक सर्वथा स्वतंत्र धर्म है। किसी भी अन्य धर्म की शाखा नहीं है और न किसी का रूप या विकास है, मेरी प्रार्थना है कि हर एक को उसके मज़हब में अलग अलग रखने की आवश्यकता है और इसके लिये मैंने एक अमेंडमेंट भी दिया है और अमेंडमेंट्स पर डिस्कशन के वक्त अगर मुझे बोलने का अवसर दिया गया तो मैं उसके लिए ज़ोर दूंगा।

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर): आपका क्या कहना है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपना भाषण देने और समाप्त करने दें।

श्री पी० एन० राजभोज : एक सेप्रेट हरिजनों के लिए मंत्रालय बनाना चाहिये, बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों में न्यूनतम योग्यता वाले हरिजनों को रखना चाहिए और यह देखना चाहिये कि जो उनको रिज़र्वेशन मिला हुआ है वह ठीक तरह से अमल में आता है। पंचवर्षीय योजना में अछूतों का उद्धार करने के लिए और उनकी सामाजिक और आर्थिक तरक्की करने के लिए सरकार को काफ़ी रक़म रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास अनेक शिकायतें आई हैं कि पार्ट सी० स्टेट्स में हरिजनों की बड़ी खराब दशा है और उनकी दशा सुधारने के लिए वहां कुछ प्रयत्न नहीं हो रहा है, मैं अपने गृह विभाग से प्रार्थना करूंगा कि पार्ट सी० स्टेट्स को इस बात के लिए सख्त ताक़ीद की जाय कि वह हरिजनों की दशा सुधारने के लिए परिश्रम करें अन्यथा उन स्टेट्स को एबौलिश कर दिया जाये। इतना कह कर जो मैंने अमेंडमेंट दिया है, उस पर अगर मुझे सैकेंड रीडिंग के वक्त बोलने का अवसर दिया तो अपने विचार विस्तार से प्रकट करूंगा। बस अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं और सभापति महोदय ने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर) : सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं उन पिछड़े हुए लोगों के सम्बन्ध में कुछ कह सकूंगी जिन्हें कि हरिजन कहा जाता है हालांकि देखा जाय तो वह समाज के एक बहुत मुख्य और आवश्यक अंग हैं।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपको बतलाऊंगी कि पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत हो रही है। पहले हमारे यहां सवर्ण हिन्दू और हरिजन लोग आपस में बड़े मेलजोल से रहते थे और इतने मेल से रहते थे कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता था और यहां तक था कि किसी देवता का आवाहन करना हो, कहीं शादी विवाह हो अथवा कुछ भी मंगल कार्य हो तो सबसे पहले हरिजन द्वार पर आता था, उसके बगैर कुछ काम नहीं होता था। यदि देवता का आवाहन करना होता था तो पहले उनकी तरफ़ से देवता का आवाहन किया जाता था तब दूसरे सवर्ण हिन्दू चलते थे, कहने का मतलब यह कि इस तरह प्रेमपूर्वक भाई-भाई की तरह मिल कर रहते थे और इतना प्रेम बढ़ा हुआ था कि सवर्ण हिन्दू पहले हरिजन के लिए अपने खाने में हिस्सा अलग रख करके तब खाता था, आज की जैसी हालत पहले नहीं थी। उसके बाद एक बड़ी भारी क्रांतिकारी आंधी आई और उस आंधी में सबों ने अपना अपना मतलब साधना शुरू किया। जब आंधी साफ हुई तो हमने अपने को स्वतंत्र पाया लेकिन उसके साथ ही यह भी पाया कि बहुत से आदमी अपना-अपना मतलब साध रहे हैं और एक को दूसरे से लड़ा रहे हैं और अपना मतलब इस तरह से साध रहे हैं कि वे आज एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, उन हरिजन बेचारों के दिमाग़ फेर दिये कि सवर्ण हिन्दू, राजपूत, ब्राह्मण वगैरह तुम्हें नीच समझते हैं और हीन समझते हैं और तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं और इस तरह दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है और हम देख रहे हैं कि इस तरह से आज उनके बीच में झगड़ा और बैरभाव चल रहा है। इस झगड़े में किस की हानि हुई ? हानि तो बेचारे हरिजनों की ही हुई क्योंकि उनके पास भूमि नहीं थी, वह तो सदा से छोटे भाई की तरह बड़े भाई के कार्य में लगे रहते थे। इसलिये उनके पास भूमि नहीं थी कि जो बड़े भाई थे उनके ऊपर यह दायित्व था कि छोटे भाइयों को भूखे न रख कर उनके बच्चों को भी देखते रहें। लेकिन आज वह अवस्था बदल गई है। आज वह लोग दुःख पा रहे हैं। कम से कम मेरे क्षेत्र में तो यही हाल है। हरिजनों के पास न भूमि है और न भूमि खरीदने के लिये काफी पैसा या साधन हैं। जो सवर्ण जाति के कहलाते हैं, जो पहले बड़े भाई कहलाते थे, उनका काम तो किसी न किसी तरह से चल ही रहा है। आज अगर कोई दुःख पा रहा है तो वह हरिजन लोग हैं।

इसके वास्ते क्या उपाय हो सकते हैं? मेरे विचार में तो यह हो सकता है कि सरकार कम से कम उनको वही सुविधायें दे जो कि आज सवर्णों को हैं। चाहे उनकी बुद्धि कम हो या अधिक हो, वह अपनी बुद्धि के अनुसार जितना भी ग्रहण कर सकेंगे कर लेंगे। उनको बिलकुल सवर्णों के बराबर ही सुविधायें होनी चाहियें। यह मेरी सरकार से प्रार्थना है। पढ़ने लिखने में और सब दूसरी तरह भी उनको यह सुविधा होनी चाहिये। आज हम केवल यह समझ कर कि उनको मन्दिरों में प्रवेश करा लें, उनको अपने साथ खाना खिला लें, सोच लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। इससे न तो उन लोगों का पेटही भरेगा और न उनकी उन्नति ही हो सकेगी। अगर उनकी उन्नति करनी है तो उनको वही सुविधायें होनी चाहियें जो कि आज सवर्णों को हैं। मैं समझती हूं कि गांधी जी का स्वप्न तभी पूरा होगा जब

हम अपने उन अन्त्यज भाइयों को अपना भाई समझेंगे और अपना एक अभिन्न अंग समझेंगे। जिस तरह से अगर हमारा हाथ पैर काट दिया जाय तो हमें दुःख होता है, उसी तरह से अगर यह लोग अलग रहें तो हमको दुःख होना चाहिये। तभी हम सुखी हो सकते हैं और तभी उन भाइयों को लाभ पहुंचा सकता है।

मेरा विचार है कि हम लोग अपने देश में कानून बहुत ज्यादा बना रहे हैं। कानून से न तो किसी के ऊपर जबर्दस्ती की जा सकती है और न उसके द्वारा हम किसी का ज्यादा भला कर सकते हैं। यदि हम अपने हृदय को बदलें अपने मन को बदलें तो अवश्य कुछ हो सकता है। हरिजनों और सवर्णों दोनों को ही अपने मन को थोड़ा सा बदलना है। इससे यह फायदा होगा कि हमारा प्रेम उनकी तरफ बढ़ेगा और आज जो वह हमको अपना दुश्मन समझ रहे हैं, फिर जैसे पहले भाई समझते थे, वैसे ही समझने लगेंगे। आप चाहे जितने कानून बनायें, कानून के जरिये कुछ नहीं होने वाला है। इस लिये कानून के स्थान पर दूसरी तरह से यानी उनको अपना भाई समझ कर उनके साथ प्रेम भाव को बढ़ायें और उनको अपनायें तो ज्यादा असर हम उन पर पैदा कर सकेंगे।

इसी प्रकार से जो हमारे हरिजन भाई हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वह भी हमको अपना बड़ा भाई समझें। शास्त्रों में वह भी विश्वास करते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि हरिजन छोटे भाई हैं और सवर्ण लोग बड़े भाई हैं। अगर वह लोग मानेंगे कि हम छोटे भाई हैं, और सवर्ण बड़े भाई हैं और हम उनकी आज्ञा मानेंगे तो बड़ा भाई भी अपना कर्तव्य पूरा करेगा और आपकी रक्षा करेगा। अगर इस तरह से सहयोग करने के लिये दोनों तैयार हों तो दोनों में मेल हो सकता है, न कि कानून बनाने से।

मैं कुछ थोड़ा सा हरिजन भाइयों का दोष भी बताना चाहती हूं। वह दोष यह है कि उनमें आपस में भी फूट है और इस फूट के कारण वह सफल नहीं हो रहे हैं। उनके अन्दर क्या है? कोली चमार के यहां नहीं खायेगा, चमार कोली के यहां नहीं खायेगा, भंगी चमार के यहां नहीं खायेगा और चमार भंगी के यहां नहीं खायेगा। जब आपस में ही यह हाल है तो क्या कहा जाय? मैं तो उन सब के यहां खाने को तयार हूं, इसी तरह से और भाई भी तयार हो सकते हैं। लेकिन जब वह आपस में ही नहीं खायेंगे तो क्या होगा? मैं उनकी भलाई के वास्ते उनके सामने कम से कम यह रखना चाहती हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। मैं अपने क्षेत्र में ही देखती हूं कि जब मैं ने यह कहा कि मैं सब हरिजनों का दिया हुआ खाना खाने को तैयार हूं, मैं उनका बनाया हुआ हलुआ खाने को तैयार हूं तो वही लोग कहने लगे कि फलां तो चमार है, फलां भंगी है, मैं कैसे उसके हाथ का खा लूं। उन लोगों तक के यहां यह कमजोरियां हैं। इन कमजोरियों को छिपाने से काम नहीं चलेगा, उनको सामने लाने से ही वह दूर हो सकती हैं।

इसके बाद एक दूसरी बात आती है। अगर आप लोगों के मन में यह होता है कि चूंकि सवर्ण लोग हरिजनों का छुआ नहीं खाते हैं इसलिये हम अपने मन्दिर अलग बनायेंगे और बना कर पूजा करें तथा उनमें सवर्णों को न घुसने दें, तो ऐसी बातों को करके बदला लेने से समस्या हल नहीं होगी क्योंकि छुआ-छूत तो बनी ही रहेगी। आपके मन्दिर तक अलग बनेंगे जिनमें सवर्ण लोग नहीं जा सकेंगे और सवर्णों के मन्दिरों में आप नहीं जा सकेंगे तो झगड़े खत्म कैसे होंगे? असल बात यह है कि पहले हमको अपने दोष दूर करने चाहियें।

एक माननीय सदस्य : आपके मन्दिरों के दरवाजे बन्द हैं।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : मेरा मतलब यह है कि हमें अपने झग ड़ोंको दूर करना है, लेकिन उसके पहले हमको और भी बातें करनी हैं जिन का सम्बन्ध खुद हम से है। इसलिये मेरा निवेदन है हरिजन भाइयों से भी और सवर्णों से भी कि जितनी उन दोनों की त्रुटियां हैं पहले उन को सुधारें और तब जो दोनों के बीच का अन्तर है, जो कि बहुत दिनों से आगया है, उसको मिटा सकते हैं। बिना इसके किये हुए और कुछ नहीं किया जा सकता है।

अब में सभा का अधिक समय न लेते हुए यही प्रार्थना करती हूं कि हरिजनों के वास्ते अवश्य कुछ न कुछ होना चाहिये, लेकिन हरिजनों को भी अपने को सुधारना चाहिये। अगर वह व्यक्तिगत रूप से और समूह बना कर अपना सुधार नहीं करेंगे तो दूसरा और कोई भी हमारा सुधार करने नहीं आयेगा और न कर ही सकता है। इसलिये वह अपने को सुधारें और हम भी अपने को सुधारें तथा दोनों भाई भाई की तरह काम करें। जैसे शरीर होता है और उसके भिन्न भिन्न अंग होते हैं, उसी तरह से हरिजन और सवर्ण दोनों ही समाज रूपी शरीर के भिन्न-भिन्न अंग हैं। आज दुनियां में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर किसी न किसी रूप में कास्टइज्म और क्लासइज्म न हो। उसी तरह से यहां भी है। कहीं कुछ ज्यादा है कहीं कुछ कम है। आप लोग अपने अपने सवालों को लेकर अपने-अपने स्थानों पर रह कर ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप लोग अपने स्थानों पर रह कर ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करें। जो हरिजन है वह राजपूत बनने की कोशिश न करे और जो राजपूत है वह हरिजन बनने की कोशिश न करे। आप इन झगड़ों से बाहर रह कर प्रेम से एक दूसरे का साथ दें तभी हमारा फायदा हो सकता है, यह मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : वास्तव में यह विधेयक बहुत पहले ही रखा जाना चाहिये था। संविधान के एक अनुच्छेद में यह स्पष्ट घोषणा की गयी थी कि अस्पृश्यता दूर कर दी जायगी किन्तु वह एक कोरी घोषणा ही है और इसीलिये संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि छूआ-छूत की प्रथा का पालन करने वालों को दंड देने के लिये आवश्यक विधान बनाया जाना चाहिये। हिन्दू सामाजिक पद्धति के लिये यह एक बहुत बड़ा कलंक है कि अस्पृश्यता अब भी जारी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अस्पृश्यता निवारण के लिये अभी बहुत काम करना बाकी है और राज्य सरकारें वास्तव में वर्तमान विधियों को कार्यान्वित नहीं कर सकी हैं। संविधान के एक दूसरे अनुच्छेद के अधीन, संसद् को इस क्षेत्र में विधान अधिनियमित करने की शक्ति दी गयी थी किन्तु संसद इतने वर्षों तक सोती रही और अब यह विधेयक हमारे सामने रखा गया है। जितना शीघ्र हम इस बड़ी समस्या को सुलझा लें उतना ही वह राष्ट्र के लिये अधिक हितकर होगा।

अनुसूचित जाति के मेरे कुछ मित्रों और विशेषकर श्री पी० एन० राजभोज की कुछ टिप्पणियाँ सुनकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। मैं उनका उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि मैं सबसे बड़े हिन्दू संगठन के अध्यक्ष होने के नाते यह स्वीकार करता हूं कि हिन्दू सामाजिक पद्धति के लिये कलंक रूप यह अभिशाप अब भी जारी है। मैं जनता से, सभी दलों से सभा के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस कलंक को यथासंभव शीघ्र दूर करने का दृढ़ निश्चय करें।

हमारे प्रधान मंत्री रोज कहते हैं कि अत्यंत नग्न रूप में जातीय पृथक्करण अफ्रिका में अब भी विद्यमान है। उनसे हमारे सैंकड़ों मतभेद हैं। किन्तु सामाजिक और जातीय पृथक्करण के मामले में हम सभी उनके साथ

हैं। हम उस पृथक्करण की घोर निन्दा और विरोध करते हैं। इस विषय में बहुत सी चीजें की गयी हैं किन्तु अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरी भी यही धारणा है कि केवल सामाजिक विधान से कोई लाभ नहीं होगा। हमारा यह सौभाग्य था कि आप संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे और अवश्य ही विधेयक में काफी सुधार हुआ है। मैंने भी इस विधान में यथाशक्ति सुधार करने का प्रयत्न किया था। इस विषय में अनेक व्यक्तियों ने विशेषकर श्रीमती लीलावती मुंशी और काका कालेलकर ने बहुत सहायता की थी।

एक वकील के नाते, मैं खंड १२ का, जो हमने यहां रखा है, विरोध करता हूं। वह कतिपय मामलों में न्यायालयों द्वारा अनुमान लगाये जाने के सम्बन्ध है। यह बात ब्रिटिश न्यायशास्त्र और भारतीय न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों और सभी विधिवत पद्धतियों के प्रतिकूल है। अस्पृश्यता अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अपराधी को यह सिद्ध करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है, क्योंकि न्यायालय यह पहले ही अनुमान कर लेगा कि अपराधी ने अपराध किया है। अभियोक्ता को यह सिद्ध नहीं करना होगा कि अभियुक्त दोषी है। वास्तव में हम अपराध सिद्ध करने का भार उन पर छोड़ रहे हैं जो दोषी हैं। किन्तु फिर भी मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दू धर्म किसी रूप में अस्पृश्यता का प्रतिपादन नहीं करता। गीता में भगवान कृष्ण ने हिन्दूधर्म का एकमात्र सिद्धान्त आत्मा का सिद्धान्त बताया है और वह यह है कि सारे निर्माण में एक ही आत्मा एक ही सत्य प्रकट होता है। अतः सच्चा हिन्दूधर्म स्पृश्यता-अस्पृश्यता के आधार पर कोई पृथक्करण नहीं सहन कर सकता। प्रत्येक हिन्दू को यह स्वीकार करना चाहिये कि अन्य प्रत्येक हिन्दू स्पृश्य है। दुर्भाग्यवश, अस्पृश्यता का भूत केवल स्पृश्यों तक ही सीमित नहीं है किन्तु वह अस्पृश्यों के बीच भी है।

बंगाल की हिन्दू महासभा के अध्यक्ष क नाते मैंने स्वर्गीय डा० एस० पी० मुकर्जी के साथ विशेषकर पूर्वी बंगाल के हिन्दूमंदिरों में हरिजन भाई-बहनों के प्रवेश के सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्यवाही की थी। जब ये मन्दिर उनके लिये खोल दिये गये तब अस्पृश्यों के बीच जाति प्रणाली और अस्पृश्यता के क्रम प्रकट हुए और अस्पृश्यों के एक भाग को जो अधिकार दिये गये उन्हीं अधिकारों को दूसरे भाग को देने की अनुमति नहीं दी गई। यह बहुत ही निन्दनीय है और इसे समाप्त करना बहुत ही कठिन है। अतः मैं चाहता हूँ कि यह विधेयक बहुत शीघ्र ही पारित कर दिया जाये किन्तु केवल इसके पारित कर देने से ही कुछ लाभ न होगा जब तक कि उसके कार्यान्वित करने का दायित्व आप अपने उपर न ले।

संयुक्त समिति के अध्यक्ष के नाते आप जानते हैं कि इस विधेयक की अनुसूची में २१ विधानों का निरसन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का मुकाबला करने के लिये इसी ढंग के २१ विधान हैं किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त यह कहते हैं कि अस्पृश्यता की इतनी बड़ी समस्या के बावजूद, इस प्रथा के विरुद्ध न्यायालयों में की गई शिकायतों और पुलिस को सूचित किये गये मामलों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के लोग पुलिस अथवा न्यायालयों में जाने का साहस नहीं कर सकते। अतः २१ राज्यों में २१ विधानों के होते हुए भी इस सामाजिक निर्योग्यता को दूर करने के लिये वास्तव में कुछ नहीं किया गया है। हम केवल एक विधेयक पारित करके ही संतुष्ट न हो जायें और समझें कि हमने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया है। यह तो केवल पहला कदम

[श्री ए० सी० चटर्जी]

है। वास्तविक कार्यवाही तो यह होगी कि संसद तुरन्त एसंक सामाजिक कल्याण समिति नियुक्त करे जिसका उद्देश्य इस विधेयक को कार्यान्वित करना हो। मैं पंडित जी० बी० पन्त और श्री पाटस्कर से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे इस सुझाव पर विचार करें। इसी प्रकार अन्य विधान मंडल भी सामाजिक कल्याण समितियाँ नियुक्त करें जिनका प्रधान कर्तव्य हरिजन भाई-बहनों की शिकायतें पुलिस या न्यायालयों के समक्ष लाना हो। यदि आप वास्तव में कलंक को दूर करना चाहते हैं तो राज्य और जनता के बीच बराबर सहयोग रहना चाहिये मुझे स्मरण है कि स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने इसी सभा में यह सुझाव दिया था एक संसदीय आयोग सारे भारत का दौरा करे और इस विषय में समाज में जागृति उत्पन्न करे। यदि यह संभव न हो, तो एक हरिजन भाई के अधीन एक सामाजिक कल्याण मंत्रालय तुरंत स्थापित किया जाये। मैं श्री पी० एन० राजभोज के सुझाव का पूर्णतया समर्थन करता हूं। हम इन २१ विधानों को कार्यान्वित करने के लिये कुछ ठोस कार्यवाही करें और इसलिये संसद की एक प्रतिनिधि समिति को प्राधिकार दिया जाय, सारे भारत म दौरा करने के लिये उसे आवश्यक साधन सामग्री दी जाय और तब वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे वह एक प्रकार का निरीक्षक बोर्ड होगा जो इस महत्वपूर्ण विधान को कार्यान्वित करायेगा।

डा० जाटववीर (भरतपुर—सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभापति महोदय, आज मैं इस सदन में बहुत दिन के बाद अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

सबसे पहले मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिये इस अनटचेबिलिटी आफन्स बिल को लाकर जो काम किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मुझे यह आशंका है कि कहीं यह बिल पास होकर उस गढ्ढे में न पड़ जाय जैसे कि सन ५३ की शिड्यूल्ड कास्ट कमिशनर की रिपोर्ट जो सन् ५४ में प्रस्तुत की गयी थी पर उस पर आज सन् १९५५ तक बहस समाप्त नहीं हुई है। यदि इसी प्रकार से यह बिल पास कर लिया गया और केवल रद्दी कागजों की टोकरी में रखा गया तो मैं समझता हूं कि सेंट्रल सरकार जो इस कार्य के लिये इतनी तत्पर हो रही है उसका मंशा पूरा नहीं हो सकेगा और न उन दीन दलितों की इच्छा पूरी होगी जो कि देश में समानता के दरजे पर आना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप अस्पृश्यता अपराध बिल लायें या और प्रकार के बिल लाये, जबतक देश के अंदर मनो-भावना नहीं बदलेंगी तब-तक क़ानून के ज़रिये से स्थिति को बदलना बहुत कठिन होगा। अभी श्री चटर्जी का भाषण हुआ और इस बिल के लिये जो ज्वाइंट कमेटी बनायी गयी थी उसकी रिपोर्ट में उहोंने अपना नोट आफ़ डिसेंट दिया था। मैंने वह नोट पढ़ा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि लोग अस्पृश्य किस प्रकार बन गये। वे लोग केवल समाज की सेवा करने के कारण ही अस्पृश्य बन गये। श्री चटर्जी और देशपांडे चले गये। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जब-जब गौ-बध का प्रश्न आया है तब-तब हम लोगों ने उसके लिये अपने प्राणों की आहुतियां दे दी हैं। वह गौ-बध के विरोध में सभायें करते हैं और वक्तव्य देते हैं और देश के बड़े-बड़े समाचारपत्रों में प्रचार करते हैं। मैं भी उनसे सहमत हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग अस्पृश्य इसीलिये बन गये कि हमने अपने काम को नहीं छोड़ा। आप देखते हैं कि सब लोग गो-माता का दूध पी कर हृष्ट-पुष्ट होते हैं, पर उसके मर जाने पर

उसको छोड़ देते हैं। अगर वे यह भाषण दें कि जिन्होंने गौ का जन्म भर दूध पिया है वही लोग उनको मरने पर उठावें तो मैं कहता हूं कि यह अस्पृश्यता एक दम दूर हो सकती है। हम लोग इन मरे हुए पशुओं को उठाने से ही अछत बन गये हैं। अगर दूसरे लोग इनको उठाना शरू कर दें तो यह अछतपन बहुत जल्दी दूर हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि देश के अन्दर जब तक यह वर्ण व्यवस्था रहेगी और जाति पांत रहेगी यह अछतपन कभी दूर हो सकता। यहां तो केवल एक भारतीय जाति हो। तभी देश का यह अछतपन मिट सकता है। जो लोग काम करने वाले थे उनको आपने अछूत बना दिया। आप देखते हैं कि धोबी कपड़ा धोता है। यह कहा जाता है कि कपड़ा धोने वाला नीचा है पर कपड़ा मैला करने वाला ऊंचा है यह कहां का न्याय है। इसी प्रकार तेल बनाने वाले तेली को नीचा कहा जाता है, पर जो गटागट तेल पी जाते हैं उनको ऊंचा माना जाता है। जो चमार गुड़ बनाते हैं उनको नीचा समझा जाता है, पर जो गपागप गुड़ खा जाते हैं उनको ऊंचा माना जाता है। यह कहां का न्याय है। फिर भी हमारी प्रान्तीय सरकार हरिजन सम्मेलनों में हमको उपदेश देती है कि तुम अपना काम मत छोड़ो। जब तक उन धन्धों को जिनको नीचा समझा जाता है सब लोग नहीं करेंगे तब तक देश से यह अछूतपन नहीं मिट सकता। मैं तो यह चाहता हूं कि यदि आप अस्पृश्यता को दूर करना चाहते हैं तो सब लोग इन कामों को अपनायें।

मैं कहता हूं कि यदि आप अछूतों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आप उनको सरकारी नौकरियां दें। एक भाई ने कहा कि नौकरी तो गुलामी है। लेकिन मैं यह नहीं मानता। जब किसी को अधिकार मिलता है तो उसका दरजा बढ़ता है। अगर हरिजनों की आर्थिक उन्नति होगी तो उनका सवाल हल हो जायगा। मैं तो अपने माननीय पुरुषोत्तम दास जी टंडन के उस उपदेश को मानता हूं कि काम की वजह से किसी को अछत नहीं माना जाना चाहिये। जैसा कि उन्होंने कहा कि यदि हम लोगों के लिये वाटिका-गृह बनाये जायें तो मैं समझता हूं कि आधी अस्पृश्यता मिट जाय। अगर सरकार इस तरफ ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि इस काम में बहुत जल्दी सफलता मिल सकता है।

अन्त में मैं अपने गृह मंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं कि वह यह बिल लाये। भगवान करे कि यह जल्दी से जल्दी अमल में आये। जिस प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट कमिशनर की रिपोर्ट पर अभी तक बहस नहीं हो पाई और वह पड़ी हुई है उसी तरह यह बिल भी पास होकर कागज़ों में ही न रखा रह जाय। अगर गवर्नमेंट ने इस ओर विशेष ध्यान दिया तब ही देश का सुधार हो सकता है क्योंकि इस कानून पर अमल करने वाले जो लोग हैं यानी जो प्रान्तों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और हलकों के जो थानेदार हैं और जो दूसरे लोग हैं वे यह भावना रखते हैं कि यह अस्पृश्यता दूर न हो। जब तक उनको सरकार का आदेश नहीं जायगा तब तक इस बिल से देश का कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास होकर काम में आये। मैं देखता हूं कि २१ राज्यों ने अस्पृश्यता निवारण के लिये कानून बनाये हैं लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। वे कानून तो बन गये लेकिन अगर मैं यह पूछूं कि कितने चालान हुए तो मालूम होगा कि एक भी नहीं हुआ मैं यह नहीं चाहता कि इसी तरह से यह बिल पास हो कर आपकी फाइलों में रखा रह जाय। आपने देखा होगा कि पिछली जन गणना में उत्तर प्रदेश में अछूतों की १८ लाख संख्या ही कम कर दी गयी थी। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो कि यह बिल रखा ही रहे और अछतों को कोई फायदा न हो।

श्रीमती मिनीमाता (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं इस अस्पृश्यता निवारक विधेयक का हृदय से स्वागत करती हूं। पिछले वर्ष इस बिल को सरकार ने इस हाउस में पेश किया था और काफ़ी दिनों के बाद संयुक्त प्रवर समिति से होकर यह बिल फिर हमारे सामने आया है और इसलिये मुझे बड़ी ख़ुशी है। हमें हरिजन बनाने वाले हमारे हिन्दू भाई हैं और अगर हमारे सवर्ण हिन्दू खुले दिल से और शुद्ध भावना से हम हरिजनों को अपनायेंगे, तब हम हरिजन नहीं बन सकते। इस बिल को तो हमारी सरकार पास कर ही देगी लेकिन ज़रूरत तो इस बात की है कि हमारे जो सवर्ण हिन्दू हैं वह आगे बढ़ें और हरिजनों की दशा सुधारें और उनको प्रेम भाव से अपने गले लगाने की कोशिश करें।

दूसरी बात जो कि श्री राजभोज ने कही है कि हरिजनों को अपने मुक़दमों के लिए गवाह तक नहीं मिलते हैं वह बात सही है। रिपोर्ट में भी इसका ज़िक्र आया है कि मध्य प्रदेश में सन् ४६ में इस तरह का बिल पास हुआ था लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ और वह सरकारी फ़ाइलों में ही रखा हुआ है, बहुत कम उसको अमल में लाया गया है, कहीं एक आध केस अदालत में गया होगा और यह भी देखने में आया कि हरिजनों को अपने सबूत के लिये गवाह तक नहीं मिलते हैं और हमारे सवर्ण हिन्दू भाई हम से रूठे रहते हैं और जैसा कि अभी हमारे भाई श्री जाटववीर ने बतलाया कि थानेदार भी वही हैं, पुलिस भी वही हैं और गवाह भी वही हैं और जिसका नतीजा यह होता है कि हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं होती और उन पर मनमाने अत्याचार होते हैं और उनको गवाह नहीं मिलते। इसलिये हमारी सरकार को चाहिये कि इस बिल पर सही तौर से अमल कराने के लिए कड़ी निगाह रखे। श्री राजभोज ने ठीक ही कहा है कि छुआछात एक कोढ़ है और उस कोढ़ को हमारे भाई ही मिटाने वाले हैं और वह कोढ़ जब तक हमारे शरीर पर चिपका रहेगा, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। क़ानून से और ज़ोर से अगर हम यही चीज़ अपने हिन्दू भाइयों से कराते हैं तो यह एक लड़ाई सी दीखती है। हिन्दू भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि वह स्वयं आगे आयें और हरिजनों को गले लगायें और उन्हें अपनाने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा हरिजनों के मुकद्दमे दायर किये जांय और सरकार द्वारा सहायता दी जाये। क्योंकि हरिजन हमेशा से दबे हुए हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है कि हालांकि एक कुआं सार्वजनिक इस्तेमाल के लिये होता है, सब के लिये खुला होता है लेकिन हमारे सवर्ण हिन्दू तार से उसे घेर लेते हैं या दीवार खड़ी करके घेर लेते हैं और अपने क़ब्जे में कर लेते हैं। दो तीन बार इसकी शिकायत आई, मैं भी वहां गयी और उस दीवार को हमारे हरिजन भाइयों ने तोड़ भी डाला लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, और उन्हीं का क़ब्ज़ा बना हुआ है। हमारे हरिजन भाई नालिश करते हैं लेकिन हार जाते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि ज़रा कड़ी निगाह से आप इस बिल को लागू करें। आज हरिजन कुंआ खोदने के लिये दरख्वास्त देते हैं तो उनको रुपया देने में कई कई वर्ष बीत जाते हैं। गवर्नमेंट से कहा जाता है कि गांव में हरिजनों के लिये अलग कुंआ होना चाहिये और स्वर्ण हिन्दुओं के लिये अलग कुंआ होना चाहिये और इस कारण भी रुपया मिलने में देर होती है। मैं होम मिनिस्टर और अपनी गवर्नमेंट को ऐसा बिल लाने के लिये धन्यवाद देती हूं और उनसे कहूंगी कि इस बिल को पास करके अपने फ़ाइल में ही न रखें बल्कि सरकार को इस बात के लिए

प्रयत्न करना चाहिये कि यह क़ानून अमल में आये । बस इतनी ही सी मेरी प्रार्थना है ।

श्री जनार्दन रेड्डी (महबूबनगर) : मैं जो विधेयक हाउस के सम्मुख लाया गया है उसका दिल से स्वागत करता हूं और मैं अपने होम मिनिस्टर को मुबारक़बाद देता हूं कि जिस बिल की सख्त ज़रूरत थी उसको पेश करके उन्होंने वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम किया है । यह छुआछूत अपने मुल्क के लिये एक धब्बा है, जो पहले भी था और आज भी किसी हद तक वह धब्बा क़ायम है । धब्बा इस मानी में कि हम एक अजीब चीज़ अपने मुल्क में पाते हैं और वह है छुआछूत की बीमारी महात्मा गांधी ने पहले इस चीज़ को अच्छी तरह समझा, उनके समझने की वजह यह थी कि जितने बाहर के लोग आते थे वे अगर इस मुल्क में कोई नुक्स बतलाते थे तो वह छुआछूत का था और इसी छुआछूत की वजह से हमें आज़ादी प्राप्त करने में इतने दिन लग गये और आज़ादी प्राप्ति के मार्ग में महात्मा गांधी ने इसको बड़ी भारी रुकावट समझा और महात्मा गांधी ने इस चीज़ को समझ कर आज़ादी से ज्यादा इस छुआछूत को दूर करने को तरजीह दी और गांधी जी ने पूरी तौर से इरादा कर लिया था कि मैं इस देश से इस छुआछूत के कलंक को मिटा कर ही चैन लूंगा, या तो मैं इसको मिटा ही लूंगा या अपनी जान दे दूंगा और महात्मा गांधी ने इसी कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी । मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि छुआछूत इस मुल्क के लिये बहुत ही अहितकर है और वह जब तक दूर नहीं होती तब तक हम दुनियां की तरक्की याफ्ता क़ौमों में खड़े नहीं हो सकते । हमारे विधान ने छुआछूत के लिये कोई जगह नहीं रखी है, मगर मुझे अफ़सोस है कि ऐसा विधान पास करने के बावजूद भी आज छुआछूत को मिटाने की तरफ़ उतनी सख्ती के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितना कि बढ़ना चाहिये था । हमें आज़ादी प्राप्त किये हुए क़रीब सात साल हो गये, हमने इस दरमियान में छुआछूत की कुप्रथा को समाप्त करने के लिये क्या किया ? इसमें शक़ नहीं कि हमने कुछ ज़रूर किया लेकिन जिस तेज़ी और सख्ती के साथ हमको बढ़ना चाहिये और अमल करना चाहिये था, उतने ज़ोर से नहीं किया हम आज साउथ अफ्रीका की बाबत बहुत सी बातें सुनते हैं कि वहां पर बहुत सी खराब बातें हो रही हैं, मगर मैं कहूंगा कि दूर क्यों जाइये, खुद हमारे मुल्क में कितनी खराबी है और वह खराबी मैं आपको बतलाऊं अस्पृश्यता की है । मुझे सख्त अफ़सोस के साथ इस बात को तसलीम करना पड़ता है कि केवल बड़ी बड़ी जातियों में ही छुआछूत नहीं है, स्वयं हरिजनों में भी आपस में छुआछूत का भेद-भाव चलता है । मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत में वैष्णव सम्प्रदाय में दो तरह के तिलक लगाते हैं, उनमें आपस में काफ़ी छुआछूत विद्यमान है, और एक दूसरे का खाना नहीं खा सकते, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल हरिजनों में ही नहीं दूसरे स्वर्ण हिन्दुओं में भी छुआछूत की बीमारी विद्यमान है और हमें उनके यहां से भी इस बुराई को दूर करना है ।

स्वयं हरिजनों में भी आपस में एक दूसरे के प्रति छुआछूत विद्यमान है । हैदराबाद में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि माला, मादिगे, इनली और डक्कली आदि हरिजन जातियों में छुआछूत पाई जाती है और वह एक दूसरे को नहीं छूते और न एक दूसरे के हाथ का खाना खाते हैं । तो इस तरह की बुराई हमारे अपने लोगों में भी विद्यमान है ।

जब आज हम सदन का वक्त ले रहे हैं और नुकायस को दूर करना चाहते हैं तो इन सब को पेशे नजर रखते हुए इसे दूर करना है ।

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह तर्क का आश्रय न लें। हरिजनों के परस्पर भेद-भाव का लाभ उठा कर आप वहां स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री जनार्दन रेड्डी : मेरे दोस्त मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा मक्सद यह नहीं है कि मैं इसकी अहमियता घटा दूं। मैं तो बहुत ज़ोरों से कह रहा हूं जो हरिजनों और दूसरी बड़ी जातियों के दरम्यान छुआछूत का मसला है वही नहीं ख़त्म होना चाहिये बल्कि खुद जो हरिजनों के बीच में छुआछूत है वह भी ख़त्म होनी चाहिये। वह भी मुल्क के ऊपर एक धब्बा है। मैं तो कहूंगा कि किसी किस्म का भी छुआछूत हो, उसको ख़त्म होना चाहिये। हमारे मुल्क की आबादी ३६ करोड़ है, उसमें तक़रीबन २० करोड़ से ज्यादा लोग छुआछूत के झमेले में आ जाते हैं। मैं जब अपनी कान्स्टिटुएन्सी में जाता हूं तो वहां देखता हूं कि लोग जमा होते हैं, मगर बहुत से लोग दूर ही खड़े होते हैं। मैं पूछता हूं कि वह कौन हैं? उनको किसने हरिजन बनाया? हम लोगों ने। हमने उनमें एक इन्फ़ीरियारिटी कामप्लेक्स पैदा की है। हमने उनमें इन्फ़ीरियारिटी कामप्लेक्स पैदा कर उनको दूर रखने की कोशिश की है। आज हमारा फ़र्ज़ हो जाता है कि हम इसको दूर करें और अपने भाई के बग़लगीर हो जायें। जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक हम अपने मुल्क की तरक्क़ी नहीं कर सकते हमने माशी हालत के लिहाज़ से सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी को अपनाया है। वह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी उसी वक्त अमल में आयेगे जब कि समाज के जो इस तरह के नुकायस हैं, जो छुआछूत के मसले हैं, वह दूर हों। जब तक वह दूर नहीं होंगे तब तक वह सोसायटी नहीं बन सकती है। इसलिये अगर हमें अपने मुल्क को तरक्की देना है और दूसरे मुमालिक के साथ लाना है तो यहां जो नुकायस हैं छुआछूत वग़ैरह के उनको किसी न किसी तरह से दूर कर देना चाहिये। लेकिन सिर्फ कानून से ही यह चीज़ दूर नहीं होगी, हमें अपने दिलों को साफ करना चाहिये, हमारे मन में नेकनियती होनी चाहिये। क़ानून में तो यह भी है कि चोरी नहीं करनी चाहिये, लेकिन देश में लोग चोरी भी करते हैं। इस देश में ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें, लेकिन क़ानून से तो इन बातों को नहीं बन्द किया जा सकता। इसलिये हम लोग दिलचस्पी के साथ और नेक नियती से इस छुआछूत को दूर करने की कोशिश करें।

हमारे एक मित्र ने कहा कि शास्त्रों में इस तरह की छुआछूत नहीं हैं, लेकिन अगर शास्त्रों में नहीं है तो फिर हमारे देश में यह आई कैसे? चीज यह कैसे अपने मुल्क में पैदा हुई जो कि मुल्क के चेहरे पर एक बदनुमा धब्बा है। मेरा ख्याल है कि जो छुआछूत है वह सिर्फ़ क़ानून के ज़रिये नहीं बन्द हो सकती है, यह तो सिर्फ़ गुड विल के ज़रिये ही बन्द हो है। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूंगा कि हमने जो सर्वोदय का उसूल अख़त्यार किया है वह छुआछूत को मिटाने का बेहतरीन तरीक़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि छुआछूत दूर करने की जो तन्ज़ीम है उसको किसी पोलिटिक्ल पार्टी के ज़िम्मे नहीं करना चाहिये क्योंकि पोलिटिक्ल पार्टी के ज़िम्मे करने से वह लोग अपने एन्डस के वास्ते ही कोशिश करेंगे। लेकिन सर्वोदय जो है वह किसी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, वह इस चीज़ को अच्छी तरह से कर सकता है।

मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूंगा कि छुआछूत दूर करने के लिये यहां सेन्टर में एक अलग मिनिस्ट्री कायम करनी चाहिये। सिर्फ क़ानन पास करने से काम नहीं चलेगा, उसको

अमल में लाने के लिये भी कोई तन्ज़ीम होनी चाहिये। मैं अपने स्टेट की बात बतलाता हूं। वहां छूआछुत दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां पर काम एफेक्टिव तरीक़े पर नहीं हो रहा है क्योंकि इस छुआछूत को दूर करने के लिये क़ानून की ज़रूरत नहीं है, इसके लिये दिल में नेक नियती व दिलचस्पी होनी चाहिये। इसलिये सेन्टर में छुआछूत दूर करने के लिये एक मिनिस्ट्री क़ायम होनी चाहिये।

श्री एम० आर० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्री एन० सी० चटर्जी और श्रीमती कमलेंदुमति शाह ने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी अस्पृश्यता विद्यमान है। इस विषय में मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों ने ही उसे उत्पन्न किया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े महात्माओं का कभी अभाव नहीं रहा है और उनमें से प्रत्येक ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया है। मैं बता सकता हूँ कि स्वामी विवेकानन्द ने ब्राह्मण समाज को बड़े कठोर शब्दों में चेतावनी दी। मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज उससे शिक्षा प्राप्त करे और उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के मंत्री और राजसरकारों के मंत्री भी कुछ सीखें।

इस सभा में अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में जब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ माननीय मंत्री यह भूल जाते हैं कि उनके उत्तरों से हरिजनों को कोई लाभ होने की अपेक्षा हानि पहुंचने की अधिक संभावना होती है। जब तक माननीय मंत्री इस समस्या को उचित ढंग से सुलझाने का दृढ़ निश्चय नहीं करते, तब तक किसी भी विधान से, चाहे वह कितना ही कठोर क्यों न बनाया गया हो, कोई लाभ नहीं होगा। हम किन्हीं अनुचित चीजों की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही मांग रहे हैं जिस से कि हमारी दशाओं में सुधार होगा। १९१६ से जबकि ब्रिटिश लोग शासक थे, उन्होंने भी अस्पृश्यों के प्रति सहानुभूति दिखायी थी और कई एक समितियाँ बनायी थीं जिन्होंने अपने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये थे। प्रत्येक प्रतिवेदन में कुछ ऐसी सिफारिशें थी कि जिन्हें पूर्णरूप से कार्यान्वित किये जाने पर अनुसूचित जातियों को आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होता। न ब्रिटिश सरकार ने और न इस सरकार ने उन अभिलेखों पर विचार किया है और अंत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन भी आ गया है। आयुक्त ने प्रत्येक बार यह शिकायत की है कि किसी राज्य ने उन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है। योजना आयोग के पास भी कोई योजनायें नहीं हैं। उसने केवल कुछ राजनैतिक संगठनों को अस्पृश्यता निवारण के लिये कुछ रुपया दे दिया है। मेरे विचार से यह उचित नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे अपने राज्य में यह धन किस प्रकार ख़र्च किया जा रहा है। मेरे विचार से प्रत्येक राज्य को इस कार्य के लिये ढाई लाख रुपया दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें यह धनराशि इन संगठनों को दे देती हैं और यह आशा की जाती है कि ये संगठन अस्पृश्यता को दूर करेंगे। किन्तु ये संगठन अनुसूचित जाति के सदस्यों को ही अस्पृश्यता के विरुद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने के लिये नियुक्त करते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि इस प्रकार अस्पृश्यता कैसे दूर होगी। मैं इसका समर्थन करूंगा कि सरकार विशेषकर इस कार्य के लिये श्री एन० सी० चटर्जी और श्री वी० जी० देशपांडे को जो इस देश के प्रतिक्रियात्मक तत्व हैं, धन दें। मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं कि इन राजनैतिक संगठनों को धन दिया जाय यदि यह धन ज़मीन खरीदने के लिये, या मकान बनाने या व्यापार के लिये कर्मचारियों में बाँटा जाय तो मुझे आपत्ति नहीं होगी किन्तु मैं अस्पृश्यता निवारण के लिये इन राजनैतिक

[श्री एम० आर० कृष्ण]

संगठनों को धन देने में कोई लाभ नहीं समझता। मैं तो यह कहूंगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ चलचित्र तैयार करे। यदि चलचित्र निर्माताओं को इसके लिये कुछ धन दिया जाय कि वे अस्पृश्यता-निवारण सम्बंधी कुछ शिक्षाप्रद चलचित्र तैयार करें, तो मुझे आपत्ति नहीं होगी क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ संगठन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त हुआ है, चलचित्रों निर्माण पर उस धन को खर्च कर रहे हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि भूतपूर्व गृह मंत्री को जिन्होंनें इस विधेयक को संचालित किया था अनुसूचित जातियों के कल्याण में बहुत रुचि है। वर्तमान गृह मंत्री के बारे में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जो कुछ आश्वासन दिये हैं उनको वह पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन्होंने सारे जीवन भर अस्पृश्यता निवारण के लिये कार्य किया है।

रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में, मुझे एक दो बातें कहनी हैं। १९३९-४५ के महायुद्ध में सशस्त्र सेवाओं में जातिगत अनुभव के सम्बन्ध में श्री हटन ने कहा है:

> "जब कि विभिन्न जातियों के हिन्दू एक दूसरे के साथ और अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ खान-पान करने के लिये तैयार रहते थे, वे अवर्ण जातियों में से भर्ती किये गये लोगों के साथ खाना खाने के लिये तैयार नहीं होते थे।"

अतः मेरे विचार से रक्षा सेवायें सर्वोत्तम स्थान हैं जहाँ पर हम सरलता से अस्पृश्यता को दूर कर सकते हैं। अभी तक झाड़ लगाने और नालियाँ साफ करने का काम केवल कुछ लोगों के विशिष्ट समुदायों तक ही सीमित रखा गया है और इस काम को करने के लिये किसी विशिष्ट जाति के व्यक्ति ही भर्ती किये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि रक्षा सेवाओं में ये काम सब के लिये सामान्य बना दिया जाना चाहिये। मुझे इतना ही कहना है।

श्री वीरस्वामी: मैं समझता हूँ कि मुझे इस विधेयक पर कुछ कहने का अधिकार है, केवल इसलिये नहीं कि मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ या सदियों से अस्पृश्यता और निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों में एक हूँ, बल्कि इसलिये कि मैं दक्षिण में स्थित मद्रास राज्य का निवासी हूँ जो अनुसूचित जातियों को कतिपय अधिकार दिलाने में सबसे अग्रणी राज्य रहा है।

आप जानते हैं कि १९३६ से पूर्व मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी का शासन था। सारे भारत में वह पहली सरकार थी जिसने अनुसूचित जातियों को कुछ रियायतें और अनुदान देकर, उनके लिये स्कूल खोल कर उन्हें प्रोत्साहन दिया था। अब भी उनमें से अनेक स्कूल विद्यमान हैं।

सभा को विदित होगा कि गत ३० वर्षों से दक्षिण में अस्पृश्यता-निवारण तथा जाति भेद-अन्मूलन के लिये एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। १९२४ या १९२५ का वैकम सत्याग्रह बहुत सफल रहा था जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों को त्रावन-कोर–कोचीन में वैकम मंदिर में जाने का अधिकार मिला था। अब भी द्रविड़-संघ प्रतिदिन, प्रतिक्षण अस्पृश्यता निवारण के लिये लड़ रहा है।

अतः सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार और गृह मंत्रालय इस विधेयक पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे और इस विधेयक को लागू कराने के लिये सभी शक्तियों का उपयोग करेंगे।

अनुसूचित जाति के लोग सोचते थे कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने पर अस्पृश्यता मिटा दी जायगी किन्तु यह देखकर बहुत निराशा हुई है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद, अस्पृश्यता को दूर करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अस्पृश्यता मिटा दी जायगी।

सात वर्ष के बाद यह विधान सभा के सामने आया है। केवल विधान पारित कर देने से ही कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को चाहिये कि इसका परिपालन कराने का प्रबंध करे और अस्पृश्यता के सभी अपराधियों को कठोर दंड दे। इसके लिये कम से कम तीन वर्ष का सपरिश्रम कारावास दण्ड विहित होना चाहिये। केवल अर्थ दण्ड की व्यवस्था के होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई है और उसमें जो रुपया व्यय किया है उसका तनिक सा भाग भी अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने में व्यय नहीं किया गया है। कम से कम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो ५,००० करोड़ रुपये खर्च किये जाने को हैं उसमें से ५०० करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने में खर्च किये जायें।

इस अधिनियम का पालन कराने के लिये सरकार द्वारा एक पुलिस बल तैयार किया जाना चाहिये। जब तक ऐसा न किया जायेगा तथा केन्द्र व राज्यों में इसके लिये विशेष मंत्रालय नहीं बनाये जायेंगे मैं समझता हूं कि अस्पृश्यता के अपराधियों को दंड नहीं दिया जा सकेगा। मैं सभी स्वर्ण जातिवालों से निवेदन करता हूं कि वे अनुसूचित जाति वालों के साथ अपने सगे भाई बहनों जैसा व्यवहार करें नहीं तो यह निश्चित है कि इस देश से हिन्दू धर्म का लोप हो जायेगा और अनुसूचित जाति वाले किसी अन्य धर्म को अपनाकर सम्मानित नागरिकों के समान इस देश में निवास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां): आज हम इस छुआछूत निवारण बिल पर विचार कर रहे हैं। मैं सब से पहले अपने गृह मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बिल सभा के सम्मुख रखा।

सन् १९४६ की बात है कि एक भाई ने गांधी जी से एक प्रश्न किया था। मैं वह प्रश्न जैसे का तैसा पढ़ कर सुनाये देता हूं। प्रश्न यह था :

> "आपके स्वराज्य में अछूतों का स्थान क्या होगा? कांग्रेस ने अल्प मतवालों की हिफ़ाज़त करने के बारे में बातें तो बहुत की हैं, मगर वह किस तरह उनकी हिफ़ाज़त करेगी इसका कोई खाक़ा वह आजतक क्यों नहीं बना पाई? क्या उसकी इस खामोशी से अल्प मतवालों के दिल में कांग्रेस की ईमानदारी के बारे में शक पैदा न होगा?"

इस प्रश्न का जवाब गांधी जी ने १९ जुलाई, १९४६ को इस प्रकार दिया था :

> "मेरी कल्पना के स्वराज्य में अछूतों की वही जगह होगी जो स्वर्ण कहलाने वाले हिन्दुओं की होगी। कांग्रेस भी इसी उसूल को मानती है। सब आम और खास की जितनी संस्थाओं को मैं जानता हूं, उन सब में एक कांग्रेस ही ऐसी है, जिसने अल्पमत वालों की हिफ़ाज़त के बारे में बातें कम और काम ज्यादा किया है। जब हम कुछ करके दिखाते हैं तो उसके नक्शे या खाके की ज़रूरत नहीं रह जाती।"

सन् १९५० में जब हमारा संविधान और संविधान में छुआछूत निवारणार्थ जब

[श्री नवल प्रभाकर]

धारायें जोड़ी गयीं तो मुझे बड़ी खुशी हुई किन्तु वह जो पवित्र धारायें हैं उन पर अमल नहीं हो सका। आज हम इस विधेयक को पास करने जा रहे हैं और गांधी जी की इस इच्छा को पूरी करना चाहते हैं कि इस देश में कोई अछूत नहीं रहेगा। गांधी जी की यह वाणी थी कि इस देश में कोई अछूत नहीं रहेगा। मैं अपने गृह मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि यह गांधी जी की वाणी थी और उसी के अनुरूप कार्य करें।

श्री नन्द लाल जी शर्मा इस समय मौजूद नहीं हैं। उन्होंने काशी विश्वनाथ के मन्दिर के सम्बन्ध में अभी कहा था। उन्होंने कहा था कि यह शास्त्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि एक शिवलिंग दुकान पर रखा है और एक विश्वनाथ के मन्दिर में रखा है। जो मन्दिर में रखा है उसमें तो देवत्व है और दूसरा निरा पत्थर है। उन्होंने कहा था कि जो शास्त्रों के अनुकूल चलते हैं उनके लिये तो वह मन्दिर का शिवलिंग देवता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं और मिस्टर खर्डेकर ने भी उनसे इसी तरह की बात कही थी।

श्री खर्डेकर ने भी संकेत किया था कि श्री नंद लाल का कहने का आशय यह था कि हरिजन जो मन्दिर में देव पूजन को जाते हैं, उनके दिल में श्रद्धा और भक्ति नहीं होती। मेरा निवेदन है कि यह उनकी सख्त भूल है बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हरिजन, उन लाखों लोगों से जो मंदिरों में जाते हैं, बहुत अच्छा है जो सुबह से लगा कर शाम तक झूट बोलते रहते हैं और शाम को जाकर मन्दिर में भगवान की स्तुति करने का पाखंड करते हैं, इसके विरुद्ध वह हरिजन जो दिन भर खेतों में मेहनत करता है, वह ब्लैक मार्केट करने वालों से, चोरबाज़ारी करने वालों से और पाकेट काटने वालों से जो कि सारे दिन झूठ बोलते हैं और झूट बोल कर के पैसा कमाते हैं और फिर शाम को मन्दिर में जाकर के पूजा करते हैं कहीं अच्छा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई पैमाना है जो आप हरिजनों को लगा कर देखना चाहते हैं कि उनके हृदय में उन मूर्त्तियों के लिये कितनी श्रद्धा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा उन हरिजनों के हृदय में मन्दिरों और उनके अन्दर जो मूर्त्तियां स्थापित हैं, उनके प्रति ज्यादा श्रद्धा है। श्री नन्द लाल शर्मा शास्त्रों की बात किया करते हैं कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हमको आचरण करना चाहिये, मैं उनको आज अत्रि स्मृति से ही उद्धरण देकर बतलाऊंगा:—

देव यात्रा विवाहेषु यज्ञ प्रकरणेषु च।
उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टा स्पृष्टिर्न विद्यते॥

और इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है कि देव मन्दिर में, तीर्थ यात्रा यज्ञों में, विवाहों में, छुआछूत का विचार नहीं करना चाहिये। तो मैं उन लोगों से जो धर्म और शास्त्रों की दुहाई देते रहते हैं, कहूंगा कि धर्म में तो इस तरह की आज्ञा दी हुई है। धर्म को समझिये तो कि क्या है? धर्म का भी लक्षण देख लीजिये। धर्म का लक्षण यह है:

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्॥

धर्म के दस लक्षण बतलाते हैं, अगर यह धर्म के दस लक्षण सही हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि धर्म या शास्त्र के अन्दर यह कहां लिखा हुआ है कि जो अछूत हैं या हरिजन हैं वह मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। मैंने आपको अत्रि स्मृति से श्लोक पढ़ करके बतलाया कि शास्त्रों की क्या आज्ञा है और मैं अपने पक्ष में और भी श्लोक पढ़ सकता हूं लेकिन पांच मिनट का कुल समय मिला है और समयाभाव के कारण मैं उनको नहीं पढ़ना चाहता और मैं थोड़ी और बात कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि

लोगों में शास्त्रों की दुहाई देकर इस तरह की गलत भावना फैलायी जाती है कि हरिजन शास्त्रानुसार आचरण नहीं करते हैं जब कि मैं समझता हूं कि धर्म के तथाकथित ठेकेदारों और धर्मशास्त्रों की दुहाई देने वालों से हमारे हरिजन भाई कहीं ज्यादा अच्छे हैं।

इसी के साथ मैं एक बात और कह करके अपनी बात समाप्त किया चाहता हूं और वह है गांधी जी के वह वाक्य जिनको कि मैं नीचे उद्धृत किये देता हूं —

> "गांधी जी ने एक बार कहा था कि अस्पृश्यता जिस रूप में हम उसे देखते हैं, वह घुन है जो हिन्दू धर्म के प्राणों को ही खा रहा है।"

गांधी जी का ही एक और उदाहरण पेश करके मैं बैठ जाऊंगा और वह इस प्रकार है:—"जिस प्रकार किसी परिवार के बहिष्कृत सदस्य की उसके वापस बुलाये जाने के बाद हिफ़ाजत और विशेष रूप से सेवा की जाती है, उसी प्रकार स्वर्णों को हरिजनों में कार्य करना चाहिये।"

आज यह ठीक है कि हम इस बिल को पास कर देंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी के यह वाक्य हमारे सामने रहने चाहियें। मैं इस सदन के तमाम सदस्यों से कहना चाहता हूं और ख़ास तौर से कांग्रेस दल के जो मेरे भाई हैं, उनसे कहा चाहता हूं कि गांधी जी के इन शब्दों को याद रखें और सेवा का वृत धारण करें और अस्पृश्यता निवारणार्थ जो यह क़ानून पास किया जा रहा है, उसके लिये देखें कि वह वास्तव में अमल में आता है और जो हमारे भाई सदियों से पिछड़े हुए और दबे हुए रहते आये हैं, उनको ऊंचा उठाया जाय और यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि यह कानून काफ़ी एफ़ैक्टिव हो और इसके ऊपर ठीक तरह से अमल हो और यह देखना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिये।

श्री पाटस्कर: इस वाद-विवाद की एक विशेषता जो मझे उल्लेखनीय जान पड़ती है वह यह है कि इस सामाजिक विधि का इस सभा में सर्वसम्मति से समर्थन किया गया है

यह सभी जानते हैं कि अस्पृश्यता की इस समस्या ने कैसा विषम रूप धारण कर लिया था और राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी के सक्रिय प्रचार प्रयत्नों और आशीरवाद के बिना किसी भी अन्य देश में इस समस्या पर इतनी शीघ्रता से नियंत्रण प्राप्त कर लेना असंभव होता। यह ठीक है कि अभी यह समस्या सम्पूर्ण रूप से हल नहीं हुई है वास्तव में इसीलिये इस विधेयक की आवश्यकता है, जहां तक मैं समझता हूं सरकार ने संविधान में अनुच्छेद १७ बनाने के बाद से कभी संतोष का सांस नहीं लिया है। अपितु सदा ही इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रयत्नशील रही है। भारत के लगभग सभी राज्यों ने अधिनिय मपारित किये हैं। मैं जानता हूं कि अनूसूचित जाति वालों के सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं और आर्थिक स्वतंत्रता तथा अन्य कारणों से, जिन के विषय में संविधान के द्वारा या विभिन्न राज्यों के द्वारा प्रत्याभूतियां दी गई हैं उनका पालन करना कठिन है परन्तु इसके लिये हमें स्वभावतः जनमत पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

साथ ही साथ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जनमत में भी अब बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है क्योंकि यही विधेयक यदि कुछ वर्ष पूर्व सभा के सामने रखा गया होता तो इसको एसा पूर्ण रूपेण समर्थन प्राप्त न होता जैसा कि आज प्राप्त हो रहा है। इस विधयक में केवल यही बात नहीं कही गई है कि अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है वरन् यह भी निश्चित कर दिया गया है कि समस्त भारत में उल्लिखित बातों का करना अपराध समझा जायेगा क्योंकि यह विधेयक समस्त भारत में लागू होगा।

[श्री पाटस्कर]

एक और बात ध्यान देने की है कि साधारण तथा जब कभी ऐसा कोई उपबंध किया जाता है, कि प्रमाण-भार अभियुक्त पर होगा तो अनिवार्य रूप से उस पर बहुत अधिक वाद-विवाद होता है परन्तु यही उपबंध इस विधेयक में रखा गया तो उस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं की और इस का कारण यह है प्रत्येक सदस्य अनुभव करता है कि यह एक असाधारण मामला है इसलिये इसका हल भी असाधारण ही होना चाहिये ।

इससे भी महत्व की बात यह है कि राम राज्य परिषद के सदस्यों तक ने इसका विरोध नहीं किया है । उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से केवल इतना कहा है कि अस्पृश्यता से आपका अभिप्राय क्या है । हम सब जानते हैं कि अस्पृश्यता से क्या आशय है इसलिये इस शब्द की परिभाषा देने की कोई आवश्यकता नहीं है । सभा के सभी सदस्यों ने साम्प्रदायिक, दलगत राज्यनैतिक सभी प्रकार के विचारों का कोई भी ध्यान किये बिना इस विधेयक का समर्थन किया है । श्री खडकर ने तो जोश में आकर यहां तक सुझाव दे डाला है कि हमें एक ऐसा नियम बना लेना चाहिये कि प्रत्येक परिवार अनुसूचित जातियों में से किसी एक लड़की को अनिवार्य रूप से रखे । परन्तु हम ऐसे अनिवार्य कार्यों में विश्वास नहीं करते हैं । इसके स्थान पर हम नैतिकता पर अधिक जोर देना चाहते हैं । उदाहरण के लिये एक अन्य विधेयक में हमने उपबंध रखा है कि ऐसा प्रत्येक विवाह मान्य होगा जिस में वर तथा वधू दोनों हिन्दू हों ।

पृथक मंत्रालय, पृथक समिति तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विषय में कुछ सदस्य स्वभावतः उत्सुक थे । कुछ व्यक्तियों न यह संदेह भी प्रकट किया था कि जो उपबंध बनाय जा रहे हैं क्या हम उन्हें वास्तव में कार्यन्वित करना चाहते हैं । जिन को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है उनको इस का कोई उत्तर देना कठिन है । परन्तु हम स्वयं देख सकते हैं कि भूतकाल में सरकार का खैया क्या रहा है और खंड १२ जैसा उपबंध बना कर हमने अन्तिम सीमा तक जाने का प्रयत्न किया है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके बाद इस समस्या को हल करने के लिये जो कुछ भी करना संभव होगा जल्दी से जल्दी करेगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अस्पृश्यता के आचरण या उससे उत्पन्न किसी निर्योग्यता का प्रवर्तन करने के लिये दंड विहित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ (परिभाषायें)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से प्रार्थना की जाती है कि वे दस मिनट के अंदर जितने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं सभी पटल पर दे दें ।

श्री साधन गुप्त : मैं ने खण्ड २ में एक परिभाषा बढ़ाने वाले एक संधोधन की सूचना दी है इसलिये मेरा सुझाव है कि खण्ड दो पर मतदान ३ से ६ तक के खंडों के समाप्त हो जाने के बाद लिया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे : खण्ड दो पर वाद विवाद या मतदान स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । श्री साधन गुप्त यह चाहते हैं कि अस्पृश्यता की परिभाषा बढ़ा दी जाये । जब तक हम इसका निर्णय नहीं कर लेंगे हमारे लिये अन्य उपबंधों पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना कठिन होगा । अतः मैं खंड २

पर बाद को चर्चा किये जाने का विरोध करता हूं ।

श्री साधन गुप्त: मैं वाद-विवाद को नहीं वरन् केवल मतदान को स्थगित करने के लिये कहता हूं ।

सभापति महोदय : इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री **एस० एस० मोरे** : एक वकील की हैसियत से मैं समझता हूं कि इस विधेयक में 'अस्पृश्यता' शब्द की परिभाषा का ही सब से अधिक महत्व है क्योंकि इस देश में अस्पृश्यता के रूप और विभेद नाना प्रकार के हैं और यदि इसकी परिभाषा नहीं की जायेगी तो न्यायालयों के लिये अस्पृश्यता शब्द का निर्वचन करना कठिन होगा । प्रश्न केवल यह है कि क्या वह परिभाषा जो मूल विधेयक में दी गई थी पर्याप्त होगी या नहीं । मैं समझता हूं कि वह परिभाषा पर्याप्त नहीं होगी । प्रारूपकों को चाहिये कि अस्पृश्यता की ऐसी परिभाषा प्रस्तुत करें कि किसी भी व्यक्ति को इस परिभाषा की विधि संबंधी या प्रविधिक शब्दावली की कमी से लाभ उठाकर दंड से बचने का अवसर न मिले ।

मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि स्पष्टीकरण को खण्ड ३ से हटा दिया जाये और परिभाषिक खण्ड में "एक ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति" की परिभाषा जोड़ दी जाये, क्योंकि खण्ड ३ का स्पष्टीकरण खण्ड ३ तक ही सीमित है ।

मेरे ये ही दो सुझाव हैं, एक तो अस्पृश्यता के सम्बन्ध में है कि इस शब्द की परिभाषा की जानी चाहिये । क्योंकि समस्त विधेयक का आधार ही इस शब्द पर है । दूसरा यह है कि "एक ही धर्म को मानने वाले व्यक्ति" पद को परिभाषिक खण्ड में रखा जाये जिससे कि इसके द्वारा समस्त अधिनियम पर नियंत्रण किया जा सके ।

श्री साधन गुप्त, श्री के० सी० सोधिया (सागर), श्री एल० जोगेश्वर सिंह (आन्तरिक मनीपुर) और श्री एन० राचय्या (मैसूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री साधन गुप्त: मूल विधेयक में शब्द 'अस्पृश्य' की परिभाषा की गई थी । परन्तु शब्द 'अस्पृश्य' से कुछ व्यक्तियों पर लांछन सा आता है इसलिये इसके स्थान पर "अस्पृश्यता" रखा जाये ऐसा विचार किया गया था । इस कारण शब्द 'अस्पृश्य' को हटा दिया गया । परन्तु प्रवर समिति इस बात के महत्व को नहीं समझ सकी कि जब शब्द 'अस्पृश्य' की परिभाषा नहीं होगी तब तक संविधान के अनुसार अस्पृश्यता के लिये दण्ड नहीं दिया जा सकता है। आप जानते हैं कि दण्ड विधि में प्रत्येक शब्द का अन्वय किया गया है परन्तु यह कैसे जाना जा सकता है कि अमुक व्यक्ति अस्पृश्य है। इसके अतिरिक्त इन अस्पृश्यों के अतिरिक्त और वर्ग भी होते हैं जिनका हम बहिष्कार करते हैं परन्तु उनको स्पर्श कर सकते हैं । परन्तु वह मन्दिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं । इसलिये इन वाक्यों के द्वारा हम जाति पद्धति की कुछ बुराइयों को दूर करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिये शब्द अस्पृश्य की परिभाषा की जानी आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार हम जान सकेंगे कि देश की किस प्रकार की जनता अस्पृश्य है तभी हम किसी व्यक्ति को दण्ड दे सकते हैं यदि वह परिभाषित व्यक्तियों को होटलों, दूकानों इत्यादि में प्रवेश करने से रोकता है । इसलिये इस शब्द की परिभाषा की जानी चाहिये । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को इस प्रकार की परिभाषा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और इससे यह विधेयक अधिक प्रभावशाली हो जायेगा ।

श्री **एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मैं पहले बोलने वाले दोनों वक्ताओं से सहमत हूं कि शब्द अस्पृश्यता की परिभाषा इस

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

विधेयक में रखीजानी चाहिये अन्यथा न्यायालय इसका अर्थ लगाने में अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। आप जानतेहैं कि अस्पृश्यता कई प्रकार की होती है तथा इसके भिन्न भिन्न नाम तथा स्वरूप हैं।

सभापति महोदय : विधेयक में केवल यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियां ही अस्पृश्य हैं। उसमें कोई परिभाषा नहीं दी गई है।

श्री **एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मेरा तो यही निवेदन है कि इस शब्द की परिभाषा की जानी चाहिये। मूल उपबन्ध भी स्पष्ट नहींहै।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मूल विधेयक में 'भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 'अस्पृश्य' बताने के अतिरिक्त यह भी दिया गया है कि "कोई भी अन्य व्यक्ति जो रीति, तथा रूढ़ियों के कारण अस्पृश्य समझा जाये," तथा संयुक्त समिति ने जिस रूप में इस खंड को भेजा है उससे भी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह दोनों प्रकार के व्यक्ति इसके अन्तर्गत आते हैं।

सभापति महोदय : बिना इसका निर्देश किये मेरे लिये बताना कठिन है। दंड विधायक खंड में हमने उन परिस्थितियों की परिभाषा की है जिस के अन्तर्गत की गई कार्यवाही अपराध होगी और उसका क्या दंड होगा। इसमें सभी बातें आ जाती हैं।

श्री **गुरुपादस्वामी** : श्री साधन गुप्त के संशोधन से इसकी परिभाषा होती है और इसलिये हम इसे स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं।

श्री **एस० एस० मोरे** : इस संशोधन से पुरानी बात ही आ जाती है।

सभापति महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने अनुसूचित जाति के अतिरिक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूछा था। हमने सामान्य उपबन्ध अन्य जातियों जैसे ईसाइयों तथा मुसलमानों पर भी लागू होंगे। यदि एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को मस्जिद में जाने से रोकता है तो यह मामला खण्ड ३ के उपखंड (क) के अधीन आ जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : दंडविक खंडों में कुछ कार्यवाहियां सम्मिलित की गई हैं जिनका करना अपराध समझा जायेगा। मेरी कठिनाई यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्वर्ण हिन्दू को भी मंदिर में जाने से रोकता है तो क्या उसे भी अपराध समझा जायेगा ? इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि अस्पृश्यता के आधार पर किसी पूजा के स्थान पर जाने से रोकने पर प्रत्येक व्यक्ति अपराधी हो सकता है। तो क्या यह दण्डविक खण्ड स्वर्ण हिन्दू को मंदिर में घुसने से रोकने पर भी लागू होंगे ?

श्री **एस० एस० मोरे** : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उदाहरण के लिये खंड १२ को लीजिये मूल परिभाषा के दो भाग थे। एक अनुछेद ३३६ के अन्तर्गत खंड (२४) था तथा दूसरा उनके सम्बन्ध में था जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं परन्तु रीति तथा रूढ़ि के कारण अस्पृश्य हैं। प्रस्थापित संशोधन से इस प्रकार विधेयक का क्षेत्र सीमित हो गया है हमारे देश में रूढ़ि तथा रीति के कारण बने अस्पृश्यों की संख्या बहुत अधिक है, यद्यपि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। इस प्रकार प्रवर समिति ने इसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है।

सभापति महोदय : हमारा विचार है कि यह सब पर लागू हो सकता है।

श्री **एस० एस० मोरे** : मेरे विचार से मूल विधेयक में यह ठीक था परन्तु संयुक्त समिति ने इसको बड़ा संकुचित तथा सीमित बना दिया है।

सभापति महोदय : इस परिभाषा से हमारा उद्देश्य यह था कि यह सभी प्रकार से पूर्ण हो। अनुसूचित जातियां तो इसमें पूर्णतया आ ही जाती हैं तथा जहां तक अन्य जातियों का सम्बन्ध है यह सामान्य खण्ड उन पर भी लागू होता है। मुसलमान तथा ईसाई अपने धर्म स्थानों में जाकर पूजा कर सकते हैं तथा इनको उन स्थानों में घुसने से रोकने वाला व्यक्ति अपराधी होगा। इधर उधर कुछ अपवाद हो सकते हैं परन्तु हमने सोचा कि हमें शब्द अस्पृश्य का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राघवैया (ओंगोल) : यदि कोई हिन्दू किसी मुसलमान या ईसाई से विवाह कर लेता है तो उसे जाति बाहर कर दिया जाता है और उन्हें किसी भी धर्म स्थान में जाने की अनुमति नहीं होती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हमें यह विचार करना है कि खंड २ में हमें यह परिभाषा रखनी चाहिये अथवा नहीं। यह परिभाषा क्या होगी यह बाद को निश्चित किया जा सकता है। श्री एस० एस० मोरे ने बताया कि मूल परिभाषा भी संतोषजनक नहीं थी। मैं यह समझता हूं कि इस शब्द की परिभाषा करना बहुत कठिन है परन्तु मैं माननीय गृहमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह शब्द अस्पृश्यता की परिभाषा को इस खंड में जोड़ देना चाहेंगे अथवा नहीं। मेरा विचार है कि यदि हम शब्द 'अस्पृश्य' अथवा 'अस्पृश्यता' की परिभाषा नहीं करेंगे तो विभिन्न न्यायालय इसका निर्वाचन भिन्न भिन्न प्रकार से करेंगे और अस्पृश्यता सम्बन्धी विवाद और भी बढ़ जायेंगे। हम विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे कि अस्पृश्यता समाज से एकदम दूर हो जाये। व्यक्तियों का एक वर्ग वह भी है जो यह कहने के स्थान पर कि 'मुझे मत छुओ' यह कहता है कि 'मैं तुमको नहीं छुऊंगा'। ऐसे व्यक्ति भी अछूत हैं। इस प्रकार यह जानना कठिन हो जायेगा कि अस्पृश्यता क्या है। हमें इसीलिये पूर्णतया विचार करना चाहिये कि जिससे हमारे उद्देश्य पूर्ण हो सकें।

श्री वेलायुधन : मेरा सर्वदा यह विचार रहा है कि यदि शब्द अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं की गई तो विधेयक का प्रभाव अधिक नहीं होगा। दुर्भाग्य से संविधान में भी इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है इसलिये इस विधेयक में हमें इस शब्द की परिभाषा अवश्य देनी चाहिये मूल विधेयक में यह-परिभाषा ठीक थी परन्तु संयुक्त समिति ने इसको पूर्णतया हटा दिया। मुझे इसका बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं भी संयुक्त समिति का एक सदस्य था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह किस प्रकार हो सकता था ? जैसे यदि कोई हिन्दू मुसलमान आदि हो जाये तो क्या किसी मुसलमान को भी हमें मन्दिर में प्रवेश करने देना चाहिये। इन सब कठिनाइयों पर संयुक्त समिति ने विचार किया था।

श्री वेलायुधन : मूल विधेयक में एक स्पष्टीकरण था कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद भी अस्पृश्य ही समझा जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार यह परिभाषा ही ठीक नहीं है।

श्री वेलायुधन : मूल विधेयक में दिया हुआ था कि अस्पृश्य वह व्यक्ति भी है जो जातियों तथा रूढ़ियों से भी किसी जाति में अस्पृश्य माना जाता है मुसलमानों तथा ईसाइयों में अस्पृश्य होते नहीं है इस कारण यह केवल हिन्दुओं के लिये ही है इसलिये इस परिवर्तन से किसी ईसाई या मुसलमान को किसी

[श्री वेलायुधन]

हिन्दू मन्दिर में जाने की अनुमति नहीं देगा :

उपाध्यक्ष महोदय : और अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है अन्यथा स्पष्टीकरण संख्या २ व्यर्थ हो जाता है। माननीय सदस्य उसको समझे नहीं हैं। सिखों में भी अस्पृश्य हैं तथा एक आन्दोलन चलाया जा रहा है कि यह सभी अस्पृश्य इसमें आने चाहियें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं इसका स्पष्टीकरण चाहती हूं अन्यथा हमें मत देने में कठिनाई होगी।

श्री वेलायुधन : जहां तक इस त्रुटि का सम्बन्ध है हमें कोई अन्य शब्द चुनना पड़ेगा जिसमें मुसलमान और ईसाई न आयें। यह एक विधि सम्बन्धी प्रश्न है। यदि हम इस विधेयक में शब्द अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं देंगे तो न्यायालयों में सम्पूर्ण विधि निरर्थक हो जायेगी और फिर अस्पृश्यता सम्बन्धी मामलों का कैसे निर्णय किया जायेगा।

अस्पृश्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जहां तक मन्दिरों में प्रवेश का प्रश्न है, मैं नहीं चाहता कि जो हिन्दू नहीं हैं उन्हें वहां जाने दिया जाय किन्तु अनुसूचित जातियों के लोगों को वहां अधिकार के रूप में जाने देना चाहिये। अतः शब्द अस्पृश्यता की परिभाषा के बिना हमारा काम नहीं चलता।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर काफी कहा जा चुका है। मैं कुछ सदस्यों को और समय देता हूं। उसके बाद माननीय मंत्री इस का उत्तर देंगे।

श्री पी० एन० राजभोज : मेरी प्रार्थना यह है कि सिखों में मजहबी सिख अनटचेबुल्स माने जाते हैं। मजहबी सिखों की तादाद करीब १६ लाख है। अगर क्रिश्चियन्स को देखा जाये तो उन के यहां भी अनटचेबुल्स हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर कोर्ट में जायेंगे ऐसे मामले तो उनमें गड़बड़ी पड़ जायेगी। इसलिये गवर्नमेंट को अनटचेबुल्स के बारे में कोई डेफिनेट ओपीनियन बनानी पड़ेगी। इसके लिये होम मिनिस्टर को कुछ करना चाहिये। जो ऐमेन्डमेन्ट श्री साधन गुप्त का है उसमें ठीक रास्ता सुझाया गया है क्योंकि बिना डेफिनिटली कुछ बतायें अगर कोर्ट में मामला जायेगा तो वह कैसे निपटेगा। कोर्टों में इस मामले में बड़ी मुश्किल हो जायेगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि होम मिनिस्टर साहब कृपा करके कुछ बतायें कि इसके लिये क्या तरीका निकाला जाय।

श्री नानादास : शब्द "अस्पृश्यता" की मूल विधेयक में परिभाषा दी गई थी किन संयुक्त समिति ने उसे निकाल दिया। इस परिभाषा के बिना विधि प्रभावहीन रहेगी और वह अस्पृश्य व्यक्ति जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया है ,इस उपबन्ध का लाभ नहीं उठा सकेंगे। उनको अभी तक उन धर्मों के अनुयायी अस्पृश्य ही मानते हैं। अतः यदि धर्म परिवर्तित ईसाइयों और मुसलमानों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाने के हेतु इस शब्द की परिभाषा की जानी चाहिये क्योंकि यदि शब्द अस्पृश्यता की परिभाषा न दी गई तो उनके प्रति भी अन्याय होगा। इस विषय में श्री साधन गुप्त ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

विधेयक के खंडों में जैसा उपबंध है उसके अनुसार हिन्दुओं के मन्दिरों में जो व्यक्ति हिन्दू नहीं हैं उनके प्रवेश करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल-रक्षित-अनुसूचित जातियां): अनेक सदस्यों ने यह बताया है कि जब तक शब्द अस्पृश्यता की परिभाषा न दी जाय तब तक विधेयक निष्क्रिय रहेगा।

मुझे इस विषय में यह कहना है कि जब स्वयं संविधान में ही इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है तो इस विधेयक में भी उसकी परिभाषा देने की कोई आवश्यकता नहीं है: अस्पृश्यता क्या है यह सभी जानते हैं। अभी तक कोई २१ राज्य विधेयक इस सम्बन्ध में पारित हुए हैं। परन्तु उनमें भी कहीं अस्पृश्यता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। जब हम ने संविधान के अनुसार अस्पृश्यता को दूर कर दिया है तो किसी जाति विशेष को अस्पृश्य कह कर पुकारना लज्जा का विषय है यदि हम अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य कह कर उनकी परिभाषा देंगे तो जनता उन्हें सदैव अस्पृश्य समझ कर उनसे घृणा करती रहेगी और इस प्रकार अस्पृश्यता देश से दूर नहीं हो सकेगी।

इसके विपरीत यदि हम अस्पृश्यता को मान्यता न दें तो फिर केन्द्र तथा राज्यों का केवल यही कार्य रह जायगा कि इस विषय में जो अपराध हों उनके लिये दंड का उपबन्ध करें।

प्रस्तुत विधेयक के खंड १२ में यह उपबंध है कि यदि किसी पर यह आरोप लगाया जाय कि उसने किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया है तो अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा।

श्री एस० एस० मोरे: श्रीमान्, खंड १२ में अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य समझा गया है। इस प्रकार अस्पृश्यता को तो हम पहले ही मान्यता दे रहे हैं।

श्री बर्मन: संयुक्त समिति ने अस्पृश्य शब्द को निकाल दिया है। किन्तु हम यह मान्यता दिये बिना नहीं रह सकते कि सामान्यतया अनुसूचित जातियों के सदस्यों को अस्पृश्य समझा जाता है।

व्याख्या में यह दिया हुआ है कि इस विधेयक में शब्द 'हिन्दू' के अन्तर्गत अन्य जातियों तथा धर्मों को भी रखा गया है: उन सबको भी हिन्दू समझा जायेगा। ईसाई तथा मुसलमान इससे अलग हैं। जहां तक मन्दिर में प्रवेश का प्रश्न है, खंड ३ में यह उपबंध है कि सभी धर्मावलम्बियों को अपने अपने सार्वजनिक धर्म स्थानों में प्रवेश की स्वतंत्रता है।

यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या मुसलमान हो जाता है जो उसे गिर्जा या मन्दिर में जाने से नहीं रोका जा सकता है। यदि कोई रोकेगा तो वह इस खंड के अन्तर्गत दंड का भागी होगा। अतः उन पर भी यह विधेयक लागू होता है।

हिन्दुओं में बहुत सी जातियां तथा वर्ग ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों के न होने पर भी अस्पृश्य हैं। अस्पृश्यता का निकटतम सम्पर्क अनुसूचित जातियों से है चाहे उनके सदस्यों ने किसी भी धर्म को स्वीकार कर लिया हो। मैं तो यह समझता हूं कि जब हमने अनुसूचित जातियों में से अस्पृश्यता को दूर कर दिया तब भारत के सभी धर्मावलम्बियों पर यह नियम समान रूप से लागू होगा।

श्री एन० राचय्या: श्रीमान्, मैंने संशोधन संख्या ५३ प्रस्तुत किया है। जहां तक अस्पृश्यता की परिभाषा का प्रश्न है, मैं विधेयक के खण्ड २ से सहमत हूं। अस्पृश्यता की परिभाषा आवश्यक नहीं है। वह तो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है।

जहां तक उन अस्पृश्य व्यक्तियों का प्रश्न है जिन्होंने अन्य धर्मों को अपना लिया है, मैं समझता हूं कि उन्हें इस विधेयक में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़ दिया है। इसकी हानि वे स्वयं उठावें। यदि वह इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको हिन्दू धर्म में वापस लौट आना चाहिये। इसलिये यह विधेयक उन पर लागू नहीं होना चाहिये।

[श्री एन० राचय्या]

मैंने "सार्वजनिक सभाओं" के विषय में अपना संशोधन क्यों प्रस्तुत किया इसका कारण मैं संक्षेप में बताता हूं। मैसूर के मुख्य मंत्री ने एक बार लिंगायतों की सभा में भाषण दिया। उस समय कुछ हरिजन स्त्रियां पंडाल से बाहर खड़ी हुई थीं जिन्हें उन्होंने अन्दर आ जाने की अनुमति दी। वे भीतर आ गईं किन्तु सभा की समाप्ति के बाद गांव के पटेल ने उस सम्मेलन का आयोजन करने वाले हरिजन नेता पर सौ रुपये जुर्माना किया क्योंकि उन हरिजन स्त्रियों ने पंडाल के फर्श पर बिछी चटाई को छू दिया था। यह कैसा अनर्थ है : सार्वजनिक स्थानों पर अस्पृश्यता कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। नगर-पालिका के अधिकारी तथा अन्य अफसर हरिजनों से सदैव ही घृणा करते हैं। मैं अंत में यही निवेदन करता हूं कि जो भी कर्मचारी अस्पृश्यता के अपराधी पाये जायें, उन्हें उचित दण्ड दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

पंडित जी० बी० पंत: सभा में जो प्रश्न उठाया गया है वह महत्वपूर्ण है। यदि मैं यह समझता कि इस परिवर्तन से अस्पृश्यता पीड़ित व्यक्तियों को लाभ होगा तो मैं इसे स्वीकार कर लेता। मेरी धारणा तो यही है कि इस शब्द की परिभाषा नहीं की जानी चाहिये

संविधान के अनुच्छेद १७ के अनुसार अस्पृश्यता दूर कर दी गई है और उससे जन्य अपराध दण्डनीय है। इसके बाद अनुच्छेद ३५ में कहा गया है कि राज्यों के विधान मण्डल को नहीं अपितु संसद् को यह अधिकार होगा कि वह इससे सम्बन्धित अपराधों के लिये दण्ड का उपबन्ध करें।

अतः विधि के अनुसार हमारे देश में किसी को अस्पृश्य नहीं कहा जा सकता। अब हमारा उद्देश्य अनुच्छेद ३५ के अन्तर्गत आने वाले अपराधों की परिभाषा देना है। इस अधिनियम में अस्पृश्यता की परिभाषा के लिये कोई स्थान नहीं है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत अस्पृश्यता का जितना व्यापक अर्थ लिया गया है, उतना इस विधेयक में नहीं है : यदि परिभाषा देना अनिवार्य ही होता तो उसे संविधान में दिया जाना चाहिये था। संसद् का कार्य तो संविधान के उद्देश्यों का पालन करना है।

हम किसी व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं बता सकते किन्तु संवधान के सिद्धान्त के विपरीत अनेक अपराध किये जा सकते हैं। यहां हम अस्पृश्य अथवा अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं दे सकते : दोनों एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। यदि हम कहें कि अमुक व्यक्ति अस्पृश्य है, तो वह अस्पृश्यता के अन्तर्गत आने वाली किसी जाति से सम्बन्धित होगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: जब अस्पृश्यता की परिभाषा ही नहीं दी जा सकती है तो उसे दूर कैसे किया जा सकता है ?

पंडित जी० बी० पंत: मुझे खेद है कि जो बात मेरे लिये सरल है वह दूसरों को सरल प्रतीत नहीं होती है। संविधान के अनुसार अस्पृश्यता दूर कर दी गई है। अब यदि उस अस्पृश्यता के कारण कुछ निर्योग्यतायें लागू की जायेंगी और इस सम्बन्ध में जो अपराध होंगे वे दण्डनीय होंगे। इन अपराधों की परिभाषा देना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। यह है संवैधानिक स्थिति।

इस प्रश्न पर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी विचार कर सकते हैं। हम अस्पश्यता के क्षेत्र को संकुचित न करके विस्तृत रखना चाहते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: तब क्या वह क्षेत्र अनिश्चित नहीं रहेगा।

पंडित जी० बी० पंत: वह अनिश्चित नहीं रहना चाहिये परन्तु कुछ सीमा तक

अनिश्चित तो रहेगा ही । संविधान में जिसके बारे में कोई परिभाषा नहीं दी गई है उसकी यहां परिभाषा देने में हम मजबूर हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या 'अस्पृश्यता' की परिभाषा देना संविधान के विरुद्ध है जबकि संविधान के अनुसार 'अस्पृश्यता' है ही नहीं ?

पंडित जी० बी० पन्त : मैं नहीं समझता कि आप किसको असंवैधानिक कहते हैं । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आप यहां पर अस्पृश्यता की परिभाषा करेंगी तो कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है । 'अस्पृश्यता उन्मूलन संविधान का एक भाग है; मैं एक अछूत हूं यद्यपि मैं उस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता जो कि संसद् ने इस अधिनियम में दी है ; अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में संविधान में जो उपगन्ध किये गये हैं उनका लाभ उठाने का मैं अधिकारी हूं यद्यपि संसद् ने उस सम्बन्ध में ठीक परिभाषा नहीं दी है, अन्यथा उससे भी मुझे लाभ हो जाता ।' हम इस तर्क का उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री एस० एस० मोरे : खण्ड १२ के अनुसार आप केवल उन्हीं अनुसूचित जातियों को ले रहे हैं जो अनुच्छेद ३६६ के अन्तर्गत आती हैं । किन्तु इससे ऐसी बहुत सी जातियां रह जायेंगी जिनका कि राष्ट्रपति के आदेश में उल्लेख नहीं किया गया है ।

पंडित जी० बी० पन्त : जहां तक खण्ड १२ का सम्बन्ध है, इससे एक बात स्पष्ट होती है । जो परिभाषा रखी गई है, उसमें केवल यही बात कही गई है कि अनुसूचित जातियों के लोग भूतकाल में अस्पृश्य माने गये थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सब नहीं । हमारी तरफ अनुसूचित जातियों के बहुत से लोग अस्पृश्य नहीं माने जाते ।

पंडित जी० बी० पन्त : तब, यह कहना कि अस्पृश्य जातियों के सारे लोग अस्पृश्य हैं, वह बात कहना है जो कि सच नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह नहीं कहना चाहती ।

पंडित जी० बी० पन्त : जिस परिभाषा का सुझाव दिया गया है, उसमें अनुसूचित जातियों के सारे लोग आ जाते हैं । आपको तुरन्त ही यह कठिनाई मालूम होगी कि अनुसूचित जातियों के सभी लोग अस्पृश्य नहीं माने जाते । जो परिभाषा इस सम्बन्ध में दी गई है कि अनुसूचित जातियों के लोग अस्पृश्य माने जायेंगे वस्तुतः गलत है । जहां तक वर्तमान परिभाषा का सम्बन्ध है, यह समझा जाता है । कि यह परिभाषा वर्तमान दशाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है । हमें कोई अन्य परिभाषा निकालनी है । यदि आप कोई अन्य परिभाषा निकालेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि उसमें कमी होगी । अन्ततः, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि परिभाषा देना संभव नहीं है । संयुक्त समिति जिस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंची है, उसी निष्कर्ष को हमें ठीक मान लेना चाहिये तथा उसमें और कुछ नहीं जोड़ना चाहिये । संयुक्त समिति में ४९ सदस्य हैं । सभापति महोदय ने बताया कि इस प्रश्न पर दो दिन तक चर्चा हुई और दो दिन के बाद उन्होंने यह निर्णय किया । प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ पर यह कहा गया है :

"समिति ने इस पर काफी देर तक विचार किया कि विधेयक में प्रयुक्त अस्पृश्य, शब्द को रखा जाये या उसके स्थान पर कोई अन्य उपयुक्त अथवा शब्दों को आदिष्ट किया जाये । इसके विपरीत, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद १७ के अधीन "अस्पृश्यता" के उत्सादन की दृष्टि से इस शब्द के प्रयोग की उपयुक्तता तथा वैधता पर विचार किया गया था और इससे विपरीत इस पर भी विचार किया गया था कि इस शब्द के निकालने से

[पंडित जी० बी० पन्त]

कहीं कमियां तो नहीं रह जायेंगी तथा विधेयक का उद्देश्य तो कहीं न समाप्त हो जायेगा। समिति की यह राय है कि 'अस्पृश्यता' शब्द निकालने से इस विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं होगी''।

'अस्पृश्य' शब्द की परिभाषा तथा साथ ही साथ उसकी दोनों 'व्याख्याओं' को निकाल दिया गया है।

श्री नानादास : वह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हुआ था।

पंडित जी० बी० पन्त : वह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हुआ था। मैं देखता हूं कि संयुक्त समिति के एक सदस्य ने विमति टिप्पण दिया है; किन्तु ४९ सदस्यों में से एक ने ही ऐसा किया है। इस प्रकार उसको सर्वसम्मति से नहीं कहा जा सकता। किन्तु, विरोधी पक्ष बहुत कमजोर था। मैं उस बात के आधार पर नहीं कह रहा हूं।

किसी भी वर्ग को अस्पृश्य कह देना उचित नहीं होगा। यदि आप इस विधेयक में किसी भी वर्ग को अस्पृश्य वर्ग के रूप में रखें, तो मेरी समझ में यह बात समयानुकूल नहीं होगी। यह बात इस विधान के अन्तर्भाव के भी विरुद्ध पड़ती है। इससे हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो कि हम चाहते हैं, और जिसका हमने इरादा किया है।

फिर, इससे आपको लाभ भी क्या है ? आप कहते हैं कि अनुसूचित जातियों के अलावा अन्य जातियां भी जो कि रीति या रूढ़ि से अस्पृश्य मानी जाती हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत आ जायेंगी। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति सामने आता है, तो उसके संबंध में सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होगा कि रीति या रूढ़ि से वह अस्पृश्य माना जाता है। इसके बाद यह जांच करनी होगी कि कोई अपराध किया गया है अथवा नहीं, इस प्रकार कठिनाइयां और बढ़ जायेंगी। इस परिभाषा से आपको क्या लाभ है ?

श्री एस० एस० मोरे : यह सिद्ध होने के बाद भी कि रुढ़ि या रीति के अनुसार उसे अस्पृश्य मान गया है, फिर भी खण्ड १२ के अन्तर्गत उसके बारे में धारणा नहीं हो सकती है।

पंडित जी० बी० पन्त : स्थिति इस प्रकार है। खण्ड १२ के अन्तर्गत हम दण्ड सम्बन्धी न्यायशास्त्र में एक अपवाद रख रहे हैं। आप कहते हैं कि धारणा अभियोक्ता के पक्ष में होगी और अभियुक्त के विपक्ष में।

आप कहते हैं कि यह मान लिया जायेगा कि जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है, उसने अपराध किया है। यह धारणा अनुसूचित जातियों के लोगों के बारे में की जा सकती है। किन्तु, दूसरों के मामले में, वह धारणा संभव नहीं है क्योंकि आपकी अपनी परिभाषा के अनुसार ही, आपको पहले यह सिद्ध करना होगा कि रीति या रुढ़ि के अनुसार वह व्यक्ति अस्पृश्य माने जाने का अधिकारी है। अतः इसके पूर्व कि उसको अस्पृश्य माना जाये उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ सिद्ध अवश्य करना होगा। इन परिस्थितियों में संभवतः कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती। किन्तु जब कि परिस्थितियां ही विशेष प्रकार की हैं, तो धारणा बनाई ही क्यों जाये ? उस मामले को उसी प्रकार से सिद्ध किया जायेगा, जिस तरह से एक मामूली मामला सिद्ध किया जाता है। सामान्यतः, अस्पृश्यता की समस्या पर विचार करते समय हम अनुसूचित जातियों के अलावा और किसी के सम्बन्ध में नहीं सोच सकते थे हमने इस अधिनियम का क्षेत्र व्यापक कर दिया है। यह केवल अनुसूचित जातियों को ही लागू नहीं होगा, अपितु दक्षिण के उन ईसाइयों को भी संभवतः लागू होगा, जिन्हें अपने आपको

ऊँचे वर्ग के समझने वाले लोग गिर्जा घरों में नहीं जाने देते है। कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके साथ इस्लाम धर्म के मानने वाले ऐसा ही व्यवहार करते हैं। उन्हें इस उपबंध का लाभ मिलेगा। उन्हीं के लाभ के लिये 'अस्पृश्य' शब्द की परिभाषा नहीं की गई है। जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, अधिनियम में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि वे किसी भी दशा में इन उपबन्धों का लाभ उठाने के अधिकारी हैं। अतः उनको अस्पृश्य कहे बिना ही, वे इस अधिनियम का लाभ उठायेंगे। अस्पृश्यता सम्बन्धी सभी मामलों में धारणा उनके पक्ष में रख कर आप उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है? दूसरों के लिये आप अवसर देते हैं। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था और मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने यह दृष्टिकोण लिया है।

श्री साधन गुप्त : धारा १२ में "जब तक उसके विरोध में सिद्ध नहीं हो जाता है।" शब्दों का क्या अर्थ है ?

पंडित जी० बी० पन्त : इसका अर्थ यह है कि जब तक उसके विरोध में सिद्ध नहीं किया जाता है, धारणा ही रहेगी। धारणा बदली जा सकती है, वह अन्तिम नहीं है।

श्री साधन गुप्त : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि खण्ड ३ और ४ पर चर्चा होने के बाद खण्ड २ पर मतदान लिया जाये, क्योंकि अपने संशोधन संख्या २० में मैंने खण्ड ३ और ४ में कुछ प्रासंगिक संशोधनों का सुझाव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस खण्ड को सभा का मतदान प्राप्त करने के लिये रखूंगा। काफी चर्चा हो चुकी है और कल के लिये इस चर्चा को जारी रखने में कोई लाभ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सब संशोधन संख्या २०, १९, ५३ और ९४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन सभी संशोधनों की सूची तैयार कर ली है, जो कि माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये हैं। आज शाम को वह सूची माननीय सदस्यों के पास भेज दी जायेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २८ अप्रैल, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।